सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

(SSA)

राजस्थान

सर्व शिक्षा योजना

2002–2007

जिला– झुन्झुनू

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No
Date

झुंझुनू जिला एक दृष्टि में

कुल क्षेत्रफल – 5928 वर्ग किलोमीटर राज्य के क्षेत्रफल का 1.73 प्रतिशत

कुल जनसंख्या – 1913099 राज्य की जनसंख्या का 3.39 प्रतिशत

पुरुष – 983158

महिला – 929941

अनुसूचित जाति – 242901 जनसंख्या का 12.70 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति – 30382 जनसंख्या का 1.60 प्रतिशत

अन्य – 1639816

लिंग अनुपात – 946

वृद्धि दर – 20.90 प्रतिशत

जनसंख्या का धनत्व – 323 प्रतिवर्ग किलोमीटर

साक्षरता दर – 73.61 प्रतिशत (राज्य में द्वितीय)

पुरुष साक्षरता दर – 86.61 प्रतिशत (राज्य में प्रथम)

महिला साक्षरता दर – 60.10 प्रतिशत (राज्य में द्वितीय)

कुल उपखण्ड – 5

तहसील – 6

उप तहसील – 4

पंचायत समिति – 8

ग्राम पंचायत – 288

राजस्व ग्राम 865

ग्राम पंचायत वार्ड – 3695

नगर परिषद् – 1

नगरपालिका – 11

शहरी क्षेत्र के वार्ड – 260

विधान सभा क्षेत्र – 7

लोकसभा क्षेत्र – 1

पहला अध्याय

जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका :–

भारत की आन, राजस्थान की शान और शेखावाटी का सिर–मौर है झुंझुनू जिला। अरावली पर्वतमाला से परिवेष्ठित इसके दक्षिणी पूर्वी भाग को प्रकृति ने सजलता मूलक झरनों के प्रवाह और फल फूलों की सघनता से श्रृंगारित किया है तो कुदरत ने इसके उत्तरी–पश्चिमी भाग को स्वर्णिम रेत के धौरों की सौगात भी प्रदान की है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

खेतड़ी, बिसाऊ, नवलगढ़, मण्डावा, डूण्डलोद और उदयपुरवाटी ठिकाने जो कि जयपुर रियासत के अंतर्गत थे के विलय ने जिले को यह स्वरुप प्रदान किया है।

झुंझुनू को किसने व कब बसाया इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। किन्तु इतिहासकार हरनाथ सिंह कहते हैं कि 5वीं–6छठी शताब्दी में गुर्जर काल में झुंझुनू का अस्तित्व देखने को मिलता है। 8वीं शताब्दी में चौहानों के इतिहास का अध्ययन करते है तो झुंझुनू का वजूद मिलता है। डा. दशरथ शर्मा ने तेरहवीं शताब्दी के कस्बों की जो सूची प्रस्तुत की है इसमें भी इस कस्बे का उल्लेख है। इसी प्रकार अनन्त और 'बागड़' राज्यों के काल में भी झुंझुनू का अस्तित्व कायम था। सुलतान फिरोज तुगलक (1338–1351) के बाद कायमखानियों के वंशज इस भूमि पर आये। कहते हैं कायम खां के बेटे मुहम्मद खां ने झुंझुनूं में अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद लगातार यह क्षेत्र कायमखानियों के आधिपत्य में रहा। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि सन् 1451–1488 के बीच झूंजा नाम जाट ग्वाले ने पर्वत की तलहटी में डेरा डाला और अपनी झोंपड़ी बनाकर इसको बसाया।

झुंझुनू का अन्तिम कायमखानी नवाब रुहेल खां था जो आस–पास के अपने ही वंश के नवाबों से पीड़ित रहा। ऐसे में उसने शार्दूलसिंह शेखावत को यहां बुला लिया। रुहेल खा की मृत्यु के बाद विक्रम सम्वत् 1787 ई. में झुंझुनू पर शेखावत राजपूतों का आधिपत्य हो गया जो जागीर अधिग्रहण तक चलता रहा।

शार्दूलसिंह के निधन के बाद उनके पांच पुत्रों (जोरावरसिंह, किशनसिंह, अखयसिंह नवलसिंह और केसरीसिंह) के बीच झुंझुनू का विभाजन हुआ। ये सब ठिकाने कहलाये। इनको झुंझुनू के इतिहास में 'पंचपाना' कहा जाता है। इतिहासकार डा.हरफूल सिंह आर्य के अनुसार

जोरावर सिंह और उनके वंशजों के अधीन चौकडी, मलसीसर, मण्ड्रेला, डाबड़ी,, चनाना, सुलताना, ओजटू, बगड़, टांई, गांगियासर, काली पहाड़ी आदि का शासन था जबकि किशनसिंह और उनके वंशज खेतड़ी, अलसीसर, हीरवा, अडूका, बदनगढ़, सीगड़ा, तोगड़ा, बलरिया आदि के शासक रहे। किशनसिंह के वंशजों में खेतड़ी ठीकाने के प्रसिद्ध भासक अजीतसिंह हुए। उनके शासन काल में स्वामी विवेकानन्द खेतड़ी आये उन्होंने ही उन्हें सर्वधर्म सम्मेलन में भेजने में मदद की। नवलसिंह ओर उनके वंशज अधीन नवलगढ़, मण्डावा, महनसर, मुकुन्दगढ़, इस्माइलपुर, परसरामपुरा, कोलिण्डा आदि की शासन व्यवस्था थी। केशरीसिंह व उनके वंशजों का बिसाऊ, सूरजगढ़ और डूण्डलोद में शासन रहा। पांचवें अखयसिंह निःसतान थे अतः उनका राज्य चारों भाईयों के हिस्सों में मिला दिया गया।

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झुंझुनूं जिले में व्याप्त जनाक्रोश कई प्रकार के आन्दोलनों के रुप में सामने आया। स्वतंत्रता सैनानी सांवलराम भारतीय के अनुसार इस जनपद में आर्य समाज आंदोलन, जकात आंदोलन, जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन, प्रजामण्डल आंदोलन चलाये गये। जिस समय देश के लाखों नर–नारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय शेखावाटी जनपद के लोग दुहरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक स्वाधीनता की लड़ाई तथा दूसरी जागीरदारों के जुल्म के विरुद्ध लड़ाई। इस प्रकार का अंग्रेजों, सामन्तों और जागीरदारों के विरुद्ध एक साथ लड़ाई का उदाहरण अन्यत्र मिलना मुश्किल है। किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ लाग–बाग और भेंट–बेगार का डटकर विरोध किया और इस संघर्ष में अनेक यातनाएं सही तथा बलिदान दिये। यहां की मातृभक्ति ने भी इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभायी। आजाद हिन्द फौज व नाविक विद्रोहों में भी यहां के लोग शामिल थे।

1.3 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु –

झुंझुनू जिला राजस्थान के उत्तरी–पूर्वी भाग में 27 डिग्री 38′ व 28 डिग्री 3′ उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 02′ व 76 डिग्री 06′ पूर्वी देशान्तर में मध्य स्थित है। यह उत्तर–पश्चिम में चूरु जिला द्वारा, उत्तर –पूर्वी में हरियाणा राज्य के हिसार और महेन्द्रगढ़ जिलों द्वारा और दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम में सीकर जिला द्वारा सीमित है।

जिले के अधिकांश भाग में बेलनाकार पहाड़ियों का समूह है और दक्षिण–पूर्वी सीमा के निकटतर शेष भाग में पहाड़ियों की अरावली श्रेणी की कुछ प्रशाखाएं दक्षिण–पूर्वी दिशा में

जाती हुई नजर आती है। अरावली पहाड़ियों की एक श्रेणी उदयपुरवाटी तहसील के दूरतम दक्षिण में जिले में प्रवेश करती है और पूर्व में सिंघाना व खेतड़ी तक फैली है। सामान्यतः औसत समुद्रतल से ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक है। 1,051 मीटर ऊंचा उच्चतम शिखर लोहार्गल के दक्षिण में बरखण्डी शिखर है।

जिले के उत्तरी व उत्तरी पश्चिम भाग में बलुई मिट्टी है। बालू खिसकना तथा सक्रिय टीलों का निर्माण इनकी विशेषताएं है। खेतड़ी व बुहाना तहसील में दोमट मिट्टी होने की वजह से अच्छी पैदावार हो जाती है किन्तु शेष जिले में खरीफ की प्रमुख फसल ही है। उदयपुरवाटी व खेतड़ी तहसील में पहाड़ी होने के कारण वहां के लोगों का जीवन पशु–पालन पर आधारित है। जिले में कोई बारहमासी बहने वाली नदी नहीं है। जिले की प्रमुख नदी काटली नदी है। यह नदी जिले के काफी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है और दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। यह सीकर जिले की कियांडेरा खण्ड पहाड़ियों से निकलती है और उदयपुरवाटी तहसील के दक्षिण–पश्चिमी भाग से जिले में प्रवेश करती है। जिले की उदयपुरवाटी, चिड़ावा, झुंझुनू तहसीलों से गुजरने के बाद यह अन्तिम रुप चूरु जिले में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त चार बड़े नाले है यथा दोहन, चन्द्रावती, उदयपुर–लोहार्गल नदी और सुख नदी। जिले में कोई झील नहीं। परन्तु स्नान करने के प्रयोजन के लिए लोहार्गल व किरोड़ी में पवित्र कुण्ड हैं। सिंचाई विभाग के अधीन अजीतसागर का एक बांध भी है जो खेतड़ी से लगभग 11 किमी. दूरी पर निजामपुर सड़क पर स्थित है।

1.4 जलवायु –

जिले में गर्म ग्रीष्म ऋतु सहित खुश्क जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में रेतीले–तूफान जिले की विशिष्टिता है। शीत ऋतु लगभग नवम्बर के मध्य में प्रारम्भ होती है और लगभग मार्च के प्रारम्भ तक बनी रहती है। इसके बाद गर्म ऋतु आती है और जून के अन्त तक चलती है। दक्षिण–पश्चिम मानसून का असर जुलाई से मध्य सितम्बर तक रहता है। यहां का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्शियस से उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्शियस तक हो जाता है। औसत तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्शियस तक रहता है। यहां वर्षा औसत 27 दिन रहती है। यहां की सामान्य वार्षिक वर्षा 44.45 सेमी रहती है। मौसम सम्बन्धी वेधशाला 1958 से पिलानी में स्थित है।

1.5 सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य –

यद्यपि इस जिले के रहन सहन एवं वेशभूषा में पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता हैं। अधिकांश शिक्षित युवक–युवतियां टी.वी. संस्कृति की ओर उन्मुख है। इनसे सामाजिक जीवन में बदलाव आया हैं फिर भी परम्रागत मेले, त्यौहार, मध्ययुगीन योद्धाओं (गोगा, रामदेवजी) और संतो द्वारा पवित्र किये गये स्थानों ने अपने सामाजिक महत्व और व्यापारिक मूल्य नहीं खोये हैं। इसके अलावा पर्यटकों को आकर्षित करने में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि मेले भारत में ग्रामीण लोगों के जीवन में आनन्दमय अवसर प्रदान करते हैं। सामुहिक नाच, धार्मिक प्रवचन, भक्ति और कौशल के करतबों का प्रदर्शन, मिठाई की दुकानें आदि ग्रामीणों के साथ–साथ शहरी लोगों को भी आकर्षित करते हैं।

जिले के प्रमुख मेले हैं –

राणी सती मेला (भाद्रपद बुदी 15), रामदेवजी का मेला (भाद्रपद सुदी 9 से 11), शीतलाष्टमी मेला (चैत्र बुदी 8), नरहड़ पीरजी का मेला (भाद्रपद बुदी 8), लोहार्गल मेला (भाद्रपद बुदी 15), रामेश्वरदास जी का मेला (प्रत्येक माह की अमावस्या) इसके अतिरिक्त तातीजा का देई माई मेला, गाडराटा का सुन्दरदास जी का मेला, ढोसी कुण्ड, भोपालगढ़ कुण्ड, श्री बाघेश्वर खरकड़ा कुण्ड, मण्डाना कुण्ड और किरोड़ी के मेले प्रसिद्ध है।

हिन्दुओं के मुख्य त्यौहार दिवाली, होली, गणगौर, तीज, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मकर संक्रान्ति आदि हैं। मुसलमान भाई इदुल–फितर, इदुलजुहा, शब–ए–बारात, रमजान, बाराबफात और मोहरर्म मनाते हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व व पर्यटक रुचि के स्थान भी पूरे जिले में यत्र–तत्र बिखरे हुए हैं जो इस प्रकार हैं – झुंझुनू में कमरुद्दीन शाह की दरगाह, राणी सती मंदिर, मनसा माता मंदिर, ईशरदास मोदी की हवेली, खेतड़ी महल, मेड़ताणी बावड़ी, बादलगढ़ दर्शनीय स्थान हैं। नवलगढ़ में सेठों की हवेलियों के भित्तिचित्र नयनाभिराम हैं। यहां के लकड़ी के दरवाजों की बारीक जालियां जादुई काष्टकला का दिग्दर्शन कराती है। डूण्डलोद में किला, गोयनका हवेली, गोयनका छतरी प्रसिद्ध हैं। मण्डावा में किला, रेत के धोरे, पारदर्शी शिवलिंग मुख्य दर्शनीय स्थान है। महनसर में पोद्दारों की सोने की दुकान रघुनाथजी का मंदिर, तोलाराम मसखरा का महफिलखाना दर्शनीय है। पिलानी तकनिकी शिक्षा का राष्ट्रीय सिरमोर है। बिरला म्यूजियम एशिया प्रसिद्ध है। टीबा–बसई में बाबा रामेश्वरदास का मंदिर दर्शनीय है। खेतड़ी ताम्रनगरी के रुप में प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त यहां रामकृष्ण मिशन का मठ, भोपाल गढ़ का दुर्ग, पन्नालाल शाह का तालाब,

अजीत सागर बांध, बागोर का किला, मटियानी जी का मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। नरहड़ साम्प्रदायिक सद्भाव का अद्भुत उदाहरण है यहां जन्माष्टमी के दिन शक्कर पीर बाबा का मेला भरता है जहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही श्रद्धा के साथ जाते हैं। किरोड़ी में शीतल और गुनगुने निर्मल जल के तीन कुण्ड पास–पास स्थित हैं। लोहार्गल में लगभग 70 मंदिर, मालकेत और बरखण्डी शिखर, सूर्यकुण्ड व प्राकृतिक छटा देखने योग्य है।

1.6 महामनाओं का झुंझुनू से रिश्ता –

महान युग दृष्टा स्वामी विवेकानन्द का खेतड़ी ठिकाने से प्रगाढ़ रिश्ता था। खेतड़ी महाराजा ने ही शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजने में आर्थिक सहायता की। विवेकानन्द नाम भी उन्हें खेतड़ी से ही मिला। मोतीलाल नेहरु की प्रारम्भिक शिक्षा खेतड़ी में ही हुई। शेरशाह सूरी का शिमला गांव से सम्बन्ध रहा है। उसने यहां सैकड़ों कुएं खुदवाये जिनके अवशेष आज भी यत्र–तत्र मिलते है। बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, पोद्दार, लोयलका, कानोडिया, गोयनका, पीरामल शेकसरिया, केडिया आदि उद्योगपतियों के घराने झुंझुनू जिले की ही देन है।

1.7 आर्थिक परिदृश्य –

जिला देश में जाना माना ताम्बा उत्पादक जिला है। खेतड़ी कस्बे में हिन्दुस्तान कॉपर का कारखाना स्थापित हैं। यहां कॉपर अयस्क में चांदी, सोना, निक्कल और कोबाल्ट भी संयुक्त है। इसके अलावा उदयपुरवाटी के नियोड़ी व पौंख तथा खेतड़ी के पपुरना कैलसाइट मिलता है। यहां पर डोलामाइट बहुतायत से मिलता है। लौह अयस्क भी त्यौंदा, सिहोड़ व जमालपुर तथा कलाखरी में पाया जाता है।

1.8 वन, वनस्पति एवं जीव–जन्तु –

यहां पर केवल 5.8 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। यहां खेजड़ी (जांट) बहुतायात से पाया जाता हैं। बबूल, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, बेर, जाल के वृक्ष भी पाये जाते हैं। उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्र में आम भी उगाये जाते हैं।

यहां पर बघेरा, सूअर, लंगूर, लक्कडबग्घा, भेड़िया, गीदड, लोमड़ी आदि जंगली जानवर सामान्यतः पाये जाते हैं। विषैले व विषहीन दोनों ही प्रकार के सांप पाये जाते हैं। घरेलू जानवरों में ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, भैंस प्रमुख पशु हैं।

1.9 फसलें –

जिले की मुख्य फसल खरीफ की फसल है। क्योंकि कृषि सम्बन्धी गतिविधियां अधिकांश मानसून पर निर्भर है। रबी की फसले भी सिंचाई सुविधा के अनुसार उगाई जाती हैं। जिले में मुख्यतया बाजरा, गेहूं, जौ, चना, सरसों उत्पन्न किया जाता है।

1.10 व्यवसायीक स्वरूप

जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। इसका भी निजीकरण करने की योजना से श्रमिक वर्ग शंकाओं से घिरा हुआ हैं। सीमेण्ट की फेक्ट्रियां लगाई गई हैं। जिनमें लगभग 200 मजदूर नियोजित हैं। जिले में अन्य पंजीकृत कारखाने कम्बलों और शालों के उत्पादन और आधारित भारी जैव रसायन आदि से सम्बन्धित हैं। कुटीर उद्योगों में कपड़ा बुनना, चमड़ा उत्पादों की रंगाई देशी जूतियों का निर्माण, लाख की चूड़ियां, ओढ़नी रंगना, साबुन, फर्नीचर व रस्से बनाना शामिल हैं। झुंझुनू, चिड़ावा, खेतड़ी, सूरजगढ़, पिलानी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये है। 1960 से जिला मुख्यालय पर नियोजन कार्यालय कियाशील है।

1.11 व्यवसाय और व्यापार –

जिले में निर्यात की मुख्य वस्तुएं ताम्बा, मूंग, मोठ, बाजरा, किरोसिन तेल, कपड़े, पेंट्रोल, औद्योगिक एवं कृषि यंत्रों का आयात किया जाता है। झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़, सूरजगढ़, मुकन्दगढ़, मण्डावा, खेतड़ी, पिलानी, बिसाऊ, गुढ़ागौडजी मुख्य व्यापारिक केन्द्र हैं।

सारणी 1.1

क्र.म.	स्थानीय	पुरुष	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	महिलाएं	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	योग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	मुख्य कार्य	400833	40.77	46032	4.95	446865	23.35
2.	सीमान्त कार्य	10323	1.05	110012	11.83	120335	6.29
3.	काम न करने वाले	571903	58.17	774175	83.25	1346078	70.36
योग		411156	21.43	156044	8.15	567200	29.64

1.12 प्रशासनिक ढांचा –

प्रशासन के उद्देश्य से जिले को पांच उपखण्डों, 6 तहसीलों, 4 उपतहसीलों, 8 पंचायत समितियो 1 नगर परिषद (झुन्झुनू शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होने के

नगर पालिका झुन्झुनू को नगर परिषद झुन्झुनू कर दिया है) एवं 11 नगरपालिकाओं में बांटा गया है। जिसको सारणी 1.2 में देखा जा सकता है।

सारणी न. 1.2

क्र.स.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	उपतहसील का नाम	पचायत समिति का नाम	नगरपालिका का नाम	नगर परिषद का नाम
1.	झुंझुनू	झुंझुनू	मलसीसर, बिसाऊ	झुंझनू, अलसीसर	बगड़, मण्डावा, बिसाऊ	झुंझुनू
2.	चिड़ावा	चिड़ावा	सूरजगढ़	चिड़ावा, सूरजगढ़	चिड़ावा, सूरजगढ़, पिलानी, विद्या विहार पिलानी	
3.	खेतड़ी	खेतड़ी, बुहाना	–	खेतडी, बुहाना	खेतडी	
4.	नवलगढ	नवलगड.	–	नवलगढ	नवलगढ, मुकुन्दगढ	
5.	उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी	गुढा गौड़जी का	उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी	

सारणी 1.3

क्र.स.	व्यवस्था का नाम	संख्या
1.	उपखण्ड	5
2.	पंचायत समिति	8
3.	तहसील	6
4.	उपतहसील	4
5.	गांव	865
6.	पंचायत	288
7.	नगरपरिषद्	01
8.	नगरपालिका	11
9.	पंचायतों के वार्ड	3695
10.	नगरपरिषद के वार्ड	35
11.	नगरपालिकाओं के वार्ड	225

इसके अलावा जिले में 288 ग्राम पंचायतें है तथा 865 राजस्व ग्राम है। इनका प्रशासन ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों को राज्य में महत्वपूर्ण अधिकार मिले हुए हैं।

जिले में कुछ ऐसे बड़े कस्बे भी है जिनमें नगरपालिका प्रशासन नहीं है जहां ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। इनमें मुख्य हैं – गोठडा, सिंघाना, सुलताना, मण्ड्रेला, इस्लामपुर

मलसीसर, गुढ़ागौडजी, बुहाना। बुहाना एक मात्र ऐसी पंचायत समिति है जहां कोई शहरी क्षेत्र नहीं है और न ही नगरपालिका क्षेत्र स्थित है।

जिला प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर है। जो जिला मुख्यालय पर कार्य की देखरेख करता है। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, सहायक जिला कलेक्टर आदि होते हैं। उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील स्तर पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार होते है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अतिरिक्त कलेक्टर एवं पदेन निदेशक होता हैं तथा जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है।

पंचायत समिति पर विकास कार्यो की देखरेख के लिए विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिले में 8 विकास अधिकारी नियुक्त हैं।

पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस अधीक्षक है। इसकी सहायता हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप अधीक्षक नियुक्त है। जिले में वृत्त पर वृत्ताधिकारी – 3 नियुक्त है तथा 16 पुलिस स्टेशन (थाना) बनाये गये है।

न्यायकरण के लिए झुंझुनू व खेतड़ी में जिला व सत्र न्यायाधीश, दीवानी जज एवं मुख्य न्यायिक दण्ड नायक के न्यायालय भी हैं। इसके अतिरिक्त मुंशीफ एवं न्यायिक दण्ड नायक के न्यायालय झुंझुनू, चिड़ावा, खेतड़ी, नवलगढ़ व उदयपुरवाटी में स्थित हैं।

1.13 जनसांख्यिकी –

जिले का कुल क्षेत्रफल 5916 वर्ग किलोमीटर हैं जो राज्य के क्षेत्रफल का 1.73 प्रतिशत है। जबकि राज्य की कुल जनसख्या का 3.3 प्रतिशत इस जिले में निवास करती है।

2001 की जनसंख्या के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1913099 है। इनमें 983158 पुरुष तथा 929941 महिलाएं हैं। जिले में पुरुष व महिलाओं में लिंग अनुपात 1000 : 946 हैं जो 1991 की जनसंख्या से 09 अधिक है।

सारणी न. 1.4 जातिवार तुलनात्मक जनसंख्या विवरण वर्ष 2001

2001की अनुमानित	पुरुष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	126115	116786	242901
अनुसूचित जनजाति	15746	14636	30382

जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या तालिका

पुरुष	983158	51.39 प्रतिशत
महिला	929941	48.61 प्रतिशत
योग	1913099	—
अनुसूचित जाति	242901(अनुमानित)	कुल जनसंख्या का 12.7 प्र.श
अनुसूचित जनजाति	30382(अनुमानित)	कुल जनखंख्या का 1.6 प्र.श.

जनसंख्या तुलनात्मक सारणी 1.5 वर्ष 1991 व 2001

1991 की जनगणना के अनुसार		प्रतिशत	2001	प्रतिशत
पुरुष	819448	51.78	983158	51.39
महिला	762973	48.22	929941	48.61
योग	1582421	—	1913099	—
अनुसूचित जाति	243287	15.37	242901अनुमानित	12.7
अनुसूचित ज.जा	30528	1.93	30382 अनुमानित	1.6
पु. म. अनुपात	937	—	946	—

– सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि 1991 की जनसंख्या की तुलना में कुल जनसंख्या में 33 लाख 675 की वृद्धि हुई जो लगभग 20.89 प्रतिशत है।

– 1991 की तुलना में पुरुषों की संख्या .39 प्रतिशत कम हुई है जबकि महिलाओं की संख्या में .39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह जिले की जेण्डर संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है।

– अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 2.68 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में .35 प्रतिशत की गिरावट आई है।

– 1991 की तुलना में 2001 में पुरुष महिला अनुपात में 09 की वृद्धि हुई है जो शुभ संकेत है। यह जिले की उच्च साक्षरता दर का परिणाम है।

– जिले की जनसंख्या को घनत्व 323 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो कि राज्य के जनसंख्या घनत्व से लगभग दुगुना है। राज्य का घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

1.14 जनसंख्या वृद्धि –

1991 की जनसंख्या के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1582421 थी जिसमें से 819448 पुरुष व 762973 महिलाएं थी। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं थी।

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1913099 है जिसमें से 983158 पुरुष एवं 929941 महिलाएं है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 946 है। इसके अनुसार पिछले दस वर्षो में कुल जनसंख्या में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको निम्न तालिका से देखा जा सकता है।

सारणी 1.6

तुलनात्मक विवरण लिंग अनुपात वर्ष 1991 व 2001

	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या वृद्धि	वृद्धि दर
योग	1582421	1913099	330678	20.9 प्रतिशत
पुरुष	819448	983158	163710	19.98 प्रतिशत
महिलाएं	762973	929941	166968	21.88 प्रतिशत
लिंग अनुपात	931	946	15	1.61 प्रतिशत

जिले में छः तहसीले है इनमें 288 ग्राम पंचायते व 865 राजस्व ग्राम है एक नगर परिषद और 11 नगरपालिका व एक जनगणना शहर है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या निम्न सारणी से अवलोकन की जा सकती है।

सारणी न. 1.7 जनसंख्या तहसीलवार 2001

तहसील का नाम	कुल जनसंख्या			ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या		
	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
झुंझुनू	479695	245039	234656	322721	162765	159956	156974	82274	74700
चिड़ावा	420452	218329	202123	323800	166656	157144	96652	51673	44979
बुहाना	204395	105111	099284	204395	105111	99284	0	0	0
खेतड़ी	253642	131433	122209	214446	110556	103890	39196	20877	18319
नवलगढ	291866	148873	142993	217594	110561	107033	74272	38312	35960
उदयपुरवाटी	263049	134373	128676	235218	119820	115398	27831	14553	13278
योग	1913099	983158	1518174	775469	742705	394925	207689	207689	187236

1.15 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाएं (शिक्षा से सम्बन्धित) –

जिले में स्थापित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 0–6 व 6–14 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं जो इस प्रकार हैं :–

I सामाजिक सुरक्षा योजनाएं –

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुख्यतः बालक–बालिकाओं के लिए तीन योजनाएं संचालित की जाती है।

1.बालिका समृद्धि योजना –

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिला के प्रथम दो बालिका के जन्म तक प्रत्येक बालिका के जन्म पर 500 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि उसकी माता को दी जाती है। आवश्यक शर्त यह है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे चयनित हो तथा यह लाभ प्रथम दो बालिकाओं के समय तक ही सीमित है। चाहे परिवार के बच्चों की संख्या कितनी ही हो। आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देना होता है। ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृति जारी की जाकर राशि का भुगतान बालिका की माता को किया जाता है।

2.राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम –

राष्ट्रीय पाषाहार कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/अनुदानित/स्वायत्तषाशी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी पाठशालाओं, वैकल्पिक विद्यालयों, मदरसों व संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन वृद्धि करना, विद्यार्थियों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करना तथा पोष्टिक आहार लपलब्ध कराना है।

मध्यान्तर में प्रति बालक–बालिका 100 ग्राम घूघरी पकाकर बालक–बालिका को खिलाया जाता है। इसके पकाने, मीठा डालने, ईंधन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा जनसहयोग से की जाती है। गेहूं वितरण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा,

विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा की देखरेख में किया जाता है।

3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना –

मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को एक मुश्त नकद सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

मातृत्व लाभ पहले दो जीवित बच्चों वाली उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो तथा यह 1997 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले चयनित परिवार की सूची में शामिल हो। मातृत्व लाभ प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पहले एक ही किश्त में दिया जाता है। परन्तु यह सहायता गर्भ के उपरान्त भी देय है। यह वांछनीय हैं कि शिशु जन्म के समय शिशु की ओरल पोलियों तथा बीसीजी के टीके की एक–एक खुराक तथा छठे सप्ताह में डीपीटी और पोलियों की पहली खुराक दे दी जानी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/नगर निगम/नगरपरिषद में आवेदन पत्र दिये जाने चाहिए। यह लाभ दो जीवित बच्चों तक प्रत्येक गर्भ पर 500 रुपये देय हैं।

2. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.) –

यह योजना अप्रेल 1999 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जनोपयोगी परिसम्पतियों के निर्माण करने के लिए स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर कार्य कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक विकास के लिए निम्न कार्य करवाये जा सकते है।

– राजकीय शिक्षक संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य।

– पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य।

– चारदीवारी का निर्माण।

– स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण।

– शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर।

– राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए अध्ययन–अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी आदि का क्रय।

प्रत्येक विधानसभा सदस्य अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 60.00 लाख रुपये तक की जनोपयोगी परिसम्पतियां निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित करते है।

3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.) –

भारत सरकार द्वारा यह योजना 1993–94 में लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता आधारित विकास कार्य कर जन उपयोगी एवं टीकाऊ सम्पतियों का सृजन करना है।

इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 2.00 करोड़ रुपये आवंटित किये जाते हैं। सांसद द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर सामान्यतः 45 दिन की अवधि में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक विकास हेतु निम्न कार्य करवाये जा सकते है।

– विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकाय के अधीन हैं।

–ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

– मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों, व्यायाम केन्द्रों, खेलकूद संघों, शारीरिक शिक्षा परिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।

– सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय का निर्माण।

– शिशुगृह एवं आंगनबाड़ियों का निर्माण।

– आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण।

– उच्च विद्यालयों में हेम क्लब की स्थापना।

– ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना।

– हाई स्कूल/कालेज में कम्प्यूटर व्यवस्था।

जिले की विकास योजनाओं म विभिन्न वर्षों में प्राप्त की गई उपलब्धि को निम्न तालिका से देखा जा सकता है।

सारणी 1.9

क्र. स.	विकास योजना का नाम	वित्तीय उपलब्धिया		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	बालिका समृद्धियोजना	2.40 लाख	4.01 लाख	1.02 लाख
2	राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	5069.82 क्वि.	3804.93 क्वि.	4808.10 क्वि.
3	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	2.50 लाख	4.90 लाख	3.675 लाख
4	विधायक कोटे से कार्य			
(1)	भवन निर्माण	42.87 लाख	38.69 लाख	41.42 लाख
(2)	पुस्तकालय भवन निर्माण	–	–	–
(3)	चारदीवारी निर्माण	3.22 लाख	29.04 लाख	16.24 लाख
(4)	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण	–	–	–
(5)	शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर	0.80 लाख	–	–
(6)	अध्ययन अध्यापन सामग्री	–	–	–
(7)	स्काउट सामग्री	–	–	–
(8)	खेल सामग्री,, फर्नीचर व दरी	–	–	–
5.	सांसद विकास योजना			
(1)	विद्यालय भवन	71.01 लाख	80.04 लाख	71.27 लाख
(2)	छात्रावास निर्माण	–	–	–
(3)	पुस्तकालय निर्माण	–	–	–
(4)	खेल–कूद गतिविधियां	–	–	–
(5)	शिशुगृह एवं आंगनबाड़ी	–	–	–
(6)	हेम क्लब	–	–	–
(7)	कम्प्यूटर	–	–	–

अध्याय – 2
शैक्षिक परिदृश्य

भूमिका –

झुंझुनू जिला शैक्षिक दृष्टि से राज्य का अग्रणी जिला है। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले का स्थान राज्य में दूसरा है। पुरुष साक्षरता में तो यह प्रथम् स्थान पर है जबकि महिला साक्षरता में द्वितीय स्थान पर। ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता में शिखर पर विराजमान इस जिले ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की ओर अग्रसर है। इस जिले में अब केवल ठहराव एवं उनकी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का चुनौती पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना शेष रह गया है। शिक्षा जगत में कार्यरत कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों, डीपीईपी योजना के सहयोग एवं शिक्षकों की कर्त्तव्य परायणता व लगनशीलता के माध्यम से इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जिला पूर्ण रुप से तैयार भी है एवं सक्षम भी। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। यह कदम तभी रुकेगे जब लक्ष्य प्राप्त करलेंगे।

1. शैक्षिक विकास का इतिहास –

शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी इस जिले की शिक्षा की विकास यात्रा 1880 से प्रारम्भ हुई। आर्य समाज आन्दोलन ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आज़ादी से पहले से ही यहां के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरुकता दिखायी देती है। स्वाधीनता के लिए लड़े गये आन्दोलनों, जागीरदारों के अत्याचारों से उबरने के लिए जागरूक लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा प्रजामण्डलों ने भी यहां के शिक्षा के विकास लिए विद्यालयों की व्यवस्था की। शहरों ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्यालयों का संचालन प्रजामण्डलों द्वारा किया जाने लगा।

जिले के धन कुबेरों को अपने औद्योगिक साम्राज्य के विस्तार के लिए विश्वसनीय कर्मचारियों की आवश्यकता अनुभव हुई। अपनी माटी के लोगों को शिक्षित बनाकर अन्न

कारखानों, मिलों व फेक्ट्रियों में नियुक्तियां देने के लिए उन्होंने विद्यालयों का प्रबन्ध किया। इस प्रकार निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने शिक्षा के रथ को आगे बढ़ाया।

स्वामी विवेकानन्द का जुड़ाव इस जिले के एक ठिकाने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से रहा। वे आपस में मित्र भी थे। स्वामीजी ने अपने जीवनकाल में तीन बार खेतड़ी की धरा को पवित्र किया। उन्होंने महाराजा से शिक्षा व्यवस्था राज्य की ओर से करने के लिए आग्रह किया। उनके आग्रह का व्यापक असर हुआ और अजीतसिंह ने अपने ठिकाने में अनेक प्राथमिक विद्यालय शुरु करवाये। मई 1883 ई. में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय खेतड़ी प्रारम्भ हुआ। इस विद्यालय में संस्कृत, हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, धर्मशास्त्र, अंग्रेजी व राजनीति विज्ञान विषयों की शिक्षा दी जाने लगी।

प्रवासी जिले वासी लक्ष्मीपतियों जिन्हें 'मारवाड़ी' कहा जाता था ने भी पिलानी, चिड़ावा, बिसाऊ, नवलगढ़, मुकुन्दगढ़, बगड़, झुंझुनू, बड़ागांव आदि में अनेक विद्यालय खोले। कुछ विद्यालय आजादी से पहले खुले और यह प्रक्रिया आजादी के बाद निरन्तर जारी रही। बिड़ला ने पिलानी में विद्यालय स्थापित किया जो आज डीम्ड विश्वविद्यालय के रुप में संचालित है। इस विश्वविद्यालय ने तकनीकि शिक्षा में भारत में अपना अग्रणी स्थान बना रखा है। डालमिया ने चिड़ावा में, पीरामल ने बगड़ में, पोद्दार ने नवलगढ़ में शिक्षण संस्थान खोले। पीरामल ने अपना प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती में प्रारम्भ किया। जो आज उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के लिए अलग–अलग संचालित हो रहा। प्राथमिक स्तर से प्रारम्भ होने वाला पोद्दार शिक्षण संस्थान अब महाविद्यालय स्तर पर संचालित है और राजस्थान में अपना स्थान बनाये हुए है।

महिला शिक्षा क्षेत्र में भी आजादी से पूर्व से ही यहां विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित हो गई थी। वर्तमान शिक्षाविद् उच्चाधिकारी मंत्री श्रीमती कमला, पूर्व मंत्री श्रीमती सुमित्रा सिंह, मनभरीदेवी पंचायत समिति चिड़ावा की प्रधान श्रीमती सुधादेवी आदि ने आजादी से पूर्व शिक्षा ग्रहण कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। लड़कियों के साथ बालिका विद्यालय की नींव रखी। आज यह वृक्ष वटवृक्ष के रुप में पल्लवित एवं पुष्पित हो रहा हैं। अरड़ावता में बालिका महाविद्यालय प्रशिक्षण

महाविद्यालय एवं बालिका छात्रावास संचालित है। यहां लगभग 2500 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रहीं है।

अनुसूचित जाति के लिए भी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व से ही विद्यालय संचालित किये जा रहे है। बिसाऊ, बगड़ व पिलानी में हरिजन विद्यालय खोले गये। पिलानी में हरिजन छात्रावास भी संचालित किया गया। स्वतंत्रता के बाद में हरिजन विद्यालय अन्य विद्यालयों में शामिल कर दिये गये और अस्पृश्यता को दूर करने में मील के पत्थर साबित हुए।

राजकीय क्षेत्र में जिले में विद्यालयों का जाल बिछा हुआ है। केन्द्र सरकार ने भी सर्वप्रथम खेतड़ी नगर में केन्द्रीय विद्यालय खोला। यह विद्यालय वर्तमान में निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। जिले में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय झुंझुनू में पहाड़ी की तलहटी में रेत के धोरों के बीच खोला गया। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के लिए यह विद्यालय वरदान साबित हुआ।

जिले में सभी प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों का समान वितरण है। क्षेत्रीय शैक्षिक असन्तुलन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पूर्व में महाविद्यालय केवल निजी क्षेत्र में ही संचालित हो रहे थे किन्तु पिछले वर्ष एक साथ तीन राजकीय महाविद्यालयों के खुलने से यह कमी भी पूरी हो गई। दो महाविद्यालय झुंझुनू व बिंजूसर लड़कियों के लिए व एक महाविद्यालय खेतड़ी में सहशिक्षा के लिए खोला गया। बिंजूसर में खोला गया महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की गरीब परिवारों की लड़कियों की शैक्षणिक व्यवस्था के लिए आशा की किरण के रुप में सामने आया है। उच्च शिक्षा जिन लड़कियों के लिए सपना मात्र था आज वे भी ऊंची उड़ान भर रही है।

2. साक्षरता दर –

साक्षरता के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाने वाले इस जिले ने 1991 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर लम्बी छलांग लगायी है। इसका श्रेय साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मठ कार्यकर्त्ताओं, साक्षरता अभियान की सफलता एवं स्वयं सेवकों की निष्ठा को दिया जा सकता है।

यह जिला राजस्थान मे कोटा के बाद दूसरे स्थान पर विराजमान है। कुल साक्षरता दर 73.61 प्रतिशत है। यहां की पुरुष साक्षरता दर 86.61 प्रतिशत है जो राजस्थान में पहले स्थान

पर हैं। यहां कि महिला साक्षरता दर 60.10 प्रतिशत है जो राज्य में दूसरे स्थान पर हैं। ग्रामीण महिला साक्षरता दर 59.80 प्रतिशत है जो राज्य में प्रथम स्थान पर है।

साक्षरता दर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न है। यही नहीं तहसीलवार भी साक्षरता दर विभिन्नता पायी जाती है। इसका कारण जिले की भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता हैं। बुहाना तहसील की जिले में सबसे अधिक (77.41 प्रतिशत) साक्षरता दर हैं तो उसकी पड़ौसी तहसील खेतड़ी की दर (68.67 प्रतिशत) जिले में सबसे कम हैं।

जिले की साक्षरता दर निम्न दो सारिणीयों द्वारा देखा जा सकता है :–

सारणी न. 2.1

0–6 वर्ष आयु वर्ग का जनसंख्या अनुपात वर्ष 2001

		कुल जनसंख्या			0–6 वर्ष आयु वर्ग		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
झुंझुनू	योग	1913099	983158	929941	326986	175182	151804
	ग्रामीण	1518174	775469	742705	262938	140558	122380
	शहरी	394925	207689	187236	64048	34624	29424

सारणी न. 2.2

साक्षरता दर वर्ष 2001

क्र. स.	जिला / तहसील	कुल साक्षरता दर			ग्रामीण दर			शहरी दर		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1.	झुंझुनू	74.81	87.72	61.64	75.46	88.57	62.46	73.46	86.04	59.85
2.	चिड़ावा	74.25	87.14	60.55	72.43	85.90	58.43	80.14	90.94	67.76
3.	बिसाऊ	77.41	89.92	64.48	77.41	89.92	64.48	–	–	–
4.	खेतड़ी	68.67	82.73	53.63	65.85	80.46	50.40	83.16	94.03	70.83
5.	नवलगढ	69.47	84.81	53.83	69.68	85.44	53.78	68.85	83.01	54.00
6.	उदयवाटी	76.78	86.93	66.34	77.66	87.17	67.95	69.30	84.99	52.31
योग		73.61	86.61	60.10	73.24	86.36	59.80	75.00	87.51	61.28

सारणी न. 2.2 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर 75 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 73.24 प्रतिशत। शहरी क्षेत्र की महिलाएं (61.28 प्रतिशत) भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं (59.80 प्रतिशत) से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। खेतड़ी क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं (50.40 प्रतिशत) व शहरी महिलाओं (70.83 प्रतिशत) में बहुत अधिक अन्तर है। अतः खेतड़ी क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता के सफल प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3. साक्षरता अभियान –

जिले में चल रहे साक्षरता अभियान एवं सतत शिक्षा अभियान के माध्यम से साक्षरता दर को बढ़ाये जाने का सफल प्रयास जारी है। प्रारम्भ में 2,34,000 (15–35 वर्ष आयु) के व्यक्ति चिन्हित किये गये थे। अब उनमें से केवल 30,000 व्यक्ति ही ऐसे बचे है जिन्हें साक्षर किया जाता हैं। 3000 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षत किया जाकर साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से निरक्षर भाई–बहिनों को साक्षर बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है

4. शैक्षिक सुविधायें

– यह जिला शैक्षिक सुविधाओं के मामले में अत्यधिक सौभाग्यशाली रहा है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ही नही अपितु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उचित अनुपात में महाविद्यालयों का वितरण समानरुप से सभी पंचायत समितियों में हुआ है। अब तक मात्र बुहाना पंचायत समिति ऐसी है जहां पर कोई महाविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। इन शैक्षिक सुविधाओं की बदौलत ही जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मानदण्ड स्थापित हुए है।

5. प्रारम्भिक शिक्षा–

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मजबूत शैक्षिक व्यवस्था कायम है। विभागीय एवं डीपीईपी योजना के मानदण्डोनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या उपयुक्त है। बहुत कम ऐसे गांव, ढाणी हैं जो प्राथमिक विद्यालय से वंचित हैं। जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहां पर वैकल्पिक विद्यालय की व्यवस्था की गई है तथा कुछ गांव ढाणीयों में

वैकल्पिक विद्यालय प्रस्तावित हैं, वहां पर यह व्यवस्था की जा रही है। जिले की शैक्षिक **व्यवस्था को निम्न** तालिका से देखा जा सकता है।

सारणी– 2.4

जिले में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 2002

प्राथमिक विद्यालय	रा.गां.स्व. पाठशाला	वै. वि. 6 घण्टे	उ.प्रा.वि.	शिक्षाकर्मी
1001	**343**	135	451	21

स्त्रोत– डीईईओ

6. वैकल्पिक शिक्षा–

शिक्षा दपर्ण 2000 के अनुसार शाला से वंचित बालक–बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था **के लिए डीपीईपी, शिक्षा** कर्मी ने वैकल्पिक विद्यालय खोले हैं। अल्प संख्यक समुदाय को मुख्य **धारा की शिक्षा व्यवस्था** से जोड़ने के लिए मदरसों में पैरा टीचर्स की व्यवस्था की गई है। ये **पैरा टीचर्स दीनी तालिम** के बाद हिन्दी, गणित, पर्यावरण विषयों का अध्ययन करवाते है। इस **व्यवस्था से मुस्लिम समुदाय** की बड़ी उम्र की लड़कियां जो विद्यालय जाने में संकोच करती **थी वो लामान्वित हुई** हैं। जिले में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए संचालित विद्यालयों की संख्या **सारणी संख्या 2.4** में देखी जा सकती है।

7. निजी क्षेत्र के विद्यालय–

जिले में निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने भी एक अच्छा नेटवर्क बना रखा है। निजी क्षेत्र **के विद्यालय निम्न** प्रकार हैं–

प्रा. विद्यालय मान्यता प्राप्त –16

संस्कृत प्रा. वि. मान्यता प्राप्त –1

उच्च प्रा. वि. मान्यता प्राप्त –677

संस्कृत उच्च प्रा. वि. मान्यता प्राप्त –19

इसके अलावा कक्षा 5 तक संचालित विद्यालयों की मान्यता की शर्त समाप्त करने के **कारण सैंकडों की संख्या** में गैर मान्यता प्राप्त प्रा. विद्यालय हो रहे हैं।

8. अन्य शैक्षिक व्यवस्थाएं–

प्रा. शिक्षा के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राजकीय विद्यालयों के साथ निजी क्षेत्र में भी अनेक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। निम्न तालिका द्वारा इनका अवलोकन किया जा सकता है–

सारणी 2.5 माध्यमिक राजकीय एवं गैर राजकीय 2002

विद्यालय का स्तर	राजकीय	गैर राजकीय		योग
		अनुदानित	मान्यता प्राप्त	
माध्यमिक	162	2	142	306
उच्च माध्यमिक	102	17	39	158
योग	264	19	181	464

स्त्रोत– डीईओ, माध्यमिक

9. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा –

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिले में 2 राजकीय महाविद्यालय (1 सह शिक्षा व 1 केवल छात्रा), 22 निजी महाविद्यालय स्थापित है। केवल मात्र एक पंचायत समिति बुहाना ऐसी है जहां पर महाविद्यालय नहीं है। उदयपुरवाटी ब्लॉक के गुढ़ा गौड़जी में भी इस वर्ष निजी क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय स्थापित हो जाने से क्षेत्र की बालिकाओं को बहुत राहत मिली है। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी आईटीआई संस्थानों के माध्यम से की जा रही है। 1951 तक पिलानी का बिड़ला इंजिनीयरिंग कॉलेज एक मात्र इंजिनियरिंग कॉलेज था। बिड़ला प्राद्यौगिकी एवं विज्ञान संस्थान भी पिलानी में ही विद्या विहार कस्बे में कियाशील है। इस संस्थान में मास्टर ऑफ फॉर्मेसी, मास्टर ऑफ सांइन्स (प्राद्यौगिकी) सहित विभिन्न प्रकार की उपाधियां और डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी की उपाधि के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। सेन्ट्रल इलेक्टिोनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का संस्थान (सिरि) भी पिलानी में 1957 से प्राद्यौगिक और इलेक्ट्रोनिक्स में एडवांस रिसर्च के विकास में कार्य के प्रति समर्पित है। सेमी कन्डक्टर डिवाईसों और हाई पावर माइको वेर्ब ट्यूब्स के लिए यह संस्थान सुविधाएं प्रदान करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों को तालिका संख्या 2.6 में देखा जा सकता है–

सारणी संख्या 2.6

उच्च शिक्षण संस्थान

संस्थान का नाम	संख्या	स्थान
राजकीय महाविद्यालय	2	झुन्झुनू, खेतड़ी
निजी महाविद्यालय	22	
डिम्ड विश्वविद्यालय	1	पिलानी
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	2	अरड़ावता (महिला), बगड़
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1	झुन्झुनू
आई.टी.आई.	5	खेतड़ी, चिड़ावा, मुकुन्दगढ़, पिलानी, बिन्जूसर

एक इन्जिनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में बुहाना ब्लॉक के पचेरी बड़ी गांव में निर्माणाधीन है।

10. नामांकन–

अ. जातिवार नामांकन–

जिले में संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगियों के माध्यम से 31 जुलाई 2002 की नामांकन सूचना एकत्रित करवाई गई। अपने क्षेत्र के प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक , राजीव गांधी पाठशाला, मदरसा, वैकल्पिक विद्यालय में उपस्थित होकर उन्होंने सूचना एकत्रित की। इस सर्वे के अनुसार जिले में कुल 463540 बालक–बालिकाएं नामांकित हैं। इनमें 252195 बालक एवं 211345 बालिकाएं हैं। अनुसुचित जाति के कुल 83137 छात्रों में से 44702 बालक व 38435 बालिकाएं हैं जो कुल छात्र नामांकन के 17.7 व 18.1 प्रतिशत है इसी प्रकार अनुसुचित जनजाति के कुल 10949 छात्रों में से 5945 बालक व 5004 बालिकाए हैं जो कुल नामांकन की 2.3 प्रतिशत हैं।

सारणी 2.3 जातिवार व ब्लॉक वार नामांकन जुलाई 2002

ब्लॉक का नाम	एस.सी.			एस.टी.			अन्य			कुल		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
अलसीसर	4089	3513	7602	679	601	1280	15048	12727	27775	19816	16841	36657
बुहाना	5068	4461	9529	558	357	915	20146	18536	38682	25772	23354	49128
चिड़ावा	4885	4302	9187	430	337	767	20994	17062	38056	26309	21701	48010
झुन्झुनू	7641	6171	13812	885	876	1761	32560	24803	57363	41086	31850	72936
खेतड़ी	4309	3780	8089	1056	934	1990	28342	23803	52145	33707	28517	62224
नवलगढ	6135	5563	11698	734	627	1361	31295	26408	57703	38164	32598	70762
सूरजगढ	7500	6366	13866	358	276	634	22842	18910	41752	30700	25552	56252
उदयपुर वाटी	5075	4279	9354	1245	966	2241	30321	25657	55978	36641	30932	67573
योग	44702	38435	83137	5945	5004	10949	201548	167906	369454	252195	211345	463540

स्त्रोत– सीआरसी

ब. कक्षावार नामांकन –

जिले में कक्षा एक का कुल नामांकन 87272 है जबकि कक्षा 8 का नामांकन 40997 है इस आधार पर कहा जा सकता है कि कक्षा 8 का नामांकन कक्षा 1 के नामांकन का 49.8 प्रतिशत है। कक्षा 1 में 40323 बालिकाएं जबकि कक्षा 8 में 17137 बालिकाएं हैं जो 42.4 प्रतिशत हैं। तुलना से ज्ञात होता है कि बड़ी कक्षाओं में बालिकाओं की संख्या कम रह जाति हैं। इसको सारणी संख्या 2.8 में देखा जा सकता है–

स. प्रबन्धन के अनुसार नामांकन –

कुल नामांकन 463540 में से राजकीय विद्यालयों की नामांकन की स्थिति गैर राजकीय विद्यालयों से बेहतर है। राजकीय विद्यालयों में 258437 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं। जबकी गैर राजकीय विद्यालयों में 205103 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं। राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा अधिक है। चिड़ावा व झुन्झुनू पंचायत

समितियों में गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या अधिक है जबकी अलसीसर में सबसे कम है। इसका अवलोकन सारणी संख्या 2.9 से किया जा सकता है।

सारणी संख्या 2.9 प्रबन्धानुसार नामांकन जुलाई 2002

ब्लॉक का नाम	राजकीय विद्यालय			गैर राजकीय			कुल नामांकन		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
अलसीसर	11371	11905	23276	8445	3936	13381	19816	16841	36657
बुहाना	12736	15462	28198	13036	7892	20928	25772	23354	49126
चिड़ावा	10722	11912	22634	15587	9789	25376	26309	21701	48010
झुन्झुनू	14959	15530	30489	26127	16320	42447	41086	31850	72936
खेतड़ी	18193	19720	37913	15514	8797	24311	33707	28517	62224
नवलगढ़	17779	19205	36894	20385	13393	33778	38164	32598	70762
सूरजगढ़	16267	18979	35276	14433	6573	21006	30700	25552	56252
उदयपुरवाटी	21562	22135	43697	15079	8797	23876	36641	30932	67573
योग	123589	134848	258437	128606	76497	205103	252195	211345	463540

स्त्रोत – संकुल केन्द्र सहयोगी

द. विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का नामांकन –

विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के नामांकन का अवलोकन सारणी संख्या 2.10 से किया जा सकता है।

सारणी संख्या 2.10 विद्यालयों के अनुसार नामांकन जुलाई 2002

विद्यालयों के प्रकार	कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
प्राथमिक	59195	58583	117778				59195	58583	117778
उच्च प्रा.	83584	67669	151253	41354	31498	72852	124938	99167	224105
रागास्जपा	10876	10759	21635				10876	10759	21635
अन्य	2228	2915	5143	15	8	23	2243	2923	5166
माध्यमिक	22141	15244	37385	32802	24669	57471	54943	39913	94856
योग	178024	155170	333194	74171	56175	130346	252195	211345	463540

स्त्रोत – संकुल केन्द्र सहयोगी

य. अनामांकित बालक बालिकाओं की सूचना –

शिक्षा दर्पण अपडेशन 2001 के एवं शहरी सर्वे 2001 के अनुसार जिले में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के कुल 5049 बालक बालिकायें ही विद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित रहे इनमें से

1141 विकलांग बालक बालिकाओं को छोड़कर सभी बालक बालिकायें विद्यालयों में नामांकित हो चुके हैं।

र. सकल नामांकन अनुपात –

जिले के संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगियों द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार 6–14 वर्ष आयु वर्ग के 225186 बालक एवं 189433 बालिकायें कुल 414619 छात्र है बजकी 252195 बालक एवं 211345 बालिकायें नामांकित हैं ।जिले के सकुल नामांकन अनुपात का अवलोकन सारणी संख्या 2.11 से किया जा सकता है।

सारणी संख्या 2.11 जी.ई.आर जुलाई 2002.

ब्लॉक का नाम	जनसंख्या 6–14 वर्ष आयु वर्ग			नामांकन कक्षा 1 से 8			जी.ई.आर		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
अलसीसर	19089	16025	35114	19814	16841	36657	103.84	105.09	104.39
बुहाना	25035	21470	46505	25772	23384	49126	102.94	108.9	105.6
चिड़ावा	22763	19223	41986	26309	21701	48010	115.5	112.8	114.3
झुन्झुनू	31104	26085	57189	41086	31850	72930	132.09	122.1	127.2
खेतड़ी	30032	24925	54957	33707	28517	62224	112.2	114.4	113.2
नवलगढ़	37849	31368	69217	38164	32598	70762	100.8	103.9	113.7
सूरजगढ़	25259	22319	47578	30700	25552	56252	121.5	114.4	118.3
उदयपुरवाटी	34055	28018	62073	36641	30932	67573	107.5	110.4	108.8
योग	225186	189433	414619	252195	211345	463540	11.99	11.56	11.79

स्रोत – संकुल केन्द्र सहयोगी

ल. ठहराव दर –

1997–98 में कक्षा 1 में 42836 बालक एवं 41507 बालिकाएं नामांकित्त हुई उनमें से 2001–02 में 25329 बालक तथा 21330 बालिकाएं कक्षा 5 में पहुंची। इस प्रकार बालकों की ठहराव दर 59.18 प्रतिशत व बालिकाओं की ठहराव दर 51.38 प्रतिशत रही। जिले की कुल ठहराव दर 55.32 प्रतिशत है जो बहुत कम है। ठहराव दर को बढाये जाने की जरूरत है। इसी प्रकार 1994–95 में 37941 बालक एवं 39328 बालिकाएं कक्षा 1 में नामांकित हुई। इनमें से 2001–02 में केवल 21532 बालक व 15027 बालिकाएं कक्षा 8 में पहुंची। बालकों की

ठहराव दर 56.75 व बालिकाओं की ठहराव दर 38.2 प्रतिशत है। यह अतन्यत शोचनीय है। जिले की कुल ठहराव दर 47.1 प्रतिशत है। जिसका अवलोकन सारणी संख्या 2.12 व 2.13 में किया जा सकता है।

सारणी संख्या– 2.12 ठहराव दर जुलाई 2002

6–11 वर्ष आयु वर्ग

नामांकन 1997–98 कक्षा 1			नामांकन 2001–02 कक्षा 5			ठहराव दर (प्रतिशत)		
छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
42836	41507	84343	25329	21330	46659	59.18	51.38	55.32

सारणी संख्या– 2.13 ठहराव दर जुलाई 2002

6–14 वर्ष आयु वर्ग

नामांकन 1994–95 कक्षा 1			नामांकन 2001–02 कक्षा 8			ठहराव दर (प्रतिशत)		
छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
37941	39328	77269	21532	15027	36559	56.75	38.20	47.31

व. ड्राप आउट दर –

30 सितम्बर 2001 व 15 मई 2002 के नामांकन की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक कक्षा ड्राप आउट दर 8 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही है। सबसे अधिक ड्राप आउट दर कक्षा 1 की बालिकाओं में 11.33 प्रतिशत व सबसे कम ड्राप आउट दर कक्षा 7 के बालकों में देखी गई है। कक्षा 1 से 8 तक के बालकों में देखी गई है। कक्षा 1 से 8 तक के बालकों की ड्राप आउट दर 9.04 प्रतिशत व बालिकाओं की दर 9.49 प्रतिशत है इस दर को कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसको सारणी संख्या 2.15 में देखा जा सकता है–

श. पुनरावृति दर –

सबसे अधिक पुनरावृति दर कक्षा 4 के बालक बालिकाओं में देखी गई है जो कमशः 12.8 व 14.2 प्रतिशत है। सबसे कम पुनरावृति दर कक्षा 1 के बालक बालिकाओं में पायी गई है जो कमशः 3.6 व 3.32 प्रतिशत है। इसी प्रकार कमोन्नति दर सबसे अधिक 89.3 प्रतिशत कक्षा 5 के बालक व 83.8 प्रतिशत बालिकाओं की है। सबसे कम कमोन्नति दर कक्षा 1 के बालकों व कक्षा 2 की बालिकाओं में पाई गई है। जिसको सारणी संख्या 2.15 में देखा जा सकता है।

ष. संकमण दर –

पूर्व कक्षा से अगली कक्षा में संकमण की दर सबसे कम कक्षा 1 से द्वितीय के बालको में तथा कक्षा 1 से कक्षा 2 की बालिकाओं में पाई गई है जबकि सबसे अधिक संकमण दर कक्षा 5 से 6 में बालक व बालिका दोनों की संकमण सबसे ज्यादा है। संकमण दर सारणी संख्या 2.16 का अवलोकन पर पता चलता है।

4. रिक्त पदों की सूचना –

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. प्राप्त सूचना के अनुसार द्वितीय श्रेणी के 77, तृतीय श्रेणी शिक्षा विभाग के 291 व पंचायती राज संस्थाओं के 0 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त महिला पैराटीचर 1, शिक्षा सहयोगी 7, अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी के 12 व शारीरिक शिक्षक पैराटीचर्स के 3 पद रिक्त है। विस्तृत विवरण सारणी 2.17 से देखा जा सकता है।

5 विद्यालयवार अध्यापकों का वितरण –

जिले में अब भी 422 ऐसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजीव गांधी व एवं अन्य विद्यालय है। जिनमें एक अध्यापक कार्यरत हैं। 46 विद्यालय प्राथमिक और 10 विद्यालय उच्च प्राथमिक ऐसे हैं जिनमें एक अध्यापक कार्यरत है। 585 प्राथमिक विद्यालयों तथा 23 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 अध्यापक कार्यरत है। ऐसे 15 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 6 अध्यापक कार्यरत है। 110 राजीव गांधी पाठशालाओं में 2 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं शेष में 1 । ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय केवल 4 हैं जिनमें आठ से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इनका विवरण सारणी 2.19 से देखा जा सकता है।

सारणी 2.20

Distribution of Teachers

Schools	1 Tch.	2 Tch.	3 Tch.	4Tch.	5 Tch.	6 Tch.	7 Tch.	8 Tch.	More than 8 Tch.
PS	46	585	204	67	32	15	8	----	----
UPS	10	23	35	115	82	56	18	6	4
RGSJP	233	110	----	----	----	----	----	----	----
Others	135	AS+Madrasa	----	----	----	----	----	----	----
Total	378	718	239	182	114	71	26	6	4

स्त्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारम्भिक शिक्षा

6 छात्र शिक्षक अनुपात –

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 90667 है तथा शिक्षकों की संख्या 2802 है। इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात 32:1 है जो राजकीय नियमानुसार कम है। सबसे कम 28:1 झुंझुनू पंचायत समिति तथा सबसे अधिक 45:1 उदयपुरवाटी पंचायत समिति का हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 है। यहां सबसे कम अनुपात 13:1 झुंझुनू व नवलगढ़ पंचायत समिति का तथा सबसे अधिक 50:1 उदयपुरवाटी पंचायत समिति का है। राजीव गांधी पाठशाला में 50:1 का अनुपात हैं।

सारणी 2.21

छात्र शिक्षक अनुपात जुलाई 2002

S.No	Block	P.S.			UPS			RGSJP		
		Enroll	No. Of Teacher Working	TPR	Enroll	No. Of Teacher Working	TPR	Enroll	No. Of Teacher Working	TPR
1	Alsisar	10084	288	1:35	9029	219	1:41	1654	30	1:55
2	Buhana	10585	317	1:33	10427	364	1:28	2673	54	1:50
3	Chirawa	9171	295	1:31	7523	256	1:27	1878	43	1:44
4	Jhunjhunu	12132	424	1:28	5282	395	1:13	2090	49	1:43
5	Khetri	15779	398	1:39	14050	381	1:36	4060	76	1:53
6	Nawalgarh	13980	374	1:37	5565	409	1:13	4024	77	1:52
7	Surajgarh	11777	347	1:33	13370	351	1:38	696	16	1:44
8	Udaipurwati	16320	359	1:45	17523	349	1:50	5085	93	1:55
	Total	90657	2802	1:32	82769	2724	1:30	22160	438	1:50

स्त्रोत – संकुल केन्द्र सहयोगी

7 विद्यालयों की भौतिक स्थिति –

जिले में चल रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। जिन विद्यालयों के भवन नही थे उनमें भवन बनवाने का कार्य किया है भवनों की मरम्मत करवाई है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये है। किन्तु ये प्रयास पूर्ण नहीं हुए हैं। अब भी बहुत से विद्यालय ऐसे बच गये हैं जिनकी भौतिक स्थिति सुधारना आवश्यक है। लगभग समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना हैं लगभग 1508 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 647 विद्यालयों में पानी की सुविधा, 800 विद्यालयों में शौचालय बनाया जाना जरुरी है। लगभग 172476 मीटर चार दीवारी बनाये जाने की आवश्यकता हैं 87 विद्यालयों के भवन बनाये जाने आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को परिशिषठ में लगी सारणी से देखा जा सकता है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

भूमिका –

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में अभिवृद्धि करने एवं शिक्षा के विभिन्न नवाचारों, नवीन आयामों, शिक्षण विधियों एवं पद्धतियों से उनको अवगत कराने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। डाइट के माध्यम से सेवारत शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यगोष्ठी एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।

संस्थन के प्रमुख प्रभाग एवं उनके कार्य –

I कार्यानुभव (W.E.) प्रभाग –

1. स्थानीय वातावरण में उपलब्ध सामग्री का सदुपयोग करते हुए कार्यानुभव के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।

2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुरुप समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विषय के नये पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन उपकरणों/विधियों/तकनीकों को इन क्षेत्रों में विकास करना है।
3. कार्यानुभव क्षेत्रों के लिए उचित सेवारत अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
4. उच्च प्राथमिक स्तर के शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जिससे छात्रों में स्वास्थ्य, सफाई एवं विभिन्न खेलों में रुचि जाग्रत कर सके।
5. संस्थान परिसर का सौंदर्यकरण, वाटिका निर्माण, वृक्षारोपण व उनका रख–रखाव व विकास संबंधी क्रियाओं का आयोजन करना।

2. जिला संदर्भ एकक (D.R.U) प्रभाग

1. जिले में सर्वशिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा के लिए योजना निर्माण करना।
2. साक्षरता एवं सतत शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
3. विभिन्न पैराटीचर्स एवं शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
4. जनसंख्या शिक्षा संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
5. विकलांग एकीकृत शिक्षा योजनान्तर्गत शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित करना।
6. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सेक्टर बैठक में भाग लेकर मार्गदर्शनक करना
7. अनुवर्तन कार्यक्रम आयोजित करना।

3. सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रियाएं एवं नवाचार समन्वय (I.F.I.C) प्रभाग –

1. शोध कार्यक्रमों को डर्फ के माध्यम से चलाना व उनके द्वारा सम्पादित अनुसंधानों के शोध सार प्रकाशित करते हुए अनुसंधान मद से शोध सार प्रकाशित करना।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित समस्त आदर्श उ.प्रा.वि. के विशिषट विषय पर आधारित दस दस दिन के भाषा (हिंदी,अंग्रेजी व संस्कृत) विषयों के अभिनवन प्रशिक्षण आयोजित करना।

3. जिला समन्वय समिति की सत्र में 4 बैठकें रखकर प्रतिवेदन एनसीआरटी उदयपुर भेजना।
4. संस्थान के सभी प्रभागों व कार्यक्रमों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना।
5. क्षेत्र की विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए डाइट में पंचांग तैयार कर उसमें क्षेत्र के विशष कार्यक्रमों को समाहित करना।

4.शिक्षा क्रम अधिगम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन (C.M.D.E.) प्रभाग–

1. कक्षा–कक्ष में आन्नददायी स्थितियों के सृजन हेतु प्राथमिक कक्षाओं की दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन को गुणवत्ता आधार प्रदान करने हेतु आन्नददायी शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित करना।
2. राज्य में प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी भाषा को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उसके प्रकाशन हेतु कार्यशाला आयोजित करवाना।
3. प्राथतिक एवं उच्च्च प्राथमिक के शिक्षकों को प्रश्न पत्र निर्माण में दक्षता प्रदान करना।
4. प्राथमिक स्तर पर शिक्षण को गतिशिल बनाने एव समाज की सहभागिता हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. नवीन शिविर आयोजित करना।

5. शैक्षिक प्रोद्योगिकी (E.T.) प्रभाग –

1. कक्षा–कक्ष में शिक्षण अधिगम को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु विषय वस्तु केन्द्रित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषयों के दस–दस दिवसीय प्रशिक्षण एवं अभिनवन प्रशिक्षण आयोजित करना।
2. विज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए स्थानीय परिवेशगत स्थितियों के अनुरुप अल्प व्ययी आधार पर अधिग्रम सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना
3. कम्प्यूटर सजगता कार्यक्रम उ.प्रा.वि. संस्था प्रधानों हेतु आयोजित करना।

4. विद्यालय स्तर पर पर्यावरण विज्ञान बाल मेलों का आयोजन एवं इस हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।

5 श्रव्य दृश्य उपकरणों के अधिकाधिक उपयोग हेतु नवीन शिक्षण तकनीक का लाभ विद्यालयों में पहुंचाने हेतु प्रसार कार्यक्रम आयोजित करना।

6. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु शैक्षिक संगठनों व शिक्षा विभागीय कार्यालयों से सूचना एकत्रित कर जिला स्तरीय समन्क तैयार करना।

7. प्राथमिक एवं उ.प्रा. वि. के प्रधानाध्यापको को शैक्षिक, सहशैक्षिक व्यवस्था एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था जुटाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

8. कार्यक्रम सलाहकार समिति एवं जिला समन्वय समिति की बैठके आयोजित कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरुप कार्यक्रम निर्धारण कर उनका अभिलेख संधारण करना।

9. लाइब्रेरी एडवाजइरी कमेटी की बैठक आयोजित कर पुस्तकालय संचालन की सुचारु व्यवस्था करना।

10. विभागीय निर्देशानुसार कक्षा 8 वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा का समस्त कार्य सम्पन्न करना।

11. डाइट के प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 2 विद्यालयों (प्रा./उप्रा.) के सघन निरीक्षण करने की सम्पूर्ण योजना बनाना।

6. सेवा पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण (P.S.T.E) प्रभाग –

इस प्रभाग का प्रमुख कार्य सेवापूर्व प्रशिक्षण दिलवाना था किन्तु पिछले दो सत्र से राज्य सरकार ने अध्यापकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया है। अतः अब केवल पूर्व में अप्रशिक्षित रह गये अध्यापकों, विधवाओं एवं परित्यकताओं को ही प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा –

1. जिला स्तरीय–

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था द्विस्तरीय है। जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर। विद्यालय स्तर पर भी विद्यालय प्रबंधन समितियां शैक्षिक व्यवस्था का संचालन करती है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जिले की शैक्षिक व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। इनके अतिरिक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अवर उपजिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर कार्यरत हैं। इनका तहसील कार्यालय के पास सरकारी भवन में कार्यलय स्थित है। प्रशासनिक ढांचे को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है।

जिला स्तर

- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.
  - अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि
  - अपर उपशिक्षा शिक्षा अधिकारी
  - शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी

2 ब्लाक स्तर –

जिले में 8 ब्लाक स्थित हैं। प्रत्येक ब्लाक पर पंचायत समिति मुख्यालय पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थित हैं। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के लिए अलग से केवल नवलगढ़ पंचायत समिति में ही कार्यालय बना हुआ है। शेष झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुरवाटी व अलसीसर में विकास अधिकारी कार्यालय में ही एक या दो कमरों में ब्लाक प्रा. शि. अधिकारी व उनके कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ब्लाक में तीन–तीन अतिरिक्त ब्लाक स्तर प्रा. शि. अधिकारी कार्यरत हैं। ये अधिकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। अवलोकन, पर्यवेक्षण के द्वारा दूर–दूर स्थित विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए प्रयासरत है। वर्तमान मे मिड–डे–मील की व्यवस्था भी इन अधिकारियों की जिम्मेदारी बना दी गई है।

ब्लाक स्तर

विकास अधिकारी — ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रा. शि.

अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

3. विद्यालय स्तर –

विद्यालय स्तर पर विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। डीपीईपी द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के बाद अब विद्यालय प्रबंधन समिति भी शैक्षिक व्यवस्थाओं में भागीदारी वहन करती है। अब एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या बहुत कम रह गयी हैं। अधिकतर विद्यालयों में दो अध्यापक कार्यरत हैं। ये आपस में एक –दूसरे के सहयोग से विद्यालय संचालन कर उत्तरदायित्व वहन करते हैं।

अन्य योजनाएं

विद्यालय स्तर

विद्यालय प्रबंधन समिति (11–15) — प्रधानाध्यापक (1)

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) –

अक्टूबर 1999 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कर कमलों से संकुल केन्द्र खानपुर मेव जिला अलवर के शिलान्यास के साथ ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। 2 अक्टूबर 1999 से ही इस जिले ने अपना कार्यक्रम प्रारम्भ किया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण प्राथमिक शिक्षा के समुन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को सामने रखते हुए 39.99 करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए जिला परियोजना तैयार की गई।

शिक्षा के सार्वजनीकरण की चुनौती का मुकाबला करने के लिए जिले के वैकल्पिक विद्यालयों, मदरसा शिक्षा के प्रस्ताव तैयार किये गये। जिले में 67 स्वयं सेवी विद्यालय, 164 वैकल्पिक 6 घंटे विद्यालय 100 वैकल्पिक विद्यालय 4 घंटे, 50 आंगनबाड़ी केन्द्र व 30 मदरसा प्रस्तावित किये गये।

जिले के दूरस्थ एवं दुर्गम आवास स्थलों में शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नही होने, विद्यालय की दूरी अधिक होने व राजकीय मानदण्डों के अनुसार विद्यालय नही खुल सकने के कारण इन दूरस्थ ढाणियों के बालक बालिकायें शिक्षा से वंचित रह जाते है अतः डीपीईपी ने निम्न प्रकार से वैकल्पिक विद्यालय खोलने के मानदण्ड स्थापित किये हैं–

1. जिन आवास स्थलों (गांव/ढाणियों) की आबादी 100 से अधिक हो।
2. जहां पर 1 किमी की परिधी में विद्यालयी सुविधा उपलब्ध ना हो।
3. जिन आवास स्थलों पर 6–11 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 30 अनामांकित बालक बालिकायें हों।

जिले में प्रस्तावित 164 वैकल्पिक विद्यालयों के अधितर स्थानों पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाये खुल गई हैं। डीपीईपी द्वारा 23 वैकल्पिक विद्यालय खोलकर उनमें पैरा टीचर्स की नियुक्ति की गई है।

मुस्लिम बालक बालिकायें विशेषकर बालिकायें जो मदरसें में तो दीनी तालीम तो हासिल कर लेती हैं किन्तु विद्यालयों में नही जा पाती उनके लिये मदरसों मेही पैरा टीचर नियुक्त कर वर्तमान राजकीय शिक्षा व्यवस्था की तरह पाठ्यक को पूरा करवाने के प्रयास किये जा रहे है। 30 मदरसे प्रस्तावित थे उनमें से 16 मदरसे कार्यरत है शेष मदरसे इस वर्ष प्रारम्भ किये जायेगें।

शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के लय यह भी जरूरी है कि विकलांग बालक बालिकाओं को भी सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाये इस प्रकार के बच्चों के लिए डीपीईपी में भी प्रयास किये गये हैं। इदन बच्चों के लिए डीपीईपी में निम्न मानदण्ड स्थापित किये गये हैं–

– अर्द्धविकलांग बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।

– विकलांग बालक बालिकाओं की निःशुल्क मेडिकल जांच करवाना इस हेतु प्रति संकुल लगभग 1500 रूपये का प्रावधान किया गया है।

– विकलांग बालक बालिकाओं को निःशुल्क उपकरण वितरित किये जायेंगे।

–विकलांग बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिय प्रत्येक खण्ड पर संदर्भ अध्यापक लगाये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त डीपीईपी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की महत्ता को समझते हुए 3–6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं के लिए जो विद्यालय पूर्व अवस्था में हैं के लिए 50 ई सी ई केन्द्र खोलने प्रस्तावित किये है। जो खोले जा चुके है।

शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रयासों के अतिरिक्त डीपीईपी कार्यक्रम ने जिले के प्राथमिक विद्यालयों का कायाल्प कर दिया है। अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, विद्यालय भवन का निर्माण, भवन की मरम्मत संकुल केन्द्र भवन व खण्ड केन्द्र भवन का निर्माण करवा कर शिक्षा की भौतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। इसके साथ– साथ प्रत्येक विद्यालय को 2000 रूपये का अनुदान तथा प्रत्येक शिक्षक को 500 रूपये शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रेरक व अभिनव प्रशिक्षण दिये जा रहे है। मासिक समीक्षा बैठकों के आयोजन के माध्यम से शिक्षकों को शैक्षिक चुनौतियों व नवाचार की जानकारी दी जा रही है।

2. शिक्षा कर्मी योजना –

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जिले में शिक्षाकर्मी योजना भी प्रयासरत है। इस योजना के तहत प्रारम्भ में खेतड़ी ब्लाक में दो ग्रामों में शिक्षा कर्मी विद्यालय चालू किये गये। अब नवलगढ़ व उदयपुरवाटी ब्लाक में शिक्षा कर्मी योजना के तहत पैराटीचर्स का चयन कर विद्यालय चालू किये जा रहें हैं। इन विद्यालयों के लिए निम्नानुसार मानदण्ड स्थापित किये गये हैं।

1 6–14 आयु वर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में 25 तथा मैदानी क्षेत्र में 35–40 बालक–बालिकाएं पढ़ने योग्य हों।

2 जहां डेढ किमी. की परिधि में कोई विद्यालय नहीं हैं।

3 गांव वाले सहमत हैं।

4 इस गांव में 8 वीं उत्तीर्ण महिला तथा 10वीं उत्तीर्ण पुरुष मौजूद हैं।

गांव में चयन दल जाकर शिक्षा कर्मियों का प्रारम्भिक चयन करता हैं। जिसमें लिखित परीक्षा, कार्य व्यवहार वंचित वर्ग के प्रति उसकी सोच का पता लगाया जाता है।

3. स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग –

जिले में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्वयं सेवी संगठन भी अपना योगदान दे रहे है। मुख्यतया मोरारका फाउण्डेशन झाझड़, समग्र विकास संस्थान झुंझुनू, शिक्षित बेरोजगार प्रबंधन समिति झुंझुनू, आशा का झरना नवलगढ़ व झुंझुनू, अक्षय प्रतिष्ठान चिड़ावा शिक्षा क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मोरारका फाउण्डेशन ने नवलगढ़ पंचायत समिति में 6–11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करने में सहयोग दिया है। समग्र विकास संस्थन झुंझुनू में झुग्गी झोंपड़ी व बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। उनके 6 विद्यालय झुंझुनू शहर में संचालित हैं।

शिक्षित रोजगार प्रबंधन समिति सूरजगढ़ क्षेत्र में बाल श्रमिक विद्यालय संचालित कर रही है। यह समिति पुस्तकें देने, ड्रेस की मदद, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवानें व शिक्षा सहयोगी की नियुक्ति कर विद्यालय संचालित करती है। अलसीसर पंचायत समिति के दो कस्बों अलसीसर व मलसीसर में शिक्षा दर्पण सर्वे में चिन्हित अनामांकित बालक–बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए वातावरण निर्माण तथा अभिभावकों से सम्पर्क आदि के द्वारा राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सहयोग प्रदान किया है।

आशा का झरना नवलगढ़ व झुंझुनू में विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं।

अक्षय प्रतिष्ठान भी चिड़ावा में विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। गत वर्ष 2001–02 में इस स्वयं सेवी संगठन ने राष्ट्रीय स्तर की खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन कर विकलांग बच्चों में उत्साह का संचार किया हैं तथा जिले की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनायी है।

4. महिला एवं बाल विकास –

जिले में महिला एवं बालविकास योजना के अन्तर्गत शैक्षिक उन्नयन एवं बाल विकास के कार्यक्रम का संचालन समस्त 8 पंचायत समिमियों में किया जा रहा है। डीपीईपी ने भी अपने 50 बाल विकास केन्द्र खोलकर उन्हें समस्त प्रकार से सम्बलन प्रदान कर रहा हैं।

राजस्थान में 0–6 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के साथ–साथ बाल मृत्यु, रुग्णता एवं कुपोषण की दर में कमी लाने उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषाहार की पूर्ति हेतु योग्य बनाने एवं विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम बच्चों के कुपोषण की स्थिति से निपटने उनके विकास व स्वास्थ्य के लिए ठोस कार्यक्रम है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :–

– 0–6 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।

– बालक–बालिकाओं के लिए उचित मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार रखना।

– बाल मृत्यु, मातृ मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण, एमीमिया तथा अन्य रोगों से बचाना

– बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर मे कमी लाना।

– विभिन्न विभागों की योजनाओं में प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

– पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा एवं स्वरोजगार कार्य[मों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रुप से सशक्त करना।

– महिलाओं, बच्चों एवं परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना।

1. सेवाएं –

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं को निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है –

क्र.स.	सेवाएं	पात्रता
1	पूरक पोषाहार	6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताएं

2.	शालापूर्व शिक्षा	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक–बालिका
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15 से 45 वर्ष की सभी महिलाएं
4.	टीकाकरण	0–6 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाएं
5.	स्वास्थ्य जांच	0–6 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाएं
6.	संदर्भ सेवाएं	0–6 वर्ष आयु के बच्चे एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाएं

– पोषाहार का वितरण सप्ताह मे रविवार को छोड़कर प्रतिदिन होता है।

– औसतन प्रति आंगनबाड़ी प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 60 लाभान्वितों का पंजीयन।

– गर्भवती धात्री महिलाओं व 0–3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए साप्ताहिक पोषाहार का घर के लिए वितरण होता है।

– 3–6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए व्यंजन बनाकर प्रतिदिन पोषाहार वितरण किया जाता है।

– शाला पूर्व शिक्षा 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को उपलब्ध करवायी जाती है। बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चार्ट्स, चित्रांकन, कहानियां, गीतों एवं खिलौनों के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है तथा बच्चों के अभिभावकों को उन्हें शाला में दाखिल करवाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

– टीकाकरण का कार्य ए.एन.एम. द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर किया जाता है। बच्चों को टी.बी., गलघोंटू, काली खांसी, पोलियो एवं खसरा के टीके लगाये जाते है। गर्भवती महिलाओं को टी.बी. के टीके लगाये जाते है।

– चिकित्सा अधिकारी था स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा केन्द्र पर पंजीकृत सभी महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है।

बच्चों को विटामिन 'ए' की खुराक, महिलाओं को आयर फोलिक एसिड सुरक्षित प्रसव किट, दवाओं और ओ.आर.एफ के पैकेट वितरित किये जाते हैं।

– प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक निश्चित दिवस पर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस आंगनबाड़ी का समय 4 घंटे के स्थान पर 6 घंटे होता है। इस दिन आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र के अन्तर्गत एक वर्ष से कम आयु के सभी

शिशुओं का टीकाकरण किया जाता है। सभी गर्भवती स्त्रियों का टीकाकरण किया जाता है। प्रसव पूर्व जांच की जाती है।

- 11 से 16 वर्ष की बालिकाओं को हर सप्ताह में एक गोली आयर फोलिक एसिड की दी जाती है। इसमें विद्यालय में जाने वाली बच्चियों को विद्यालयों में तथा शेष को आंगनबाड़ी से गोली दी जाती है।
- आंखों में होने वाले रोगों, अन्धता व रतौंधी से बचाने के लिए विशेष अभियान के अन्तर्गत हर 6 माह में 1–5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 30 अप्रेल व 30 अक्टूबर को विटामिन 'ए' का घोल पिलाया जाता है।
- सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकन बोर्ड, नवजात शिशु एवं वयस्कों के स्वास्थ्य सुधार तथा तौलने की मशीन उपलब्ध करवायी जाती है। बच्चों के समग्र विकास की दृष्टि से खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खेल किट, स्थानीय खिलौने, फिसल पट्टी आदि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

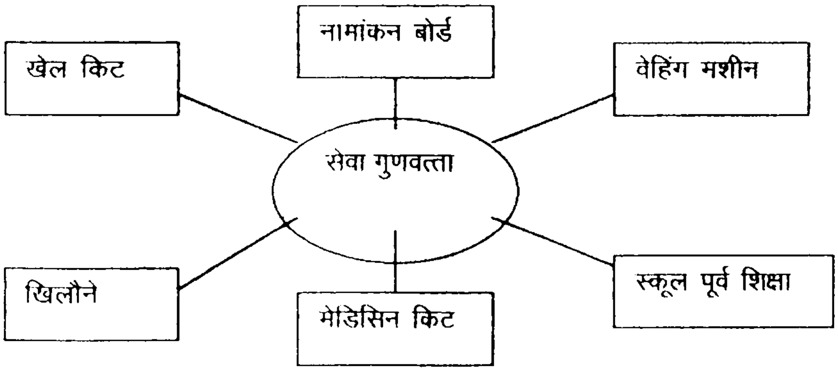

- सुदृढ़ एवं कुशलता पूर्वक सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के रुप में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यतः चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायतीराज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में परस्पर समन्वयन किया जा रहा है।

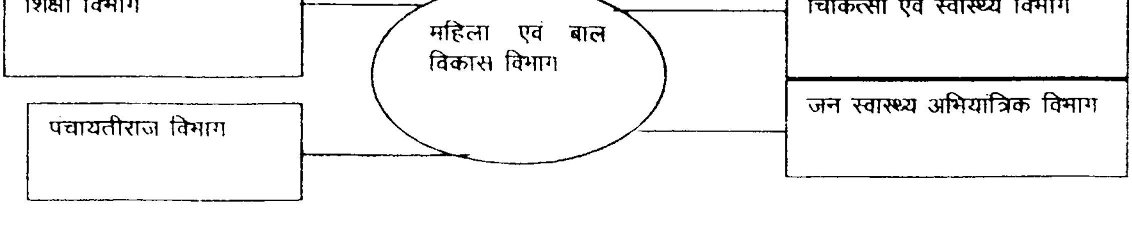

सारणी 2.25 जिले में सं[illegible] योजना एक नजर में

क्र.स.	ब्लाक का नाम	I[illegible]रा संचालित [illegible]न्द्र	डीपीईपी द्वारा संचालित केन्द्र
1.	अलसीसर	113	10
2.	बुहाना	173	13
3.	चिड़ावा	125	—
4.	झुंझुनू	151	—
5.	खेतड़ी	180	14
6.	नवलगढ़	181	—
7.	सूरजगढ़	128	13
8.	उदयपुरवाटी	188	—
	योग	123[illegible]	50

2. आंगनबाड़ी की प्रशासनिक व्यवस्था –

उपनिदेशक ⟶ सी.डी.पी.ओ ⟶ पर्यवेक्षक⟶ [illegible]नबाड़ी कार्यकर्त्ता⟶ सहायिका (आंगनबाड़ी केन्द्र)

3. डीपीईपी द्वार पर्यवेक्षण व्यवस्था –

डीपीईपी के संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी [illegible] कम से कम एक बार अवलोकन कर केन्द्र संचालन की व्यवस्थाओं का जायजा लेते है। स[illegible]भिलेखों का अवलोकन कर ब्लाक व जिला प्रभारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस आधार[illegible]हिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित केन्द्र की कार्यकर्त्ता को 150 रुपये प्रति माह एवं स[illegible] को 50 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रुप मे दिया जाता है।डीपीईपी द्वारा संचालित केन्द्रों प[illegible]ण प्रदान करने के बाद प्रेरकों की नियुक्ति की गई है तथा इन्हें 400 रुपये प्रतिमाह मानदेय [illegible] जाता है।

5. समाजकल्याण योजना –

जिले में जिला समाज कल्याण अधिक[illegible] कार्यालय इन्दिरा नगर में स्थित हैं। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, अनु[illegible]जनजाति के छात्रों के अध्ययन के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था कर रखी है। य[illegible] उनके भोजन, आवास, वस्त्र, स्टेशनरी आदि की मुफ्त व्यवस्था है। शिक्षा विभाग द्वारा [illegible]त्रवृति का प्रबंधन भी यह विभाग करता है। विकलांगों के पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति[illegible]रोजगारी भत्ता दिया जाता है समाज

कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न मदों पर किया गया व्यय का निम्न सारणी के द्वारा अवलोकन किया जा सकता है।

सारणी 2.26
समाज कल्याण विभाग का व्यय

क्र. स.	मद विवरण	व्यय की गई राशि			
		1999–2000	2000–01	2001–02	योग
1.	विकलांग छात्रवृत्ति (प्रथम से एम.ए. तक)	151415	196295	199805	547515
	लाभान्वित छात्र	255	340	364	959
2.	निराश्रित बालक	60275	50000	67900	148175
	लाभान्वित छात्र	15	12	22	49
3.	छात्रावास व्यय	–	24.23	28.10	52.33
	लाभान्वित छात्र	–	423	434	857

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकलांग छात्रवृत्ति 959 बालक–बालिकाओं को वितरित की गई। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक के बालक–बालिकाओं को 40 रुपये प्रतिमाह 10 माह के लिए कक्षा 5 से 8 तक 50 रुपये प्रतिमाह के लिए व कक्षा 9 से प्रथम वर्ष तक 90 रुपये प्रतिमाह 10 माह तक के लिए व कक्षा द्वितीय वर्ष से फाइनल तक 125 रुपये प्रतिमाह 10 माह तक के लिए आवंटित किये जाते है।

निराश्रित बालक–बालिकाओ पर किया गया व्यय 1,48,175 रुपये था जो उनके आवास सुविधा, भोजन व्यवस्था, शिक्षा और वस्त्रादि पर ,खर्च किया गया।

छात्रावास में प्रतिव्यक्ति 675 रुपये मासिक खर्च आता हैं। इनमें से 525 रुपये भोजन पर, 70 रुपये तेल–साबुन, बिजली,, पानी,, धुलाई, समाचार पत्र पर प्रति छात्र प्रतिमाह खर्च किया जाता है। प्रति माह प्रतिछात्र 80 रुपये जूते, स्वेटर, ड्रेस पेन्ट, शर्ट, जुराब आदि पर खर्च किया जाता हैं। 60 रुपये स्टेशनरी पर वार्षिक खर्च की जरुरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। ये छात्रावास शिक्षा की सार्वजनीकरण की चुनौती का मुकाबला करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

6.आपरेशन ब्लेक बोर्ड –

जिले के कुछ विद्यालयों को आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के तहत उपकरणों, शिक्षक आदि की मदद देकर शिक्षा के सार्वजनीकरण मे सहयोग प्रदान किया हैं। इस वित्तीय वर्ष =

जिले में 38 अध्यापक व 6 अध्यापिकाएं कार्यरत थी। उनके वेतनमद में माह अगस्त में कुल 1889643 रुपये व्यय किये गये जिनमें 15 लाख 60 हजार 45 सौ सतानवें रुपये पुरुष वेतन पर एवं 3 लाख 29 हजार छियालीय रुपये महिलाओं के वेतन पर खर्च की गये।

अध्याय – 3
योजना प्रक्रिया

भूमिका –

सर्व शिक्षा अभियान की सम्पूर्ण योजना निर्माण के लिए यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि सर्वशिक्षा अभियान सर्वव्यापी,, सर्व सुलभ शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यकम सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ, एक अभियान के रुप में लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा लिंग विभेद को समाप्त, करने सामाजिक विषमता को खत्म करने की परिकल्पना की गई है।

इस अभियान में राज्य व केन्द्र का अंशदान 15:85 नवीं पंचवर्षीय योजना में, 75:25 दसवीं पंचवर्षीय योजना में एवं इसकें पश्चात 50:50 की साझेदारी का रखा गया है। यह अभियान सामुदायिक सहभागिता तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित है। ग्राम/ढ़ाणी/मजरा को निर्माण कर इकाई मान कर ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर योजना निर्माण इसकी प्रमुख विशेषता है। ऐसी स्थिति में योजना प्रक्रिया निर्धारित किया जाना कार्यक्रम की सफलता की गारण्टी माना जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर विभिन्न बैठकों का आयोजन कर आवश्यकता आधारित योजना का निर्माण किया जाना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस अध्याय में योजना प्रक्रिया के विभिन्न आयामों को अलग–अलग शीर्षकों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।

1.योजना समिति का गठन –

सर्वप्रथम जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सर्वशिक्षा अभियान की योजना निर्माण के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का निम्नानुसार गठन हुआ :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.

4. जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि.
5. जिला परियोजना समन्वयक डीपीईपी
6. प्राचार्य डाईट
7. सहायक परियोजना समन्वयक प्लानिंग
8. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि
9. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी प्रा.शि
10. सहायक लेखाधिकारी, डीपीईपी

2. ब्लाक स्तर पर कमेटी का गठन –

ब्लाक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान योजना निर्माण के लिए तीन सदस्यों की एक योजना निर्माण समिति का गठन किया गया जो इस प्रकार है :–

1. ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
2. खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी
3. एक संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी

3. विद्यालय स्तर पर कमेटी का गठन –

डीपीईपी योजना के माध्यम से संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी के सहयोग से प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संस्कृत विद्यालयों एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं, वैकल्पिक विद्यालयों व मदरसों में विद्यालय प्रबंधन व मदरसा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया। इस समिति में विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य सचिव संस्था प्रधान को सौंपा गया।

4.विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन –

सर्वशिक्षा अभियान की योजना निर्माण से पूर्व विद्यालय, ब्लाकस्तर की व जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में उभरे विभिन्न मुद्दों व समस्याओं का संकलन किया गया। तदनुरुप इस योजना में इन समस्त मुद्दों को शामिल किया गया जो बैठकों में शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, शैक्षिक जगत में कार्य करने वाले अधिकारियों, शिक्षक संघों के सदस्यों ने समय–समय पर उठाया।

5.विद्यालय स्तर पर बैठकें –

डीपीईपी में कार्यरत संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगियों की उपस्थिति में जुलाई 2001 व फरवरी 2002 में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों की बैठकों का आयोजन जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में किया गया। इन बैठकों में सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के केचमेण्ट एरिया में आने वाले प्रत्येक ढाणी, ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक–बालिका की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना था। इन बैठकों में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को अनामांकित बालक–बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने का व्यक्तिगत उत्तर दायित्व सौंपा गया। ग्राम ढ़ाणी के ऐसे परिवारों की सूची बनायी गई जिनके बालक–बालिका किसी भी कारण से विद्यालय जाने से वंचित हैं।

इस सूची का शाला दर्पण 2000 की सूची से मिलान किया गया और सूची के अंपडेशन का कार्य करवाया गया। पलायन करने वाले परिवारों की सूची तैयार की गई व उन परिवारों में 6.14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की नामों सहित सूची बनाई गई। फरवरी 2002 की बैठकों में जुलाई माह में तैयार की गई सूची के अनुसार अनामांकित बालक–बालिकाओं की नामांकन की स्थिति, विद्यालय की आवश्यकताओं, अध्यापकों की आवश्यकताओं, प्रशिक्षण की स्थिति आदि पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। उत्साहपूर्वक लोगों ने बैठकों में भाग लिया और अपनी समस्याएं सामने रखी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर सामने आये।

अग्र तालिका से इन मुद्दो का विवरण जाना जा सकता है :–

क्र.स.	समय	बैठक का स्थान	बैठक में भाग लेने वाले सदस्य	चर्चा के विषय	मुद्दे जो उभरे
1.	जुलाई 01 व फरवरी 02	रा.प्रा.वि.	विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य, विद्यालय के शिक्षक, संकुल केन्द्र प्रभारी, शैक्षिक अभिरुचि रखने वाले वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, नवयुवक, छप्पड़ के सदस्य	– 6से14 वर्ष आयु के बालिक–बालिका – विद्यालय न जाने वाले बालिक–बालिका – विद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था – विद्यालय की भौतिक स्थिति – विद्यालय में टायलेट व जल की व्यवस्था – विद्यालय में छात्र व शिक्षकों का अनुपात – अध्यापकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति – शिक्षा की गुणवत्ता – ग्राम, ग्रामीवासियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु – पलायन करने वाले परिवार – इन परिवारों के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था – बाल श्रमिकों की पहचान – घरेलू कार्यों में सहयोग करने वाले बच्चों की संख्या विकलांग बच्चों की जानकारी व उनकी शिक्षा व्यवस्था बालिका शिक्षा की स्थिति	– विद्यालयों में बालक–बालिकाओं का ठहराव कम है। छोटी कक्षा के बालक–बालिका मध्यान्तर के बाद वापस विद्यालय नहीं आते। – विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक नहीं हैं। शहर के पास के विद्यालयों में शिक्षक अधिक हैं जबकि खेतड़ी, उदयपुरवाटी व नवलगढ़ ब्लाक के दूर–दराज के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। – सड़क के किनारे के विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या अधिक है जबकि सड़क से दूर के विद्यालयों में अध्यापक कम है। – विद्यालय में अध्यापक रुकते नहीं हैं। – अध्यापकों का विद्यालय में आने का समय बस के समय के अनुसार निर्धारित है। – अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। – विकलांग बालक–बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए तथा विभिन्न उपकरण दिलवाये जाने चाहिए – पलायन करने वाले परिवारों के बालक–बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है। – गृहकार्य में सहयोग करने वाले बच्चों के लिए सायंकालीन विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। – नामांकन की स्थिति संतोष जनक है। किन्तु बच्चों के ठहराव वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। – छोटे बालक–बालिकाओं के लिए विद्यालय की दूरी आधा किमी. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। – मुस्लिम बालक–बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन बैठकों के बाद विद्यालय स्तर की योजना निर्माण कर संकुल स्तर पर भेजी गई। संकुल स्तर पर आवश्यकताओं का आकलन कर योजना बनायी गई इस योजना को मार्च 2002 में खण्ड स्तर पर खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी को भेजी गई।

6. खण्ड स्तर पर बैठकों का आयोजन :–

सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी देने व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से खण्ड स्तर की योजना निर्माण के लिए जिले की 8 पंचायत समितियों में ब्लाक शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सितम्बर, दिसम्बर 2001 व मार्च 2002 में किया गया। इन बैठकों में प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत समिति की शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षाविदों, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, शिक्षक संगठन के सदस्यों व विकास अधिकारी को बुलाया गया। इन बैठकों में सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी प्रदान की गई। डीपीईपी के खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी ने डीपीईपी योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि सर्वशिक्षा अभियान में भी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकों को केन्द्र बनाकर

उन्हे 2007 तक पांचवीं तथा 2010 तक आठवीं उतीर्ण करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी। इन्ही बैठकों में संकुल से प्राप्त योजना की चर्चा की गई व जनप्रतिनिधियों को अपने सुझाव देने हेतु कहा गया। जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों ने डीपीईपी के कार्यो की सराहना की व उत्साहपूर्ण सर्वशिक्षा अभियान की योजना निर्माण व क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदार रहकर सहयोग करने की इच्छा जताई।

क्र. स	तिथि	स्थान	बैठक का आयोजन कर्ता	बैठक में उपस्थित लोग पु. म. योग	चर्चा के विषय	मुद्दे जो उठाये गये	निष्कर्ष
1.	दिसम्बर 2001	अलसीसर	BRCF	प्रधान,सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, शिक्षक ब्लाक शिक्षा समिति के सदस्य	सर्वशिक्षा अभियान क्या? योजना निर्माण? ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, भवनों की आवश्यकता	– विद्यालय समय पर खुलें – अध्यापक गांवों में रुकें –अप–डाउन की समस्या का समाधान हो – महिला अध्यापिका सर्दियों के दिनों में स्वेटर बुनने का कार्य करती हैं। – महिला अध्यापिका अपने छोटे बालक–बालिकाओं को विद्यालय के बच्चों से खिलवाती हैं। – अध्यापक झुण्ड बनाकर बैठे रहते हैं। – अध्यापक विद्यालयों से बाहर दुकानों पर बैठे रहते हैं। – विद्यालयों में कमरों का अभाव है। – विद्यालयों में	– विद्यालय भवनों का निर्माण – अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माण करवाया जाए – विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था हो – जल की पर्याप्त सुविधाएं – चारदीवारों का निर्माण करवाया जाए – शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए – विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था हो। –
2.	8–2–02	बुहाना	BRCF	" "	शौचालय, जल व्यवस्था अतिरिक्त कक्षा–कक्ष विद्यालय समय पर खुलना, विद्यालयो में शिक्षकों की व्यवस्था, शिक्षा की वैक्ल्पिक व्यवस्था अध्यापकों का विद्यालयों में रुकना, नामांकन		
3.	मार्च 2002	चिड़ावा	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	" "	वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा नामांकन, बालिका शिक्षा वंचित वर्ग की शिक्षा, विकलांग शिक्षा, आंगनबाड़ी कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा आपके द्वार		

4.	मार्च 2002	**झुंझुनूं**	**BRCF**	नगरपालिका चेयरमेन, वार्ड पार्षद, प्रधान, पंचायत, समिति सदस्य, शिक्षाविद्, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य	अल्पसंख्यकों की शिक्षा वंचित वर्ग की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय भवनो का निर्माण, कमजोर वर्ग की शिक्षा	अभिभावकों को आमंत्रित नही किया जाता – उत्सव, त्यौहार, शनिवारीय कार्यक्रमों का आयोजन नही होता – शिक्षकों का	विद्यालयों में खेल सामग्री दी जाये – शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री
5.	**दिसम्बर** 2001	**खेतड़ी**	**BRCF**	" "	बाल श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था, झुग्गी झोपडी के बालक –बालिकाओं की शिक्षा, पोषाहार कार्यक्रम बालिका शिक्षा, आनन्ददायी शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान	विद्यालय आने का समय बस के समय के अनुसार निर्धारित होता है। – विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था नही है। – पलायन करने वाले बालक–बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था नही है। – विद्यालयों में मरम्मत की	उपलब्ध करवायी जाए – शिक्षण अभियावक संघों का गठन का नियमित बैठकें बुलायी जाए – खेल–कूद
6.	मार्च 2002	**नवलगढ़**	**ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा**	" "	स्लम बस्ती के बालक –बालिकाओं की शिक्षा आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों की शिक्षा मट्टों पर चले जाने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा, बूंदी बांधने वाली बालिकाओं की शिक्षा	आवश्यकता है। – विद्यालयों के चारदीवारी के अभाव के कारण वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता – विद्यालयों में समय पर सूचनाएं नहीं पहुंचती – विद्यालय मे आवश्यक संसाधनों का अभाव है। – विद्यार्थियों एवं	प्रतियोगिताओं का आयोजन हो – पाठ्य सहगामी प्रवृतियों का आयोजन किया जाए – 0–6 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के

7.	8–2–02	सूरजगढ़	BRCF	नगरपालिका चेयरमेन, वार्ड पार्षद, प्रधान, पंचायत, समिति सदस्य, शिक्षाविद्, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य	रेल्वे स्टेशन पर बसने वाले बालक –बालिकाओं झुग्गी झोपडी वाले बालक –बालिकाओं की शिक्षा, ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों की शिक्षा नटों की बस्ती में शिक्षा व्यवस्था नरहड़ पीरबाबा के मेले पर जाने वाले बच्चों की शिक्षा रेल में बूंट पालिस व भीख मांगने वाले बच्चों की शिक्षा	शिक्षकों के बैठने के लिए दरी पट्टियों एवं फर्नीचर का अभाव है। – शिक्षक कार्य की जांच समय पर नहीं होती। – पुस्तकालय का अभाव है। – सतत मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है। – शिक्षक मूल्यांकन विधियों से अवगत नहीं है। – खेल–कूद की प्रतियोगिताओं का अभाव है। तथा सायंकालीन व प्रातः कालीन खेल लगभग समाप्त हो गये हैं। – विद्यालयों में भयमुक्त वातावरण बनाया जाए	शिक्षण व्यवस्था है। – पोषाहार वितरित किया जाए – बालकों के बैठने हेतु दरी पट्टिया व शिक्षकों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाए – अपडाउन पर रोक लगायी जाए – ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की जाए – अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था की जावे – पलायन करने वाले विद्यार्थियों के लिए हास्टल व्यवस्था की जावें – वैकल्पिक विद्यालय खोले जाए – मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था हो
8.	दिसम्बर 2001	उदयपुरवाटी	BRCF	" "	कालबेलिया बस्ती के बच्चों की शिक्षा, रेवड़ व पशुपालन करने वाले परिवार के बच्चों की शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था, पहाड़ी क्षेत्र में विद्यालय व्यवस्था		

7. जिलास्तर पर बैठकों का आयोजन :–

जिला कलेक्टर श्रीमान ए.सी. भट्ट की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर समागार में सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्माण के लिए एक संक्षिप्त बैठक 3 अगस्त को बुलायी गई। इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. श्री हरिराम महण, जिला परियोजना समन्वयक श्री मोहम्मद अयूब खां, सहायक परियोजना समन्वयक योजना निर्माण श्री पितराम सिंह गोदारा, सहायक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्री सवाईसिंह उपस्थित रहे। इस बैठक में सर्वशिक्षा अभियान क्या है ? कैसे इसका क्रियान्वयन होगा ? कौन–कौन सी समितियों का गठन होगा ? योजना की अवधि क्या होगी ? आदि विषयों पर विचार विमर्श हुआ तदुपरान्त जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सर्वशिक्षा अभियान की योजना निर्माण के लिए विभिन्न स्तर की कमेटियों को गठन किया गया।

जिला स्तर पर पहली बैठक फरवरी माह में आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के समस्त विधायकों, प्रधानों, नगरपालिका के अध्यक्षों, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों, जिला प्रमुख, जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों, विकास अधिकारियों, जिला शैक्षिक समिति के सदस्यों, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों पत्रकारों, शैक्षिक संगठन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्माण के लिए आवश्यक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। ब्लाक से प्राप्त योजना पर भी विचार–विमर्श हुआ और जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्यों से अपने–अपने क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं, शैक्षिक आवश्यकताओं पर विचार व्यक्त करने एवं उनके सुझाव देने का आग्रह किया गया। इस बैठक का विवरण एवं उभरे मुख्य मुद्दों को निम्न तालिका से देखा जा सकता है।

	बैठक की तिथि	आयोजन कर्ता	आयोजन स्थल	उपस्थित सदस्य	चर्चा के विषय	निष्कर्ष
1.	3-8-02	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर सभागार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. जिला परियोजना समन्वयक डीपीईपी सहायक परियोजना समन्वयक योजना सहायक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	सर्वशिक्षा अभियान के क्षेत्र प्रभावित बालक बालिका समूह प्रभावित विद्यालय क्षेत्र क्रियान्वयन के समितियों का गठन योजना निर्माण	– जिला स्तर, ब्लाक स्तर व विद्यालय स्तर पर समितियों का गठन, प्रत्येक स्तर पर योजना निर्माण किया जाये, आंकड़ों का संकलन, बैठकों का आयोजन किया जाए
2	12-2-02	जिला कलेक्टर डीपीसी	जिला कलेक्टर	जिले के विधायक, प्रधान, सरपंच, शैक्षिक समिति के सदस्य, जिला अधिकारी ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी विकास अधिकारी, नगरपालिका केन्द्र अध्यक्ष, जिला आयोजन एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, शैक्षिक संगठनों के सदस्य कुल	– योजना निर्माण – नामांकन की स्थिति ठहराव की समस्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शिक्षकों का विद्यालयों में न पहुंचना शिक्षकों का छात्र अनुपात में पदस्थापन न होना – 8 वीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कक्षा 8 तक पोषाहार वितरण –विद्यालय भवनों का निर्माण – अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण विद्यालयों में जल सुविधा उपलब्ध करवाना – लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग पेशाब घर का निर्माण चारदिवारी का निर्माण भवनों की मरम्मत अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति खेल सामग्री का वितरण – बच्चों का 8वीं कक्षा तक स्वास्थ्य परीक्षण – पलायन करने वाले बच्चों के लिए हास्टल की व्यवस्था विद्यालयों में पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था एवं नियमित पुस्तक वितरण छात्राओं के लिए अलग से खेलकूद की व्यवस्था – विद्यालयों में उत्सव त्यौहार आदि का मनाया गया विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक का समय समय पर आयोजन – जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना – शिक्षक अभिभावक संघों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी आयु की बच्चियों के लिए मुख्य धारा की शिक्षा की व्यवस्था करना शिक्षकों का असमान वितरण – अप शासन की समस्या	– निःशुल्क पुस्तक वितरण पर जोर दिया – कक्षा 8 तक मिड–डे–मील की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया – नामांकन पर संतोष जताया – ठहराव के प्रयास के लिए आनन्ददायी शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु सहयोग देने पर सहमति – अतिरिक्त कक्षा कक्ष जल व्यवस्था, शौचालय निर्माण पर सहमति – शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया तथा आवश्यकता बताई गई – मदरसों में पैराटीचर की नियुक्ति पर सहमति – नामांकन वृद्धि पर अतिरिक्त पैराटीचर की नियुक्ति की आवश्यकता – प्रत्येक 1/2 किमी की दूरी पर शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी 3 किमी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय आवश्यक रूप से हो इस पर सहमति बनी – विद्यालयों में चार–दिवारी के निर्माण पर जोर दिया गया – उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल मैदान की आवश्यकता पर सहमति बनी

8. शिक्षा आपके द्वार योजना –

संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 55 वर्षों के बाद भी हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये है। वर्तमान राजस्थान सरकार का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना रहा है। अतः सरकार ने 15 आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं में शिक्षा के सार्वजनीकरण को प्रथम प्राथमिकता माना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस नारे [redacted]। [redacted]।। [redacted]

(पानी बचाओ। बिजली बचाओ।। सबको पढ़ाओ।।।)

से भी शिक्षा की प्राथमिकता का आभास मिलता है। यही नहीं अपनी इस प्राथमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 15 नवम्बर 2001 को माननीय मुख्यमंत्री ने 'शिक्षा आपके द्वार' नामक अनूठी योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य सन् 2003 तक 6–14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त 23 लाख (18 लाख ग्रामीण व 5 लाख शहरी) अनामांकित बालक–बालिकाओं को विद्यालयों या शिक्षा की अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जोड़ना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अन्य सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, सीडीपीओं व डीपीईपी के अधिकारी है। ब्लाक स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है। इनमें ब्लाक शिक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि शामिल है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों का समय–समय पर बैठकों का आयोजन होता है इन बैठकों में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है तथा सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है।

9. शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 –

मई–जून 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त अनामांकित बालक–बालिकाओं का सर्वे करवाया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 7174 बालक–बालिका विभिन्न कारणों से अनामांकित पाये गये। इन बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई 2000 में विशेष शाला प्रवेशोत्सव अभियान चलाया।

11. शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 आदिनांक –

जिले में नवम्बर 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर सर्वेदलों का गठन कर शिक्षा दर्पण का अपडेशन करवाया गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1669 शिक्षा से वंचित पाये गये। इनमें से 167 शारीरिक रुप से असक्षम तथा 123 बच्चे बड़ी उम्र के पाये गये। 4

द्वारा एक रजिस्टर में समस्त सुझावों, समस्याओं एवं आवश्यकताओं को दर्ज किया गया। इन अभियानों में शिक्षा दर्पण 2000 के आंकड़ों के आधार पर ग्रामों में अनामांकित बालक–बालिकाओं का उत्तरदायित्व सौंपा जाता रहा और अनामांकित बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित करवाया गया। जिला कलेक्टर महोदय स्वयं ने इस को मॉनीटर किया। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक डीपीईपी भी इस अभियान में विभिन्न शिविरों में उपस्थित होते रहे। इस अभियान के बाद 288 ग्राम पंचायतों में 155 ग्राम पंचायतें ऐसी रही जिनमें एक भी बालक–बालिका अनामांकित नहीं रहे। 95 ग्राम पंचायतों में 5 से कम अनामांकित बालक–बालिका बचे और शेष 38 ग्राम पंचायते ही ऐसी बची जिनमें 5 से अधिक अनामांकित बच्चे शिक्षा से जुड़ने से वंचित रहे।

14. मार्च 2002 का विशेष अभियान –

जिला कलेक्टर ए.सी. भट्ट ने मार्च 2002 में जिले के 6–14 वर्ष आयु के समस्त बालक–बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन के लिए एक विशेष अभियान चलाया। 12 फरवरी 2002 की डीपीईपी की गवर्निंग कौंसिल की बैठक में जन प्रतिनिधियों से शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया गया तथा विभिन्न शिक्षा अधिकारियों, संकुल केंद्र प्रभारियों को दायित्व सौंपा गया। पुनः 23 मार्च 2002 की डीपीईपी की निष्पादन समिति की बैठक में समीक्षा की गई। इस विशेष अभियान के परिणाम स्वरुप 31 मार्च 2002 तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 1632 बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाना शेष रहा।

15. सामाजिक सर्वेक्षण –

जिले में एक स्वयं सेवी संस्था मोरारका फाउण्डेशन ने सामाजिक सर्वेक्षण कार्य किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार जिले में शहरी क्षेत्र के विद्यालय नहीं जाने वाले छात्र–छात्राओं में 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 01 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों के तथा 49 प्रतिशत सामान्य वर्ग के हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में

12. शिक्षा दर्पण 2002 (शहरी क्षेत्र) –

ग्रामीण क्षेत्र में शत–प्रतिशत नामांकन की ओर अग्रसर इस जिले ने अब शहर की ओर ध्यान दिया। 26 जनवरी 2002 में 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के साथ ही शहरों के अनामांकित बालक–बालिकाओं का सर्वे भी करवाया गया। प्रत्येक शहर के लिए एक नॉडल अधिकारी की नियुक्ति कर वार्डवार नॉडल अधिकारी बनाये गये एवं सर्वे दलों का गठन कर उन्हें सर्वे हेतु डोर–टू–डोर भेजा गया। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्टों को समेकित किया गया। इन रिपोर्टों के आधार पर जिले के कुल 11 शहरों में 1580 बालक +2105 बालिका कुल 3685 बच्चे अनामांकित पाये गये। नवलगढ़ शहर के स्लम क्षेत्र में 101 बालक 116 बालिका कुल 217 अनामांकित पाये गये। इनमें से शारीरिक रुप से असक्षम 71 बड़ी उम्र के 281 बच्चे थे। 16 शहरी बच्चों की मृत्यु हो गई तथा 286 बच्चों ने पलायन किया। शहर में 665 बच्चों के कठिन मामले सामने आये। सर्वे रिपोर्ट इस तालिका से देखी जा सकती है।

क्र. स.	सर्वे का प्रकार	6–14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या			नामांकित बच्चों की संख्या			अनामांकित बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	शिक्षा दर्पण 2000	202767	166667	369431	200157	160914	361071	....	....	7174
2.	शिक्षा दर्पण 2000 आदिनांक	199410	167213	366623	198695	166259	364954	715	954	1669
3.	शिक्षा दर्पण 2002 (शहरी क्षेत्र)	32601	27411	60012	31021	25306	56527	1681	2221	3902

13. प्रशासन गांव के संग अभियान –

जिले में माह अक्टूबर 2001 से माह दिसम्बर 2001 तक प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर डीपीईपी के संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी को नियुक्त किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. के निर्देशानुसार एक ब्लाक स्तरीय शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई। इन अभियानों में शैक्षिक आवश्यकताओं, समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था।

24.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 3.38 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के, 36.59 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के व शेष 35.44 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बालक–बालिका हैं।

इस अध्ययन से एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता हैं कि लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। अब वे शिक्षा के प्रति जागरुक होने लगे हैं अतः जिले में 6 से 14 आयु वर्ग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बहुत कम बालक–बालिका ही विद्यालय से बाहर हैं। ग्रामीण क्षेत्र को जॉब के लिए आवश्यक माना जाने लगा। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्यादा उत्सुक नजर आयी। जिला साक्षरता अभियान के वातावरण निर्माण कार्यक्रम ने भी सोच में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब लोगों में शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, घुम्मकड़ जातियां, गाड़िया लुहार आदि में शैक्षिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। गाड़िया लुहारों के बच्चे विद्यालयों में जाने लगे हैं। उदयपुरवाटी पंचायत समिति के केड ग्राम पंचायत में नदी में बसी कालबेलिया बस्ती के नाम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

16. बेस लाइन सर्वेक्षण –

जिले में राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान झुंझुनूं के माध्यम से बेस लाइन-सर्वेक्षण का कार्य करवाया। इस सर्वेक्षण के लिए 22 व्यक्तियों को जिले की विभिन्न स्कूलों के सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया। इस सर्वेक्षण से प्राप्त नतीजों के अनुसार गणित में 55 प्रतिशत, हिन्दी में 68.2 प्रतिशत व पर्यावरण अध्ययन में 72.4 प्रतिशत उपलब्धि स्तर रहा। जिले के ग्रामीण आंचल व दूर–दराज के क्षेत्रों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक वर्ग, कामकाजी बच्चों का उपलब्ध स्तर अपेक्षाकृत न्यून रहा है।

17. समस्याओं एवं मुख्य मुद्दे –

विभिन्न स्तरों की बैठकों में विचार–विमर्श के दौरान कुछ समस्याये उभरी एवं अनेक मुद्दे उठाये गये। उनमें से कुछ समस्यायें एवं मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :–

18. पहुंच की समस्या –

यद्यपि जिले के प्रत्येक राजस्व ग्राम, ढ़ाणियों में प्राथमिक विद्यालय चल रहे है। कुछ ढ़ाणियां ऐसी हैं जिनके बालक–बालिकाओं को 1 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय में जाना पड़ता है। ऐसे स्थानों के लिए निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार डीपीईपी में वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था की गई है।

किन्तु अब भी ऐसे अनेक ग्राम, ढ़ाणियां हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था नही है। इन गांव, ढ़ाणियों के बालक–बालिकाओं को 3–4 किमी. तक पैदल चलना पड़ता है। इस कारण या तो कुछ बड़ी उम्र की बालिकाएं या छोटी उम्र के बालक–बालिका उ.प्रा.वि. कक्षाओं के अध्ययन के लिए नहीं जा पाते और ड्राप आउट दर बढ़ जाती है।

19. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण की समस्या –

शिक्षा में गुणवत्ता की समस्या जिले में महत्वपूर्ण समस्या है। उच्च साक्षरता दर वाले इस जिले के अभिभावक बहुत जागरुक हैं। वे अपने बालक–बालिकाओं को गुणवतापूर्ण शिक्षण दिलवाना चाहते है। राजकीय विद्यालयों के शिक्षण कार्य से उनका मोहभंग होता जा रहा है। वे अपने बालक–बालिकाओं को निजी क्षेत्र के विद्यालयों में भेजने लगे हैं। राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं में उस स्तर का ज्ञान नहीं पाया जाता जिस स्तर की वे कक्षा उत्तीर्ण करके आये हैं। कभी–कभी तो ऐसा भी देखने में आया है कि पांचवी उत्तीर्ण बालक–बालिका की हिन्दी पढ़ना व लिखना नहीं आता। बेस लाइन सर्वेक्षण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

20. वंचित वर्ग की शिक्षा की समस्या –

कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इनमें बालिका शिक्षा, विकलांग बालक–बालिकाओं की शिक्षा, घुमक्कड जातियों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, भीख मांगने वाले, कागज बीनने वाले बच्चों की शिक्षा, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बालक–बालिकाओं की शिक्षा, बाल–श्रमिकों की शिक्षा रेल्वे स्टेशन, सड़क के

किनारे रहने वाले बच्चों की शिक्षा, जोधपुरियां बस्तियों के बच्चों की शिक्षा, पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा, भेड़–बकरी चराने वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किया जाना मुख्य समस्या है। अल्पसंख्यक वर्ग के बहुत से बालक–बालिका राजकीय, निजी विद्यालय में अध्ययनरत है फिर भी बहुत ही गरीब परिवारों के बालक–बालिका मदरसों में निःशुल्क दीनी तालिम ग्रहण करते हैं और बाद में वे घरेलू कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ बड़ी आयु की बालिकाएं भी दीनी तालिम प्राप्त कर घरेलू कार्यो में मशगूल हो जाती हैं और वे मुख्य धारा की प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती इससे भी नामांकन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

21. लिंग भेद की समस्या –

झुंझुनू जिले की महिला साक्षरता प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। आजादी से पहले से ही महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण कर अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्रामीण महिला साक्षरता राज्य में प्रथम स्थान पर है फिर भी पुरुष साक्षरता के मुकाबले बहुत कम है। खेतड़ी पंचायत समिति की महिला साक्षरता लगभग 50 प्रतिशत है। उदयपुरवाटी में भी पहाड़ी क्षेत्र की महिला साक्षरता की दर कम है। इसका कारण भी है। अभिभावक लड़कियों को पराया धन मानते है अतः बचपन से ही उन्हें घरेलू कार्यो में लगा देते है। छोटे भाई बहिनों का रखना, घर की देखभाल करना, अन्य घरेलू कार्य जैसे बर्तन मांजना, घर की साफ–सफाई करना, झाड़ू लगाना, पानी भरना आदि। इन सबसे उनकी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और वे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर विद्यालय छोड़ देती हैं।

कुछ परिवारों, जातियों की परम्परागत सोच भी पढ़ाई में बाधक है, यद्यपि बाल–विवाह बन्द हो गये हैं फिर भी कुछ जातिया विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग में बाल–विवाह कर देते हैं। इससे बालिका की शिक्षा प्रभावित होती है। कुछ परिवार जातियां सहशिक्षा वाले विद्यालयों में बालिकाओं को भेजने से हिचकिचाते हैं। दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित होने से भी बालिका शिक्षा प्रभावित होती है।

22. विकलांग बालक–बालिकाओं की समस्या –

शारीरिक व मानसिक रुप से विकलांग बालक–बालिकाओं के लिए जिले में राजकीय क्षेत्र में कोई विद्यालय संचालित नहीं है। हाथ–पांव से विकलांग बच्चे तो सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकते है। किन्तु गूंगे, बहरे व मानसिक रुप से विकलांग बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

23. संस्थागत क्षमता विकास की समस्या –

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक स्थिति बड़ी दयनीय है। राजकीय प्राथमिक विद्यालयां की स्थिति सुधारने में डीपीईपी का बड़ा योगदान रहा है। इस योजना नें जिले के प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है और अगले एक दो वर्ष तक और कर दी जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अपनी समस्यायें है। कमरों की पर्याप्त संख्या का अभाव कमरों की दीवारों, फर्श, छत आदि का टूटा हुआ होना। टायलेट की व्यवस्था का अभाव, जल संग्रहण व्यवस्था का अभाव, बच्चों के लिए बैठनें की व्यवस्था का अभाव, विद्यालय के शैक्षिक रिकार्ड को सुरक्षित रखने की समस्या आदि समस्याये तो हैं ही साथ ही कई स्थानों पर विद्यालय भवन का भी अभाव है।

इन समस्याओं की पूर्ति के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास किसी प्रकार का फण्ड नहीं है। जनसहयोग प्राप्त करना गावों के विद्यालयों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में उन्हें सहयोग की आवश्यकता है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की पुस्तकों का अभाव है। यदि पुस्तकें हैं भी तो बहुत कम मात्रा में है और उनका वितरण भी सही नहीं हो पाता। अतः पुस्तकालय का प्रबन्ध किया जाना और पुस्तक वितरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

24. शिक्षकों की क्षमता विकास की समस्या –

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत शिक्षक जीवन में एक बार अकादमिक योग्यता प्राप्त करता है और जीवन भर उसी को भुनाता रहता हैं। उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिलवाया जाता। वह परम्परागत शिक्षण विधियों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य करवाता है इससे गुणवता पूर्ण शिक्षण संभव नहीं। शैक्षिक जगत में नये–नये नवाचार आ रहें है। उनसे शिक्षक वंचित रहता है। अतः शिक्षकों की समस्याओं कें समाधान के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

25. परिवीक्षण की समस्या –

जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जाल बिछा हुआ है। किन्तु उनके नियमित परिवीक्षण का अभाव है। दूर–दराज के विद्यालयों में 10–12 वर्ष तक एक भी पर्यवेक्षक नहीं पहुंचता है। यद्यपि जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक ब्लाक में कार्यरत हैं तथापि अन्य कार्यो के बोझ से विद्यालयों की अधिक संख्या होने से तथा परिवहन के साधनों के अभाव से वे अधिकतम विद्यालयों में नहीं पहुंच पाते। पर्यवेक्षण के अभाव में शिक्षकों के कार्यों में शिथिलता आ जाती हैं। शैक्षणिक कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में ब्लाक पर परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना आवश्यक है। ब्लाक व जिला स्तर के प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों को सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रहीं है।

26. शिक्षकों के अप–डाउन की समस्या –

विभिन्न स्तर पर बुलाई गई समस्त बैठकों में मुख्य मुद्दा यह उभर कर आया है कि जिस गांव में अध्यापक–अध्यापिका नियुक्त हैं। वे वहां नहीं रुकते हैं। विशेष कर अध्यापिकाएं तो बिलकुल ही नहीं रुकती हैं। ऐसे में उन्हें अपने गांव से अप–डाउन करना पड़ता है। कहीं–कहीं पर तो शिक्षक 60–60 किमी. तक अप–डाउन करते पाये गये हैं। इससे उनका विद्यालय में पहुंचने का समय भी बस के समय के अनुसार ही निर्धारित हो गया है

अप–डाउन से आने वाली शारीरिक सुस्ती शिक्षण कार्यों में व्यवधान डालती है। जिले की यह प्रमुख समस्या हैं।

27. शिक्षण में नीरसता की समस्या –

सहायक शिक्षण सामग्री के अभाव में शिक्षक बच्चों को पाठ को परम्परागत विधियों से अध्ययन करवाते हैं। इससे कक्षा कक्ष के वातावरण में जीवंतता का अभाव रहता है। बालक–बालिका निष्क्रिय श्रोता मात्र बन कर रह जाते हैं। कई कई बार तो विषय वस्तु समझना बड़ी टेड़ी खीर हो जाती है शिक्षकों व विद्यालयों के पास ऐसा कोई वित्तीय प्रबन्ध नहीं है जिससे की वे शिक्षण सहायक सामग्री खरीद सकें।

अध्याय 4

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

भूमिका –

शिक्षा का सार्वजनीकरण एक अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्तवपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सतत प्रयास किये जा रहें हैं। राज्य सरकार में इस समय इस चुनौतिपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 23 परियोजनाएं चल रही हैं। विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से सरकार इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 'शिक्षा आपके के द्वार' अनूठी योजना भी इसी लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है। झुंझुनू जिले ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम प्रयास नहीं किये हैं। शिक्षा के प्रति जागरुक इस जिले में विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं तथा विशेष अभियान चलाये गये हैं। खुशी है कि इस जिले में शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना कोई चुनौती नहीं रहा अपितु कदम अन्तिम मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं।

यह भी यथार्थ है कि आज तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके अनेक कारण भी हैं। यथा जनसंख्या में वृद्धि, निर्धनता, अभिभावकों का दृष्टिकोण शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, शैक्षिक गुणवत्ता का अभाव इत्यादि। परन्तु इन समस्याओं की दुहाई देते रह कर इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की असमर्थता को कब तक लम्बित रखा जा सकता है। इसी तथ्य को मध्य नजर रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित अवधि का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान।

इस अभियान के तहत शिक्षा के सार्वजनीकरण की गारन्टी तो है ही साथ ही गुणवत्ता पर भी पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए इसे जन अभियान एवं मिशन भावना के साथ चलाया जायेगा। ग्रामीण स्तर से जिला स्तर तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जायेगा। 2010 तक 6–14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक–बालिका को उपयोगी एवं प्रासांगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जायेगी। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की क्षमता का विकास किया जायेगा। प्रति 1 किमी. पर प्राथमिक विद्यालय एवं प्रति 3 किमी. पर उच्च प्राथमिक

विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। यह जिला इस समयबद्ध कार्यक्रम को बेहतर तालमेल के साथ क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।

1. सर्वशिक्षा अभियान के राष्ट्रीय लक्ष्य –

सर्वशिक्षा अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

– वर्ष 2003 तक 6–14 वर्ष आयु के समस्त बालिक–बालिका विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला तथा वापस स्कूल चलो शिविर में प्रवेश ले।

– वर्ष 2007 तक सभी बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।

– वर्ष 2010 तक सभी बच्चे अपनी आठ वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।

– संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण व जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करें।

– जेण्डर एवं सामाजिक वर्ग विभेद के सभी गेप्स को 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर पूरा करें।

– 2010 तक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर शून्य पर लायें।

2.जिले के लक्ष्य –

राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में जिले की विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों की मध्य नजर रखते हुए जिला स्तर पर इस अभियान के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

– वर्ष 2003 तक जिले की आठ पंचायत समितियों के 865 ग्रामों 1 नगर परिषद व 11 नगरपालिकाओं के 260 वार्डो के 6–14 वर्ष आयु के समस्त बालक–बालिकाओं को निकटवर्ती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, वैकल्पिक विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र अथवा मदरसा में प्रवेश दिलवाना।

- सामान्य वर्ग के बच्चों के अतिरिक्त विशेष वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना। विशेष वर्ग की बालिकाएं, दलित वर्ग के बालक-बालिकाएं, शारीरिक तथा मानसिक विकलांगता के शिकार बालक-बालिकाएं, बाल श्रमिक, फुटपाथी बालक-बालिकाएं, घुमन्तु बालक-बालिकाएं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, भिखारियों के बच्चे पलायन करने वाले परिवारों के बालक-बालिकाएं, जोधपुरियों के बच्चे, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक-बालिकाएं शामिल हैं।
- औपचारिक शिक्षा से न जुड़ पाने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर मुख्यधारा में शामिल करना।
- शिक्षा केन्द्रों, विद्यालयों में विशेष वर्ग के बच्चों के लिए व्यावसायोन्मुखी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों में प्राप्त शैक्षिक सुविधाएं जैसे शैक्षणिक कार्य हेतु न्यूनतम कक्षा-कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, चार दिवारी का निर्माण आदि उपलब्ध करवाना।
- शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त जीवनोपयोगी शिक्षा तथा स्थानीय आवश्यकताओं व संसाधनों के सापेक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षणों की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- शिक्षा की उपयोगिता, गुणवत्ता व आकर्षण में वृद्धि हेतु पर्याप्त शैक्षिक उपस्करों यथा कम्प्यूटर आदि उपलब्ध करवाना।
- शिक्षकों के बौद्धिक स्तर एंव व्यावसायिक दक्षता उन्नयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण प्रदान करना।
- उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों में 10 हजार रुपये तक की पुस्तकें उपलब्ध करवाना।
- विद्यालयों मे परीविक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों के प्रबन्धन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना।
- 2010 तक ठहराव दर को शत-प्रतिशत बनाये रखना।

3. नामांकन –

जैसा की सर्वशिक्षा अभियान का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2002–2003 तक 6–14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन करवाया जायेगा अतः जिले ने भी अपने नामांकन के लक्ष्य उसी अनुरुप निर्धारित किये है। शिक्षा दर्पण 2000 के आदिनांकीकरण, एवं शहरी शिक्षा दर्पण सर्वे 2001 के अनुसार इस जिले में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की संख्या 440582 थी। इस वर्ष जिले का नामांकन 98.74 प्रतिशत था। जिले में इस वर्ष तक 5571 बच्चे अनामांकित थे। इन्हें वर्ष 2002–03 तक विद्यालयों से जोड़ना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं कुल वृद्धि 2 प्रतिशत आई हैं। इसी अनुरुप अनुमानित जनसंख्या एवं नामांकन का लक्ष्य रखा गया हैं। वर्ष वार अनुमांनित बालक–बालिकाओं की संख्या एवं नामांकन लक्ष्य निम्न सारणी से प्रदर्शित किये गये है।

सारणी 4.1

6–14 वर्ष के बच्चों की अनुमानित संख्या एवं कक्षा–कक्ष और अध्यापकों की आवश्यकता

क्र. स.	वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाएं	403557	410454	417459	424604	431860	439241	446747	454382
2.	नामांकन	463890	475487	487374	599559	512048			
3.	गैर रा.वि. में नामांकन	205103	209214	214445	219806	225301			
4.	वैकल्पिक वि / रागास्जपा में नामांकन	21987	16507	12907	10147	2027			
5.	राजकीय विद्यालय में नामांकन	236800	249766	260023	269606	284720			
6.	1:40 में अध्यापकों की आवश्यकता	5920	6244	6501	6740	7118			
7.	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	6349		6349					
8.	अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता			152	240	378			
9.	कक्षा–कक्षों की आवश्यकता	1903	324	256	240	378	–1718	0	0

4. पहुंच –

जिले की आश्चर्य जनक भौगोलिक स्थिति है इसमें एक ओर रेत के टीले हैं तो दूसरी ओर कठिन पहाड़ी इलाका। एक ओर सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो दूसरी ओर बिखरी हुई जनसंख्या वाला क्षेत्र। जिले में कोई बड़ा तालाब या बारहमासी नदी या नहर के नहीं होने के कारण किसानों ने अपनी भूमि पर सिंचाई व्यवस्था हेतु कुए बना लिए और वे अपने खेतों में ही जाकर बस गये। इस प्रकार अपने–अपने खेतों में बसने से अनेक ढाणियां बन गई। वहां पर उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने प्राथमिक कक्षा तक अध्ययन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और कर रहा है। 23 वैकल्पिक विद्यालय खोले गये हैं और 30 वैकल्पिक विद्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। राजीव गांधी पाठशालाओं ने भी इस समस्या का समाधान किया है। जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कुल 328 राजीव गांधी पाठशालाएं चल रही हैं अतः प्राथमिक विद्यालय की समस्या नहीं है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 434 हैं और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1001 हैं जो 2006–2007 तक बढकर 1368 हो जायेगी। 1:2 के लिए 519 उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। इस प्रकार अगले वर्षों में 85 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

4. ठहराव –

झुंझुनू जिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ग्रामीण महिला साक्षरता में सर्वोपरी स्थान रखने वाले इस जिले में नामांकन कोई समस्या नहीं है। जिला शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य के अत्यन्त करीब है किन्तु समस्या है तो ठहराव की। अल्पसंख्यक वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं पलायन करने वाले परिवारों की वजह से ठहराव दर बहुत कम है। वर्तमान में 6–11 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की ठहराव दर 55.32 प्रतिशत व 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की ठहराव दर 47.31 प्रतिशत है। दोनों ही वर्गों में बालिकाओं की ठहराव दर कम हैं। 6–14 आयु वर्ग में तो बहुत ही कम 38.20 प्रतिशत हैं। इसका कारण भी है कि परम्परागत सोच वाले परिवार 5 वीं के बाद लड़कियों का

नहीं पढ़ाना चाहते। विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग व अनुसूचित जाति, जनजाति में यह समस्या अधिक है।

सर्वशिक्षा अभियान के दौरान यह लक्ष्य 6–11 आयु वर्ग में सन् 2007 तक शत–प्रतिशत करने तथा 6–14 वर्ष आयु वर्ग में 2010 तक 100 प्रतिशत ठहराव दर का लक्ष्य रखा गया है। ठहराव के लक्ष्यों का निम्न तालिका द्वारा अवलोकन किया जा सकता हैं।

5. गुणवत्ता सुधार –

जिला संख्यात्मक परिणाम की दृष्टि से तो संतोषजनक है क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षोन्नति दर 75 प्रतिशत से 89 प्रतिशत के बीच हैं जो ठीक कही जा सकती है। किन्तु गुणात्मक दृष्टि से अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। गणित, विज्ञान के क्षेत्र में बालक–बालिकाओं का स्तर न्यून है। विज्ञान भी प्रयोग आधारित पाठ्यक्रम के कारण बच्चों के लिए दुरुह बना हुआ हैं। जिले में किए गये बैस लाइन सर्वे के अनुसार प्राप्त आंकड़ों में कक्षा 1 से 5 तक के लक्ष्यों में 2007 तक 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। डीपीईपी द्वारा शिक्षकों को शिक्षण वर्धन सामग्री के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष सहायता देने के फलस्वरुप अब वे अपने शिक्षण कार्य में चार्ट्स, मॉडल्स, गत्यात्मक मॉडल्स का प्रयोग करने लगे हैं। इससे बच्चों की समझ बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी अब विज्ञान व गणित इतना दुरुह नहीं रहा है। कक्षा 5 से 8 तक के बालक – बालिकाओं का विभिन्न विषयों में बेसलाइन सर्वे सर्वशिक्षा अभियान के तहत करवाया जायेगा तदुपरान्त ही लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे।

अध्याय 5

पहुंच, नामांकन एवं ठहराव

भूमिका –

किसी भी जिले की विकास की गति के नापने का पैमाना उस जिले के नागरिकों का सकारात्मक सोच एवं वहां की शिक्षा की स्थिति होती है। कहा भी हैं साक्षरता हैं जहां, विकास है वहां। झुंझुनू जिला इस मानक पर खरा उतरता है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जिले के नागरिकों की जीवटता ने संघर्षो के बीच शिक्षा की लौ को जलाये रखा है। इस पुनीत कार्य में यहां के धन्ना सेठों व आर्य समाजियों ने भी सहयोग प्रदान किया। जहां एक ओर राजकीय विद्यालयों का जाल बिछा हुआ है वहां दूसरी ओर गैर राजकीय विद्यालयों ने भी अपना पुख्ता नेटवर्क स्थापित किया है। इससे जिले को यह लाभ मिला कि आज यहां की नामांकन की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। बल्कि यों कहें कि शत–प्रतिशत नामांकन से वे ही बालक–बालिका वंचित हैं जो या तो शारीरिक रुप से अक्षम हैं या मंदबुद्धि के शिकार। कुछ बालक–बालिका ऐसे भी हैं जो 6 से 9 माह के लिए पड़ौस के राज्य हरियाणा में ईट भट्टों पर काम करने वाले अपने अभिभावकों के साथ चले जाते हैं या कुछ बालक–बालिका ऐसे परिवारों से भी आये हैं जो मारवाड़ से पलायन कर काम की तलास में आये अभिभावकों के साथ हैं।

जिले में ठहराव की समस्या अवश्य बनी हुई है। इसके पीछे भी अल्पसंख्यक वर्ग की परम्परागत सोच विचार जिम्मेदार है। वे भी अब विकास की धारा में चलने के लिए सहमत दिखायी दे रहें हैं। डीपीईपी ने उनकी सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कायमखानी समाज में अब लड़कियों ने लड़कों के साथ कदम मिलाकर शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया है। इससे लगता है कि यह जिला ठहराव में भी राजस्थान में प्रेरणा स्त्रोत बनेगा। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इस कठिन कार्य को सरलता व सहजता के साथ पूर्ण कर लिया जायेगा।

एक समस्या जो दिखायी दे रही है वह है उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दूरी। 3 से 8 किलोमीटर तक दूर स्थित इन विद्यालयों में जाने में बालक–बालिकाओं को परेशानी का सामना करना पडता है। विशेषकर बड़ी आयु की बालिकाएं इतनी दूर जाने में संकोच करती है। जिले में सर्व शिक्षा अभियान इस कमी को पूरी करने को प्रयास करेगा इसके लिए यहां के नागरिक पूर्णतया आश्वस्त दिखायी देते हैं।

1. सकल पहुंच दर –

जिले में 865 राजस्व गांव हैं। कोई भी ऐसा राजस्व गांव नहीं है जिसमें प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं हो। कई गांव तो ऐसे भी हैं जिनमें 3–4 या इससे भी अधिक विद्यालय हैं। जिन गांवों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं उन गांवों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोल दी गई हैं और डीपीईपी ने भी वैकल्पिक विद्यालय खोले हैं। किन्तु कुछ ढ़ाणियां ऐसी हैं जिनमें विद्यालय नहीं हैं। इन ढ़ाणियों में जनसंख्या एवं छात्र संख्या राजकीय निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप नहीं है अतः जिले में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने संभव नहीं है। इनके समीप ही अन्य ढ़ाणी में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है। अतः जिले में प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही। जिले की सकल पहुंच दर (ळ।त) 85.77 प्रतिशत है।

सारणी 5.1

कुल राजस्व ग्राम	वास स्थानों की संख्या	उन वास स्थानों की संख्या जिनमें विद्यालय हैं	सकल पहुंच दर GAR
865	1572	1480	94.14

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति –

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए जिले ने उच्च मानदण्ड स्थापित किये हैं। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रत्येक बालक–बालिका की पहुंच में विद्यालय स्थित हैं। जहां यह स्थिति नहीं थी वहां पर डीपीईपी ने इसकी पूर्ति की है। किन्तु उच्च प्राथमिक क्षेत्र में स्थिति सुखद नहीं कही

जा सकती। विशेषकर रेगिस्तानी ब्लाक अलसीसर व पहाड़ी ब्लाक खेतड़ी व उदयपुरवाटी व कुछ भाग नवलगढ़ पंचायत समिति के ऐसे हैं जिनमें बालक–बालिकाओं की पहुंच से दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं जिनमें बालक–बालिकाओं की पहुंच से दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय के मानदण्ड भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के दौरान इस कमी को पूरा किया जायेगा। यदि 3 किमी. दूरी पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जायेगा। प्रथम वर्ष कुल 35 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय को 50,000 रुपये की टी.एल.ई राशि प्रदान की जायेगी तथा 3 कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा 2 पैराटीचर दिये जायेंगे। अगले वर्षों में छात्र अनुपात के अनुसार पैराटीचर दिये जायेंगे तथा प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार कक्षा–कक्ष बनवाये जायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिले के 199 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

संलग्न अनुलग्नक तालिका संख्या 5.2 द्वारा इसका वितरण देखा जा सकता है –

3. शिक्षा गारण्टी योजना –

भारतीय संविधान की धारा 45 (1) के अनुसार 6–14 वर्ष आयु के प्रत्येक बालक–बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य सरकार उन्हे यह सुविधा उपलब्ध करवायेगी। प्रत्येक बालक–बालिका शिक्षा प्राप्त करे इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा प्राप्त हो। किन्तु राज्य सरकार के मानदण्डानुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 20 बालक–बालिका होने आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में जिन वास स्थानों, ढाणियों में विद्यालय नहीं खोले जा सकते वहां पर उसी गांव का कोई भी नवयुवक 10 या इससे अधिक बालक–बालिकाओं को प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। उसे पैराटीचर मानते हुए 40 रुपये प्रतिमाह प्रति बालक–बालिका मानदेय का भुगतान प्रोजेक्ट की ओर से किया जायेगा।

जिले में शिक्षा गारण्टी योजना के तहत राजीव गांधी स्वर्ण जयंती विद्यालय कार्यरत है। ब्लाक वार इनका विवरण सारणी से देखा जा सकता है।

शिक्षा गारण्टी योजना के तहत 10 के समूह के बालक–बालिकाओं को पढ़ाने वाले पैराटीचर की आवश्यकता इस जिले मे अनुभव नहीं की जा रही क्योंकि ऐसे बालक–बालिकाओं का कोई समूह अनामांकित नहीं हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिले के वर्तमान में डीपीईपी योजनान्तर्गत चल रहे 23 वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जायेगा। वर्ष 2004–05 में डीपीईपी द्वारा संचालित इन समस्त विद्यालयों को डीपीईपी कार्यक्रम के बन्द होने के बाद वर्ष 2005–2006 में प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिया जायेगा। साथ ही शिक्षा कर्मी विद्यालयों को भी 2004–2005 शिक्षा कर्मी योजान बन्द हो रही है क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है इसलिए इन सभी विद्यालयों को वर्ष 2004–05 में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

4. अध्यापकों की आवश्यकता –

इसका अवलोकन संलग्न अनुलग्नक सारणी संख्या 5.3 से किया जा सकता है।

5. ठहराव दर की स्थिति –

जिला नामांकन की दृष्टि से सुखद स्थिति में है किन्तु प्रमुख समस्या ठहराव की है। वर्तमान में 6–11 आयु वर्ग के बालकों की ठहराव दर 59.18 प्रतिशत व बालिकाओं की ठहराव दर 51.38 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार 6–14 आयु वर्ग के बालकों की ठहराव दर 56.75 प्रतिशत है व बालिकाओं की ठहराव दर 38.20 प्रतिशत है। ठहराव कम होने के अनेक कारण हैं। सर्व शिक्षा अभियान के दौरान इन कारणों के निराकरण की रणनीति तैयार कर 2007 तक प्राथमिक विद्यालय के बालक–बालिकाओं का ठहराव शत–प्रतिशत किया जायेगा तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का ठहराव शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा। ठहराव में जो बाधाएं हैं उनका निराकरण निम्नानुसार किया जायेगा।

सारणी 5.4

क्र.स.	समस्या	समाधान
1.	विद्यालयी शिक्षा के प्रति अरुचि	– खेल–खेल में शिक्षा द्वारा आनंददायी शिक्षण की व्यवस्था – शिक्षणवर्धन सामग्री का निर्माण – विद्यालयों में खेल सामग्री पहुंचाना – विद्यालयी परिवेश आकर्षक बनाना – विद्यालय में जल, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना – बाल उद्यान विकसित करना
2.	छात्रों में प्रासांगिक कक्षा के अनुसार ज्ञान का अभाव	1. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में सम्बन्धित कक्षा के स्तर का ज्ञान का अभाव पाया जाता हैं। इस हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे – शिक्षक को विषयगत प्रशिक्षण दिलवाना – संकुल स्तर पर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना – उच्च परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन पाठ दिलवाया जाना – उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था करना – संकुल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना – मासिक मूल्यांकन की व्यवस्था करना
3	अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा के भाव से शाला परित्याग की समस्या	– प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–अभिभावक संघ व शिक्षक–मातृसंघ की स्थापना करना – समय–समय पर अभिभावक सम्मेलन बुलाना – विद्यालय पर्वों, उत्सवों, त्यौहारों पर अभिभावकों को आमंत्रित करना – उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा को लागू करना – शिक्षा की उपादेयता व विश्वसनीयता स्थापित करना
4.	विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का अभाव	– विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए उच्च प्राथमिक कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए दरी ,पट्टी की व्यवस्था करना – आकर्षक कक्षा–कक्ष की व्यवस्था करना – पुस्तकालय की पुस्तकों की व्यवस्था करना – चाक, डस्टर, ब्लेक बोर्ड, घड़ी,,बाल्टी आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाना
5.	शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता का भाव	– शिक्षकों में विविध बैठकों, प्रशिक्षणों के माध्यम से छात्रों के प्रति अपनत्व का भाव पैदा करना – गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक को बचाने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजना – शिक्षकों हेतु पुरस्कार की व्यवस्था करना – शिक्षकों में शैक्षणिक प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने के लिए पत्र वाचन, पाठ प्रस्तुति करण आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करना
6.	सक्षम निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी	– सक्षम निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अभाव में भी शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता का भाव व्याप्त है। कई दूरस्थ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर कई कई वर्षो तक सक्षम अधिकारी निरीक्षण के लिए नही पहुंच पाते हैं। – निरीक्षण की समयबद्ध व्यवस्था करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सुदृढ बनाया जाना वर्ष में कम से कम दो बार प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था करना – संकुल संदर्भ व्यक्तियों को सम्बलन हेतु अनिवार्यत विद्यालयों में भेजना

		– खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगियों को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना
7	जन चेतना का अभाव	– ग्रामीण क्षेत्र व झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना का अभाव होने से वे अपने बालक–बालिकाओं को शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही घर बैठा लेते हैं तथा उन्हें अन्य छोटे छोटे कार्यों में लगा देते हैं जैसे बकरी चराना, छोटे बच्चों को खिलाना, चाय की थड़ी पर कार्य करने हेतु भेजना। इस समस्या के निराकरण हेतु वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में उन अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को समझाने हेतु सतत सम्पर्क बनाये रखकर उनमें चेतना जागृत करना। – समय–समय पर बैठकों का आयोजन करना – पंपलेट्स, ब्राउचर्स, पोस्टर्स तैयार करवाकर प्रचार प्रसार करना

विभिन्न प्रयासों के माध्यम से 2002–03 में बालक–बालिकाओं के ठहराव दर को क्रमशः 4.5व 7.5 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। इसी क्रम में 2007–08 में प्राथमिक कक्षाओं व 2009–10 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं की ठहराव दर को शत–प्रतिशत किया जायेगा।

6. सामुदायिक गतिशीलता –

यद्यपि जिले के नागरिक शिक्षा के प्रति पूर्णरुपेण सावचेत हैं तथापि कुछ ऐसे तबके हैं जिनमें शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करना अपेक्षित हैं। यथा अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति, काम की तलास में आये मारवाडी आव्रजक, घुम्मकड़ जातियां (कालबेलिया, नट, भोपा, लुहार, बावरिया, चरवाहे) आदि। इन लोगों में सामुदायिक गतिशीलता लाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को 1000 रूपये प्रति वर्ष प्रति विद्यालय दिया जायेगा जिसका विद्यालय प्रबन्धन समिति अपने आवश्यकतानुसार व्यय करने की सुविधा दी जायेगी। यह बालमेला, कल्ला जत्था कार्यकम, महिला बैठक, विज्ञान मेला व अन्य जो कार्यक्रम जिनकी क्षेत्र में आवश्यकता हो करवाये जा सकेगें।

6. विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण –

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन डीपीईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है। प्राथमिक स्तर तक विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये है। इनके उत्साह जनक परिणाम सामने आये है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण भी

आयोजित किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों , अभिलेखों के संधारण, सदस्यों के उत्तरदायित्व, विद्यालय प्रबंधन में उनका सहयोग, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला मानचित्रण में योगदान आदि विषयों की जानकारी प्रदान की जायेगी। इससे शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। आज जो शिक्षक एवं समुदाय के मध्य दूरी बनी हुई हैं वह दूरी कम होगी तथा सामुदायिक जन भागिता बढ़ने व बेहतर तालमेल स्थापित होने से विद्यालय विकास को गति मिलेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति का दो दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

8.विद्यालय की भौतिक सुविधा की आवश्यकता एवं पूर्ति –

जनसाधारण का अभिमत है कि राजकीय विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। विद्यालय का बाहरी परिवेश ही बच्चों को विद्यालयों में आने के लिए प्रेरित करता है। राजकीय विद्यालयों में न तो बाहरी परिवेश ही आकर्षक होते हैं और न विद्यालय भवन ही आकर्षक। कमरों की कमी,, अपर्याप्त भवन, मरम्मत योग्य कमरे, पानी व शौचालय का अभाव अमुमन यही सब देखने को मिलता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने प्राथमिक विद्यालयों की इस स्थिति में सुधार किया है। लगभग प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में जल सुविधा व शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। अब तक जो इन सुविधाओं से वंचित रह गये हैं। उनमें भी मार्च 2003 तक ये सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जायेंगी।उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा डीपीईपी द्वारा प्रदान नहीं की गई है। अतः इन विद्यालयों की भौतिक स्थिति का सुधारने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में प्रयत्न करने होंगे। विशेष कर नामांकन वृद्धि के साथ कमरों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, उनमें जल शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाना, जिन विद्यालयों में शौचालय व जल की सुविधा नहीं है उनमें यह सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

9. विद्यालय भवन –

माध्यमिक विद्यालयों से अलग होने वाले प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण सर्वशिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता होगी। वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने 25 नये विद्यालय भवन बनाकर कमी की पूर्ति करने का प्रयास किया है किन्तु निर्माण कार्य पर व्यय की एक निर्धारित सीमा होने के कारण भवन निर्माण के कार्य अब भी करने शेष है। जिले में कुल 158 शालाओं के भवन निर्माण करवाने है। वैकल्पिक विद्यालयों के भवन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा निर्मित किये जायेंगे और यह मानकर भी चला जाये कि अगले वर्षो में माध्यमिक विद्यालयों से अलग होने पर उनके भवन विधायक, सांसद कोटे से बना दिये जायेंगे या ग्याहरवें व बारहवें वित्त आयोग द्वार बना दिये जायें तो भी 158 भवन बनाये जाने प्रस्तावित है। इनमें से 2 कक्ष वाली 20 एवं 3 कक्ष वाले 138 विद्यालय भवन बनवाने प्रस्तावित हैं।

10. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष –

यदि वर्तमान नामांकन को आधार बनाये रखा जाए तो भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 640 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। प्रत्येक उ.प्रा.वि. में 8 कक्षा–कक्ष व एक प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। इस आधार पर 640 कक्षा–कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है। चुंकि नये 85 विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे। अतः प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष 1 कक्षा–कक्ष का अतिरिक्त निर्माण करवाया जायेगा इसलिए 2003–04 में 60 2004–05 में 80, 2005–06 में 300, 2006–07 में 200 में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। इस प्रकार जिले में कुल 640 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष बनाये जायेंगे। इसी तरह से 200 प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा जो प्रतिवर्ष 50–50 बनवाने प्रस्तावित हैं।

11. शौचालय –

विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था होना बहुत जरुरी है विशेषकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो शौचालय और भी आवश्यक है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक व

बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय बनाये जायेंगे। इसके अलावा जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या 300 से अधिक है वहां पर एक अतिरिक्त शौचालय का निर्माण करवाया जायेगा। प्रथम वर्ष में 100 शौचालय बनाये जायेगें शेष शौचालय अगले तीन वर्षों में क्रमशः 100,100,100 शौचालय बनाये जायेंगे कुल 400 शौचालय के निर्माण का वितरण सारणी द्वारा दर्शाया गया है।

12. जल सुविधा –

जल ही जीवन है। बिना जल सुविधा के विद्यालय का आकर्षण नहीं रहता। प्रायः यह देखने में आया है कि छात्र–छात्रा अपने घरों से पानी की बोतलें साथ लेकर विद्यालयं आते हैं। एक बोतल पानी पर्याप्त भी नहीं है अतः ऐसे में बालक–बालिका में विद्यालय के प्रति आकर्षण का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिले की प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, वैकल्पिक विद्यालय मे पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। जिले में पानी की सुविधा हेतु पेयजल टंकी का निर्माण करवाया जायेगा। जिले में 120 हैण्डपम्प लगाना प्रस्तावित है, जो प्रतिवर्ष 30–30 बनवाये जायेंगे। इनको उन जगह बनाया जायेगा जहां पाईप लाइन से पानी पहुंचाना संभव नहीं है।

प्राथमिक विद्यालयों में डीपीईपी द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी विद्यालयों में कुल 447 स्थानों पर पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। 2003–04 में 47, 2004–05 में 100, 2005–06 में 100 एवं वर्ष 2006–07 में 200 पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

13. विद्यालय का रख रखाव –

विद्यालय भवनों का संरक्षण उनको लम्बी आयु प्रदान करता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के दौरान विद्यालयों के रख–रखाव के लिए प्रत्येक राजकीय विद्यालय को 5000 रुपये प्रति वर्ष दिये जायेंगे। इस धन राशि से विद्यालय भवनों का रंग–रोगन, मरम्मत,

टूट-फूट आदि का कार्य करवाया जा सकेगा। इन सब कार्यों को विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुरुप करवाया जायेगा।।

अध्याय – 6
गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

भूमिका –

शत–प्रतिशत नामांकन वाले इस जिले में मात्रात्मक परिणाम की कोई समस्या नही है। इस जिले में परीक्षा परिणाम 75 से 85 प्रतिशत तक रहते आये हैं। राज्य भर में अव्वल स्थान प्राप्त करने वालों में इस जिले का कोई सानी नहीं है। यह स्थिति होते हुए भी ग्रामीण अंचलों में गुणात्मक शिक्षा का अभाव है। अंग्रेजी,,गणित इस जिले के विद्यार्थियों के लिए दुरुह विषय समझे जाते हैं। प्रयोगों पर आधारित विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों ने छात्रों को परेशान कर रखा है। करके देखें, करके जानें आदि शब्द उनके जी के जंजाल बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के अभाव ने इस कठिनाई को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी दिखाई देती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं हैं इसके लिए यहां निम्न कारणों का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।

क्र.स.	कारण	निवारण
1.	छात्र संख्या की वृद्धि के अनुपात में शिक्षकों की कमी के कारण कार्य निष्प्रभावी होने की समस्या	– इस समस्या के निदान के लिए उचित छात्र अध्यापक अनुपात बनाये रखा जाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रा.वि. मे कम से कम दो व उ.प्रा.वि. में कम से कम छः अध्यापक लगाये जायेंगे। यदि यहां संख्या उपलब्ध नहीं होगी और 1:40 के अनुपात में अध्यापकों की कमी होगी तो पैराटीचर नियुक्त किये जायेंगे। जिले में ऐसे 197 पैराटीचर लगाने का प्रावधान किया गया है।
2.	उ.प्रा.वि. विद्यालयों में विषयाध्यापकों की कमी	– प्राय यह देखने में आया है कि उ.प्रा.वि. में विषयानुसार शिक्षक नही लगाये जाते हैं। जिसके कारण विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सम्भव नहीं हो पाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु शिक्षा प्रशासन के सामने विषयानुसार शिक्षक लगाने के प्रस्ताव भिजवाये जायेंगे। – पैराटीचर के चयन के समय भी इस समस्या को सामने रखकर विषय से संबंधित स्नातक अथवा स्नाताकोत्तर अभ्यर्थी को वरीयता देकर उनका चयन किया जायेगा। – उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3.	अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यो का निस्पादन	– अध्यापकों को अपने शिक्षण दायित्व के अलावा अनेक विभागों के कार्यों को सम्पादित करना पड़ता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, विटामिन ए की खुराक, टीकाकरण, मकान सूचिकरण, पशुगणना, वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव करवाना इत्यादि। इनके अलावा भी प्रशासन अपने छोटे–मोटे कार्योके लिए भी अकसर अध्यापकों की नियुक्ति कर लेता है। निर्वाचन व जनगणना जैसे दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में शिक्षकों को न लगाया जाये इस हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को अवगत कराया जायेगा।

4.	अध्यापक व अभिभावक सामंजस्य की कमी	– अक्सर अभिभावकों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें विद्यालयों की गतिविधियों में शामिल नही किया जाता है। अध्यापक अभिभावकों में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। इस परियोजना में इस कमी को दूर करने हेतु दो माह में एक बार अध्यापक अभिभावक संघ की समीक्षा बैठक करने का प्रस्ताव है। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों को प्रावधान किया गया है। मातृ शिक्षक संघ का गठन कर उनके सुझाव के अनुसार बालिका शिक्षा की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
5.	सतत मूल्यांकन का अभाव	– किसी भी शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता जांच एवं गुणवत्ता वृद्धि के लिए उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। वर्तमान में परम्परागत तीन परख व दो परीक्षा ही मूल्यांकन के स्वरुप हैं जो छात्र के संबंध में वास्तविक जानकारी नहीं देते। सर्वशिक्षा अभियान में इसके लिए सतत मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षक अभिभावक एवं स्वयं छात्रों द्वारा मूल्यांकन किया जाये इस प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षक को सतत मूल्यांकन का प्रशिक्षण दिलवाया जाना प्रस्तावित है। – परम्परागत मूल्यांकन के लिए भी प्रश्न–पत्र तैयार करने के लिए प्रश्न–पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।
6.	अध्यापकों की उदासीनता	– अध्यापकों की शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता भी शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक सजग बने, शिक्षक स्वप्रेरित होकर कार्य करे इस हेतु उच्च परीक्षा परिणाम देने वाले, सकारात्मक सोच वाले शिक्षकों को सार्वजनिक रुप से पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है। कार्य के प्रति लापरवाह रहने वाले शिक्षकों को भी प्रेरित करने के प्रयास किये जायेंगे।

1.विद्यालय अनुदान राशि –

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय विद्यालयों में छात्र कोष का अभाव रहता है इससे शिक्षकों को आवश्यक कार्यों के सम्पादन में कठिनाई अनुभव होती है। इस कठिनाई के निवारण हेतु कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं जिन–जिन विद्यालयों में संचालित होती हैं उन विद्यालयों में 2000 रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा। (जिन विद्यालयों में डीपीईपी द्वारा विद्यालय अनुदान राशि दी जायेगी उन वर्षों में उक्त विद्यालयों को एस.एस.ए. से विद्यालय सुविधा अनुदान राशि प्रदान नहीं की जायेगी)। इस राशि का उपयोग विद्यालय प्रबन्ध समिति से प्रस्ताव लेकर किया जा सकेगा। उपयोगपरान्त एस.एम.सी. के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

इस राशि के उपयोग में प्राथमिकता बालक–बालिकाओं के बैठने की व्यवस्था को दी जायेगी। दरी ,पट्टीं,, फर्नीचर आदि के उपलब्ध होने पर अन्य कार्यो में यह राशि व्यय की जा सकेगी।

2. शिक्षण अधिगम सामग्री –

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षण कार्य में अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षकों के पास शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में इस कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक राजकीय विद्यालय में उच्च प्राथमिक तक की कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों को प्रति वर्ष 500 रुपये प्रति शिक्षक दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से शिक्षक विषयाधारित शिक्षण सामग्री निर्माण करेगा। बाजार निर्मित सामग्री केवल 10 प्रतिशत राशि तक की ही खरीदी जा सकेगी। शेष राशि में कच्चा सामान क्रय कर कम लागत की सामग्री का निर्माण किया जाकर इस सामग्री का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में शिक्षक को करना होगा। शिक्षक चाहे तो शिक्षार्थियों से भी उचित शिक्षण सामग्री का निर्माण करवा सकेगा। प्राथमिक विद्यालयों में 2003–04 व 2004–05 तक के सत्र तक यह राशि डीपीईपी योजनान्तर्गत उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी यह राशि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

3. बालकों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक –

वर्तमान में राज्य सरकार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त बालक–बालिकाओं व कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाती है। सर्वशिक्षा अभियान के दौरान कक्षा 6 से 8 तक के अनुसुचित जाति ,अनुसुचित जन जाति के बालकों के लिए भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा

गया है। इस योजना से जिले के राजकीय विद्यालयों के 2006–07 तक कुल 55802 बालक बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवायी जायेंगी।

4. पुस्तकालय अनुदान –

पुस्तकें ज्ञान के अमूल्य भण्डार हैं तथा व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं पढ़ने में रुची पैदा करने हेतु स्तरानुकूल पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में डीपीईपी योजनान्तर्गत 2000 रुपये मूल्य की पुस्तके उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकों की कमी अखरने योग्य है। विद्यार्थी में उच्च नैतिक गुणों का विकास करने वाली आदर्श पुस्तकों का चयन कर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 2,000 रुपये की पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। प्रति दूसरे वर्ष विद्यालयों में पुस्तकालय की पुस्तके उपलब्ध करवायी जायेंगी। इस प्रकार 5 वर्षो में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे।

विद्यालयों में पुस्तक वितरण सुनिश्चित करने हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी को उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा। पुस्तकालय की पुस्तकों को सुरक्षित रखने हेतु अलमीरा आदि के लिए 1500 रुपये प्रति विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं।

इसी कम में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक वाचनालय स्थापित किया जायेगा इस हेतु प्रयेक ग्राम पंचायत को 10000 रूपये वार्षिक का अनुदान दिया जायेगा।

5. प्रशिक्षण –

भारतीय शिक्षक अपने जीवन काल में एक बार अकादमिक योग्यता ग्रहण करता है एवं जीवन भर उसे भुनाता है। यह कथन पश्चिमी देशों के शिक्षकों द्वारा भारतीय शिक्षकों पर किये गये सर्वे के बाद उद्दृत किया गया। यह वास्तविकता भी है। शिक्षक को शैक्षिक जगत में हो रहे नवाचारों से अवगत कराने, उनकी क्षमता विकास करने, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण करवाने, शिक्षणवर्धन सामग्री के माध्यम से शिक्षण करवाने, आनन्दायी शिक्षण की विधियों से अवगत कराने, उसके ज्ञान में परिवर्धन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिलवाये गये प्रेरण प्रशिक्षण ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। प्रेरण व अभिनवन दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षक को चिन्तनशील, सकारात्मक सोचवाला बनाने में सहयोग करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। 20 दिनों में प्रथम प्रशिक्षण 9 दिवस का होगा। 3 दिन का टीएलएम सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण एवं 8 दिन की वर्ष में संकुल पर मासिक समीक्षा बैठकें होंगी। इस प्रकार 9+3+8 =20

– ये प्रशिक्षण आवासीय होंगे।

– प्रशिक्षणों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 रुपये निर्धारित किये गये हैं।

– 70 रुपयों में एक चौथाई दैनिक भत्ता, वास्तविक किराया, भोजन एवं आवास व्यवस्था तथा टी.एल.एम की व्यवस्था की जायेगी।

– प्रति बैच 40 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

वेन्यू – ब्लाक स्तर

संदर्भ व्यक्ति – 3

संभागी – 40

अवधि 9 दिवस प्रथम व द्वितीय प्रशिक्षण 3 दिन का तथा 8 दिन मासिक समीक्षा बैठक के लिए रखे गये हैं।

9 व 3 दिवसीय प्रशिक्षण का व्यय निम्नानुसार है–

यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन, आवास व टीएलएम पर खर्चा – 70 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

शिविर का कुल खर्चा – 43 ' 9 ' 70 – 25200 रुपये

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक – 3312

शिविरों की संख्या – 75

6 पैराटीचर का आधार भूत प्रशिक्षण –

जिले में नामांकन आधारित पैराटीचर्स की नियुक्ति की जायेगी। इन पैराटीचर्स को शिक्षण विद्याओं की जानकारी देने, शैक्षिक कौशल विकसित करने, समसामयिक नवाचारों का ज्ञान कराने, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

– यह प्रशिक्षण आवासीय होगा।

– प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 रुपये खर्च किये जायेंगे।

– 40 सम्भागी शिविर में भाग ले सकेंगे

शिविर बजट व्यय प्रावधान–

1. लोजिंग एवं बोर्डिंग	– 43X40 X 9 = 15480
2. यात्रा व्यय	– 15 X 40 = 600
3. दैनिक भत्ता	– 15 X 40 X 9 = 5400
4. आर.पी. मानदेय	– 9 X 2 X 150 = 2700
5. यात्रा व्यय आर.पी.	– 2 X 150 = 300
6. टीएलएम	– 500
7. कन्टीन्जेन्सी	– 220
योग	– 25200

अध्याय – 7
विशिष्ट फोकस ग्रुप

भूमिका –

शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार व नागरिकों की जागरुकता के कारण नामांकन की समस्या इस जिले में कोई समस्या नहीं है। ठहराव व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण की व्यवस्था ही विकट समस्या बनी हुई हैं। विशेषकर कुछ ऐसे वर्गों में जिनमें शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता नही है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सामान्य परिस्थितियों में विद्यालयों में जुड़े रहने में परेशानी महसूस करते हैं। इन वर्गो में बालिकाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति के बालक–बालिका, कामकाजी बच्चे, विकलांग बच्चे, अल्प संख्यक वर्ग के बच्चे आदि प्रमुख हैं। इस फोकस ग्रुप में जेण्डर संवेदनशीलता का अभाव भी एक मुख्य समस्या है। इस प्रकार के इस वर्ग समूह के बालक–बालिकाओं के ठहराव सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी जरुरी है कि इन वर्गों के अभिभावकों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाये तथा शिक्षा उनकी प्रथम आवश्यकता बनायी जाए। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे वर्गों के लिए अनेक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।

1.जेण्डर संवेदनशीलता –

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं को विद्यालयी गतिविधियों में सम्मिलित किया जायेगा। इस हेतु महिला अभिभावक शिक्षक संघों का निर्माण किया जायेगा। इन संघों के माध्यम से विद्यालय मे मनाये जाने वाले उत्सवों, पर्वों व त्यौहारों पर बालिकाओं की माता अभिभावकों को आमंत्रित किया जायेगा जिससे वे विद्यालय से भावनात्मक रुप से जुड़ सके। विभिन्न अवसरों पर उनसे मंत्रणा कर बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित कर उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा। उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से महिलाओं में पुत्र–पुत्री में भेदभाव को समाप्त करने का दृष्टिकोण विकसित करेंगे। भ्रुण हत्या को रोकने हेतु महिलाओं को प्रेरित करने के लिए नुक्कड़

नाटक आदि किये जायेंगे। विद्यालय में अनेक ऐसी गतिविधियां आयोजित की जायेंगी जिनमें बालक—बालिका साथ—साथ भागीदारी निभायेंगे। जेण्डर संवेदनशीलता पर ब्लाक स्तर व जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

2.बालिका शिक्षा —

सर्व शिक्षा अभियान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। 9—14 वर्ष की आयु की बालिकाओं द्वारा विद्यालय त्यागना एक बड़ी बाधा बनी हुई है इस समस्या के निराकरण हेतु इस वर्ग की बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान में अनेक गतिविधियां की जायेगी। सामाजिक गतिशीलता की समस्त गतिविधियों को वास स्थान, ग्राम, शहर, झुग्गी झोपड़ी तक ले जाया जायेगा, नये अध्यापकों की नियुक्तियां की जायेगी,, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। मिड—डे—मील, पोशाक, छात्रवृत्ति, पुस्तके स्टेशनरी आदि सुविधाओं उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन जेण्डर संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा। किशोरियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था हेतु महिला समूहों का गठन किया जायेगा। विद्यालयों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके विद्यालय छोड़ने वाली छात्राओं को चिन्हित कर विद्यालयों से पुनः जोड़ा जायेगा।

3.ब्रिज कोर्स —

झुंझुनू जिले में नामांकन की उपलब्धि शत—प्रतिशत प्राप्त कर ली गयी है। अतः यहां ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नही है। लेकिन कुछ घुमुन्तु जातियां जिले में व जिले से बाहर रोजगार की तलाश में पलायन करती हैं। उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक माईग्रटरी हॉस्टल की सुविधा का प्रावधान रखा गया है।

4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा –

इस अभियान की प्रत्येक गतिविधि में अनुसूचित जाति व जनजाति के बालक–बालिकाओं को लाभान्वित करने पर बल दिया गया है। इन जातियों के बालक–बालिकाओं हेतु विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्येक बालक–बालिका को लाभान्वित करने हेतु सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। इनकी शिक्षा हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के सामुदायिक संगठनों का निर्माण करने, आवश्यक शैक्षिक सहायता उपलब्ध करवाने, शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना वैकल्पिक विद्यालय खोलना आदि व्यवस्थाये की जाएंगी।

5. एकीकृत विकलांग शिक्षा –

सर्व शिक्षा अभियान में किसी भी बालक–बालिका को अशिक्षित नहीं छोड़ा जायेगा। अतः सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं को उसके वर्ग एवं प्रकार के आधार पर पूर्ण किया जायेगा। शिक्षा की विशेष सुविधाओं की आवश्यकता रखने वाले वर्गों के लिए रणनीति बनाई जायेगी। इसके लिए दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, अनोपचारिक विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय जहां भी आवश्यकता होगी खोले जायेगे। घर पर शिक्षा की व्यवस्था करना, उपचारात्मक शिक्षा, सामुदायिक बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे।

- छोटी आयु में ही ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के माध्यम से चिन्हित कर लिया जायेगा।
- वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में कुछ ऐसे बालक–बालिकाओं को चिन्हित किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने हेतु संकुल केन्द्र सहयोगियों के द्वारा सर्वे करवाया जायेगा।
- प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर स्वास्थ्य केम्प आयोजित कर विकलांगता की जांच की जायेगी तथा प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।
- उन्हे आवश्यक उपकरण व सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।

- ऐसे प्रत्येक बालक–बालिका को उसकी आवश्यकता के अनुरुप विद्यालय में प्रवेश दिलवाया जायेगा।
- ऐसे बालकों को संकुल स्तर पर समन्वय कक्ष, विशेष उपकरण, पठन सामग्री, विशेष शिक्षण विधियां, उपचारात्मक शिक्षा, सहशैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने की रणनीति तैयार की जायेगी।
- बैठकें आयोजित कर ऐस बच्चों के अभिभावकों उनके उचित पालन–पोषण की जानकारी दी जायेगी।
- विकलांग बालकों हेतु सहायक उपकरण खरीदने के लिए, जिला समाज कल्याण विभाग, राज्य कल्याण विभाग, राष्ट्रीय संस्थानों, गैर–सरकारी संस्थाओं, महावीर इंटरनेशनल आदि सभी संस्थाओं से सहयोग लिया जायेगा। प्रत्येक विकलांग बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष 1200 रुपये तक खर्च किये जायेंगे।

6.कामकाजी बालकों की शिक्षा –

6–14 आयु वर्ग के कुछ बालक–बालिका सामाजिक व आर्थिक कारणों से बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। कुछ परिवारों के बच्चे छोटी आयु में ही काम धन्धे में लग जाते हैं। ऐसे बच्चों की पहचान की जायेगी तथा उनकी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना की व्यवस्था की गयी है तथा आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी। इस वर्ष जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 वैकल्पिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

7.अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा व्यवस्था –

जिले में एक बहुत बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय का है। इनकी परम्परागत सोच के कारण बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नही दिया जाता। बालिकाएं मदरसों में दीनी तालिम प्राप्त करती हैं तदुपरान्त वे घर बैठकर छोटे–मोटे कार्यों में सहयोग करती हैं। वे

औपचारिक विद्यालयों में जाने से कतराती हैं। ऐसे मे मदरसों में ही इनकी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था करने के प्रयास किये जायेंगे। इसी वर्ग की पढ़ी–लिखी महिला को पैराटीचर के रुप में चुनकर दीनी तालिम के बाद औपचारिक शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया जायेगा। उसे 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें दी जायेंगी। मिड–डे–मील की व्यवस्था की जायेगी। मदरसा प्रबंधन समिति का गठन कर उन्हे 2000 रुपये प्रतिवर्ष मदरसा सुविधा राशि प्रदान की जायेगी। पैराटीचर को शिक्षणवर्धन सामग्री विकास के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये दिये जायेंगे। मदरसों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 4500 रुपये की सहायता दी जायेगी। ऐसे 16 मदरसे वर्तमान में कार्यरत हैं और 24 मदरसे में पैराटीचर नियुक्त करने का प्रावधान हैं। यह व्यवस्था वर्तमान में डीपीईपी द्वारा की जा रही है।

अध्याय – 8

अनुसंधान, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं प्रबोधन

भूमिका –

किसी भी अभियान की सफलता का अनुमान उसके मूल्यांकन से लगाया जा सकता हैं। समय–समय पर मूल्यांकन करवाया जाकर उसके परिणामों व सुझावों के आधार पर रणनीतियां तैयार कर क्रियान्वयन सफलता की कसौटी होती है। अभियान में अनेक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। उन गतिविधियों का निरंतर निरीक्षण किया जाना गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन में सहयोग प्रदान करता है। प्रत्येक गतिविधि का क्षेत्र में क्या प्रभाव है इसके मूल्यांकन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करवाने महत्वपूर्ण होते हैं। अनुसंधान, गतिविधियों के संचालन हेतु रणनीति तैयार करने में मददगार होते है। यह सब होते हुए भी यदि समय पर सही सूचनाएं प्राप्त नहीं तो अभियान को गति देने में अनेक कठिनाईयां आ सकती हैं। इसलिए सूचनाओं का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर निरंतर बना रहे यह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभावी सूचना तंत्र विकसित कर अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सकती हैं। सर्व शिक्षा अभियान में डीपीईपी के सूचना तंत्र, अनुसंधान, मूल्यांकन आदि को मध्य नेजर रखते हुए प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है।

1.अनुसंधान –

सर्व शिक्षा अभियान की भावी गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रयाप्त अध्ययन करवाये जायेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान को अभियान के दौरान मार्ग दर्शक के रुप में लिया जायेगा ताकि विभिन्न उद्देश्यों को सही समय पर सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छोटे–छोटे अध्ययन व क्रियात्मक अनुसंधानों की एक कड़ी विकसित की जायेगी। इसके अनेक क्षेत्र होंगें मुख्यतया गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण का प्रभाव, निर्माण कार्यो की उपयोगिता एवं उनका विद्यार्थी जीवन में प्रभाव, शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, संकुल संदर्भ व्यक्तियों द्वारा दिये गये सम्बलन का प्रभाव, संकुल संदर्भ समूह की उपयोगिता इत्यादि क्षेत्रों में

अनुसंधान कार्य करवाये जायेंगे। विद्यार्थियों की दक्षताओं में सुधार विशेषकर भाषा व गणित के संदर्भ में, कक्षा–कक्ष के प्रति विद्यार्थियों की रुचि पैदा करना, विकलांग बालक–बालिकाओं की शिक्षा, अध्यापक का नेटवर्क, अनुसूचित जाति/जनजाति, बालिका शिक्षा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष अनुसंधान करवाये जायेंगे।

प्रत्येक पंचायत समिति के अध्यापकों को क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जायेगा ताकि वे अपने शैक्षणिक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान स्वंयं ही ढूंढ सकें। क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायेगी। इसमें डाइट स्टॉफ का सहयोग लिया जायेगा। इसके अलावा उन लोगों का सहयोग भी लिया जायेगा जिन्होंने पूर्व मे शोध कार्य किये हैं। इनमें जिला संदर्भ के समूह के सदस्य भी होंगे।

क्रियात्मक अनुसंधान हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था की जायेगी –

– क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों का सूचिकरण/विषय का चयन।

– अनुसंधान हेतु कार्यक्रम तैयार करना।

– शाला मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन करवाना।

– अनुसंधानकर्त्ताओं की बैठक का आयोजन एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

– रुचि के अनुसार विषयों का वितरण करना।

– आंकड़ों के संकलन हेतु क्षेत्र का निर्धारण करना/मानकीकरण करना।

– क्रियात्मक शोध का प्रकाशन करना।

2.मूल्यांकन –

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि व प्रगति की जांच हेतु समय–समय पर मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी। इसके आधार पर क्रियान्वयन की प्रगति की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकेगी। परियोजना के दौरान निम्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है –

– विभिन्न लक्ष्यों के क्रियात्मक पहलू।

– लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति।

- सामुदायिक सहभागिता का मूल्यांकन
- विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन।
- शिक्षकों में अपेक्षित परिवर्तन का मूल्यांकन।
- विद्यालयों को दी गई सुविधा राशि, शिक्षकों को दी गई टीएलएम राशि के उपयोग व प्रशिक्षण के प्रभावों का मूल्यांकन, इन सबके लिए सामयिक मूल्यांकन एवं मध्यकालीन मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी। इसी अभियान के दौरान डीपीईपी कार्यक्रम का मूल्यांकन भी प्रस्तावित है।
- मूल्यांकन में सहयोग के लिए अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा। इन अभिकरणों में मुख्यतया डाइट, जिला संदर्भ समूह, जिला शैक्षिक समिति, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि., शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वसेवी संगठन जैसे मोरारका फाउण्डेशन, शिक्षित रोजगार प्रबंधन समिति, समग्र विकास संस्थान, अक्षय प्रतिष्ठान, नेहरु युवा केन्द्र, स्काउट एण्ड गाइड समुदाय।
- मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों की समीक्षा की जायेगी प्राप्त सुझावों को अगली तिमाही में क्रियान्वित करने की रणनीति तैयार की जायेगी तथा पुनः परिणामों का मूल्यांकन किया जायेगा।

मूल्यांकन के चरण –

- फिल्ड स्टाफ की क्षमता विकास।
- मूल्यांकन गतिविधियों का आयोजन।
- विद्यार्थियों की उपलब्धी का सर्वेक्षण।
- सामुदायिक प्रबंधन का आमुखीकरण।
- संकुल स्तर पर मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

3.निरीक्षण –

अभियान की प्रत्येक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु उसके प्रभावी निरीक्षण की आवश्यकता होती हैं। निरीक्षण के अभाव में गतिविधि के संचालन में शिथिलता आ जाने का

भय रहता है। सर्वशिक्षा अभियान में निरीक्षण का केन्द्र बिन्दु बालक–बालिका को मानकर प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के लिए डाईट स्टाफ का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सबल बनाया जायेगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी निरीक्षण व सम्बलन में प्रभावी भूमिका निभायेंगे। जिला संदर्भ समूह के सदस्य भी विद्यालयों का निरीक्षण कर मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। समस्त अधिकारीगण विद्यालयों का निरीक्षण कर अध्यापकों को व्यावसायिक सम्बलन प्रदान करेंगे तथा शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करेंगे। प्रभावी निरीक्षण हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति, पंचायत कमेटी, पंचायतीराज संस्थाये भी अधिकृत होंगी। वे निरीक्षण के दौरान उभरी समस्याओं को सक्षम अधिकारी तक पहुंचायेंगे।

निरीक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न आधार पर तय किये जायेंगे –

– विद्यार्थी का स्तर

– संसाधनों की उपलब्धतता

– अध्यापक की दक्षता

– अध्यापक का व्यावसायिक दृष्टिकोण

– विद्यालय की भौतिक स्थिति

– विद्यालय का बाह्य वातावरण

– जनसमुदाय का सहयोग

– जेण्डर संवेदनशीलता

– ग्राम व विद्यालय में परस्पर समन्वयन एवं सहयोग

– अन्य अभिकरणों के साथ सहयोग

4.प्रबोधन –

सूचना प्रवाह तंत्र उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार शरीर में रक्त परिवहन तंत्र। किसी भी अभियान की सफलता का द्योतक उसकी सही एवं समय पर सूचना प्राप्त हो जाना है। सूचना प्राप्त करने में देरी होने या झूठी सूचना प्राप्त होने से परियोजना के लक्ष्य प्रभावित होते हैं। सर्वशिक्षा अभियान में प्रबोधन (मॉनीटरिंग प्रणाली) पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

प्रभावी प्रबोधन हेतु डाईट को सशक्त बनाया जायेगा ताकि वह व्यवसाय संबंधी सम्बलन प्रदान कर सके। विभिन्न शिक्षक केन्द्रों के सबलीकरण द्वार समुदाय आधारित सूचना तंत्र को विकसित किया जायेगा। प्रबोधन व्यवस्था दो प्रकार की होगी –

1. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र (EMIS)
2. वित्तीय प्रबंधन सूचना तंत्र (FMIS)

5.प्रबन्धन सूचना तंत्र के उद्देश्य –

– प्राथमिक शिक्षा हेतु जिला स्तर पर विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन।

– नामांकन तथा ठहराव का प्रबोधन

– बालिकाओं और विशेष सामाजिक समूह के संदर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का प्रबोधन।

– अभियान के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रबोधन

6.सूचना तंत्र का प्रवाह –

सूचना दोनों तरफ समान रुप से प्रवाहित होगी, जिला स्तर से विद्यालय प्रबंधन समिति तक तथा विद्यालय प्रबंधन समिति से जिला स्तर तक सूचनाओं का आदान–प्रदान होगा।

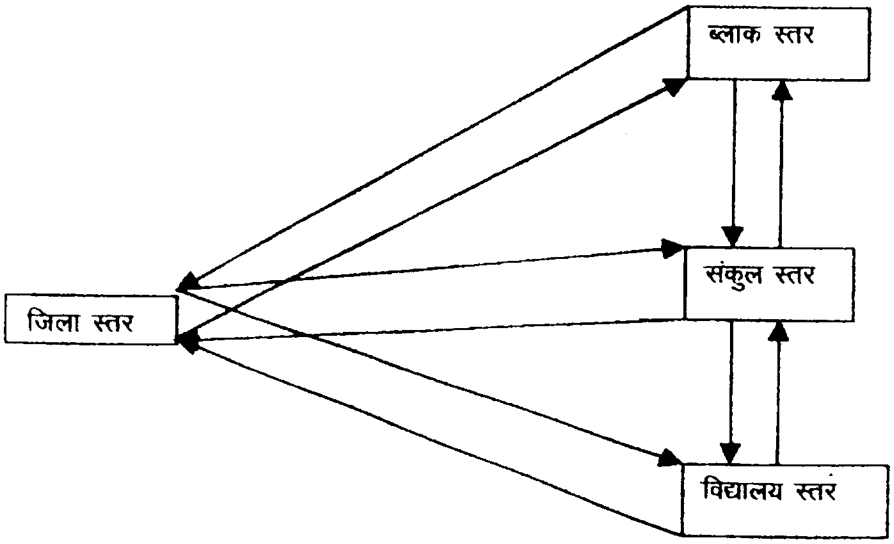

7. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र –

सर्वशिक्षा अभियान की क्रियान्विति हेतु शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र इस योजना का एक आवश्यक अंग है। इस संबंध में निम्न सूचनाएं आवश्यक समझी गई हैं।

– 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं का विवरण नाम सहित।

– विद्यालय से बाहर रहने वाले बालक–बालिकाओं का नाम सहित विवरण।

– प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि की सूचना

– नामांकन एवं ठहराव की सूचना।

– विद्यार्थी विद्यालय अनुपात, विद्यार्थी कक्षा–कक्ष अनुपात तथा विद्यार्थी अध्यापक अनुपात की सूचना।

– परियोजना की गतिविधियों में प्रगति की सूचना।

– सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्रगति के संख्यात्मक आंकड़े तथा उनका विश्लेषण।

– सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यो की प्राप्ति में सहयोग हेतु पारिवारिक आदिनांकीकरण सर्वे की सूचना।

8.वित्तीय प्रबंधन सूचना तंत्र –

वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु समुदाय के साथ समन्वयकर सूचनाओं का समाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा तथा समय पर सूचनाओं का प्रेषण आवश्यक स्तर पर किया जायेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति कुछ सूचनाएं संकुल केन्द्र सहयोगी को प्रदान करेंगी तो कुछ सीधे जिला स्तर पर सूचनाएं प्रेषित करेंगी। वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्न सूचनाएं आवश्यक समझी गई हैं।

– व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

– विभिन्न गतिविधियों की वित्तीय प्रगति की सूचना।

– व्यय की गई राशि का विवरण एवं मांग की राशि की सूचना।

क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं प्रबोधन के लिए 1500 रुपये प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

अध्याय – 9

प्रबंधन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

भूमिका –

सर्वशिक्षा अभियान एक स्वशासित संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम होगा। इस संगठन का नाम होगा झुंझुनू जिला सर्व शिक्षा अभियान परिषद् झुंझुनू (वै।6)। यह संगठन योजना निर्माण, योजना क्रियान्विति एवं प्रबोधन का कार्य करेगा। इसकी शक्तियां कार्य व उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायेंगे। इस हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय का ढांचा विकसित किया जायेगा।

योजना की क्रियान्विति हेतु जिले में त्रिस्तरीय संगठन कायम किया जायेगा तथा विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जायेगा। ये समितियां अभियान के योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होंगी। हर स्तर पर जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समितियों की समय–समय पर बैठकों का आयोजन किया जायेगा। बैठकों में चर्चा के बाद प्राप्त सुझावों को लागू किया जायेगा। परियोजना का स्वयं का एक विकसित प्रशासनिक संगठन होगा जो योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

1.जिला स्तरीय समितियां –

अभियान के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर दो मुख्य समितियों का गठन किया जायेगा। जो इस प्रकार होंगी –

1. जिला निष्पादन समिति (E.C.) –

जिला कलेक्टर इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। जिला परियोजना समन्वयक इसका सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों में अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगी। यह समिति विद्यालयों में वार्षिक उपलब्धि की जांच करवायेगी, वार्षिक बजट का निर्माण तथा शैक्षिक व्यवस्थाओं का संचालन करेंगी

इस समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे –

– जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	–	उपाध्यक्ष
– प्राचार्य डाईट	–	उपाध्यक्ष
– जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.	–	सदस्य
– ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी (8)	–	सदस्य
– ब्लाक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (8)	–	सदस्य
– सहायक परियोजना समन्वयक (4)	–	सदस्य
– सहायक अभियंता परियोजना (1)	–	सदस्य
– सहायक लेखाधिकारी परियोजना (1)	–	सदस्य
– अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	–	सदस्य
– अधिशाषी अभियंता पी.एच.ई.डी	–	सदस्य
– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य
– उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास	–	सदस्य
– जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
– जिला आयोजना अधिकारी	–	सदस्य
– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	–	सदस्य
– शिक्षाविद् (2)	–	सदस्य(अध्यक्ष द्वारा नामित)
– शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारी (2)	–	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित)
– स्वयं सेवी संगठनो के पदाधिकारी (2)	–	सदस्य (" ")
– शिक्षाकर्मी सहयोगी	–	सदस्य
– जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य सचिव

2. जिलाशाषी परिषद (G. C.) -

इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होंगे तथा जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष होंगे। जिला परियोजना समन्वयक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति में जनप्रतिनिधि माननीय सदस्य होंगे। इस समिति की अर्द्धवार्षिक बैठकों का आयोजन किया जायेंगी। इन बैठकों में अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी। माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित कर क्रियान्वयन में उन्हें लागू किया जायेगा। पिछली बैठक में दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी। छः माह में किये गये कार्यों का अनुमोदन करवाया जायेगा तथा अगले छः माह के लिए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी जायेगी।

इस समिति के द्वारा परियोजना में किये गये व्यय का अनुमोदन करवाया जायेगा।

इस समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे-

– जिला प्रमुख	–	अध्यक्ष
– जिला कलेक्टर	–	उपाध्यक्ष
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–	सदस्य
– संसद सदस्य (एम.पी.)(2)	–	सदस्य
– विधायक (7)	–	सदस्य
– प्रधान (8)	–	सदस्य
– नगरपालिका अध्यक्ष (12)	–	सदस्य
– प्राचार्य डाईट	–	सदस्य
– जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.	–	सदस्य
– ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी (8)	–	सदस्य
– ब्लाक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (8)	–	सदस्य
– सहायक परियोजना समन्वयक (4)	–	सदस्य
– सहायक अभियंता परियोजना	–	सदस्य
– सहायक लेखाधिकारी परियोजना	–	सदस्य
– स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य (2)	–	सदस्य(अध्यक्ष द्वारा नाम्नि-

– शिक्षाविद (2)	–	सदस्य (" ")
– शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारी (2)	–	सदस्य (" ")
– समन्वयक नेहरु युवा केन्द्र	–	सदस्य
– जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य सचिव

3. जिला शिक्षा समिति (D.E.C) –

जिला स्तर पर जिला शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति समय–समय पर अभियान का मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान करेगी। वार्षिक योजना निर्माण में सहयोग व सुझाव प्रस्तुत करेगी। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रबोधन करेगी। यह समिति समय–समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का मूल्यांकन करेगी। सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमों में समन्वयन स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगी। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की जांच करेगी। यह समिति संदर्भ व्यक्तियों के चयन में सहयोग करेगी।

इस समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे –

– मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	–	संयोजक
– जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.	–	सदस्य सचिव
– जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि.	–	सदस्य
– प्राचार्य डाईट	–	सदस्य
– प्रशिक्षण समन्वयक	–	सदस्य
– प्रधानाध्यापक उच्च प्रा.वि. (2)	–	सदस्य(मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित)
– शिक्षाविद (2)	–	सदस्य (" ")
– अभिभावक 1 पु. + 1 म. (2)	–	सदस्य (" ")
– स्वयं सेवी संगठन के सदस्य (2)	–	सदस्य (" ")
– जन कल्याणकारी विभागों के सदस्य (2)	–	सदस्य (" ")
– जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य (" ")

4. जिला संदर्भ समूह –

अभियान की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करने, निरीक्षण करने, समय–समय पर अभियान के सफल संचालन हेतु सुझाव देने, मूल्यांकन करने, सम्बलन प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर चार गतिविधियों के चार जिला संदर्भ समूह गठित किये जायेंगे। इस समूह की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा। चार संदर्भ समूह इस प्रकार होंगे –

1. प्रशिक्षण
2. सामुदायिक गतिशीलता
3. वैकल्पिक शिक्षा
1. जेण्डर व पूर्ण प्राथमिक शिक्षा

2. ब्लाक शिक्षा समिति (B.E.C) –

ब्लाक स्तर पर अभियान के सफल संचालन, क्रियान्वयन, योजना निर्माण, मानीटरिंग, निरीक्षण, मूल्यांकन आदि के लिए ब्लाक शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा। इन बैठकों के द्वारा अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी तथा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे। ब्लाक स्तर पर निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करवाये जायेंगे। इस समिति में 10 से 15 तक सदस्य होंगे जिनमें एक तिहाई महिलाएं होगी। समिति का गठन इस प्रकार किया जायेगा –

– प्रधान पंचायत समिति	–	अध्यक्ष
– ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
– उच्च प्रा. विद्यालय के प्र.अ. 1पु. व 1म.	–	सदस्य
– जनप्रतिनिधि (4) 2 पु. व 2 म.	–	सदस्य
– शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारी (2)	–	सदस्य (मनोनीत)
– शिक्षाविद	–	सदस्य (मनोनीत)
– सामाजिक कार्यकर्ता	–	सदस्य (मनोनीत)
– संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी	–	सदस्य (मनोनीत)
– ब्लाक संदर्भ केन्द्र सहयोगी	–	सदस्य सचिव

3. विद्यालय प्रबंधन समिति –

विद्यालय स्तर पर अभियान में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में 10 से 15 तक सदस्य होंगे तथा केचमेण्ट एरिया का जनप्रतिनिधि इसका अध्यक्ष होगा। विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव होगा। इस समिति में एक तिहाई महिला सदस्य होंगी।

1. समिति का गठन –

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करने से पूर्व मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जायेगा। उसके बाद ग्राम सभी बुलायी जायेगी। इस सभा में शैक्षिक अभिरुची रखने वाले सदस्यों को विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य चुना जायेगा। समिति में उन लोगों को प्राथमिता दी जायेगी जिनके बालक–बालिका उस विद्यालय में अध्ययनरत हैं अथवा शिक्षा से वंचित है। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सदस्य बनाया जायेगा। सेवानिवृत सरकारी अधिकारी,/कर्मचारी को भी सदस्य बनाया जायेगा।

2. समिति की बैठकें –

विद्यालय प्रबंध समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा। यदि अत्यावश्यक हो तो कभी भी बैठक बुलायी जा सकेगी।

3. उत्तरदायित्व –

- बालक–बालिकाओं के नामांकन, ठहराव व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में सहयोग करना।
- निर्माण कार्यों में सहयोग करना आवश्यक होने पर जन सहयोग जुटाना।
- विद्यालय स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों, बैठकों में सहयोग करना।
- शाला मानचित्र एवं सूक्ष्म नियोजन में सहयोग करना।
- शाला परिक्षेत्र का निर्धारण करना।
- अध्यापकों की समय की पाबन्दी व नियमितता सुनिश्चित करना।
- कम लागत की शिक्षण वर्धन सामग्री के निर्माण में सहयोग करना।
- विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन जुटाना।
- सांस्कृतिक क्रियाकलापों में सहयोग करना।

– पैराटीचर्स के चयन में सहयोग एवं अनुशंषा करना।

– सर्वश्रेष्ठ अध्यापक व विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना।

– वातावरण निर्माण में सहयोग करना।

– विद्यालय सुविधा राशि का प्रस्ताव तैयार कर उपयोग करना।

– रिकार्ड संधारण में सहयोग करना।

– सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों में सहयोग करना।

– विद्यालयों में आयोजित होने वाले उत्सवों, त्योहारों, पर्वों पर उपस्थिति होकर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना।

– शिक्षकों द्वारा बुलाये जाने पर बैठको में उपस्थित होना।

4. विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण –

प्रत्येक उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला वैकल्पिक विद्यालय, शिक्षा कर्मी विद्यालयों की गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण अभियान अवधि में एक बार दिलवाया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 60 रुपये निर्धारित किये गये है।

5. समिति के सदस्य –

इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –

– चयनित जन प्रतिनिधि	–	अध्यक्ष
– अभिभावक (2) 1पु. व 1म.	–	सदस्य
– सेवानिवुत कर्मचारी/अधिकारी	–	सदस्य
– आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	–	सदस्य
– ए. एन. एम	–	सदस्य
– सामाजिक कार्यकर्ता	–	सदस्य
– अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य	–	सदस्य
– अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य	–	सदस्य

– वंचित वर्ग के सदस्य – सदस्य

– प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय – सदस्य सचिव

4. परियोजना का प्रशासनिक ढांचा –

सर्व शिक्षा अभियान का अपना स्वतंत्र त्रिस्तरीय प्रशासनिक संगठन होगा। इस संगठन पर योजना निर्माण, योजना क्रियान्वयन, प्रबंधन, निरीक्षण, मूल्यांकन, मानीटरिंग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। समयबद्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इस संगठन का मुख्य दायित्व होगा। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने का जिम्मा इस संगठन का होगा। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं खण्ड स्तर पर खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी, संकुल स्तर पर संकुल केन्द्र सहयोगी की नियुक्ति की जायेगी। सकारात्मक सोच वाले शिक्षा के प्रति समर्पित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का चयन कर परियोजना में नियुक्त किया जायेगा।

1. जिला स्तरीय संगठन –

जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक होगा जो प्रधानाचार्य के समकक्ष होगा। इसकी सहायता के लिए 4 सहायक परियोजना समन्वयक होगो जो व्याख्याता या प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष होंगे। निर्माण कार्यों हेतु एक स्नातक सहायक अभियंता व इसके सहयोग हेतु एक कनिष्ठ अभियंता नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक सहायक परियोजना अधिकारी के लिए सहायक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त एक ड्राफ्ट मेन, एक सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, स्टोर कीपर, केशियर, कम्प्यूटर आपरेटर, प्रोग्रामर, सहायक कर्मचारी (6) नियुक्त किये जायेंगे। साथ ही डीईईओ के लिए किराये पर एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

2. ब्लाक स्तर –

ब्लाक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान द्वारा खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी की नियुक्ति की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यों के निष्पादन, प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने, विद्यालयों के निरीक्षण आदि के लिए संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी। प्रत्येक ब्लाक पर एक क. लेखाकार, लिपिक, एक डाटा एण्ट्री ऑपरेटर व एक सहायक कर्मचारी नियुक्त करने का प्रावधान है। प्रत्येक खण्ड पर निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए एक कनिष्ट अभियंता नियुक्ति किया जायेगा। प्रत्येक बीईईओ कार्यालय को किराये पर एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर देने का प्रस्ताव किया गया है।

3. संकुल केन्द्र –

10 या 15 स्कूलों जो 8 किमी की परिधि में हैं पर एक संकुल केन्द्र की स्थापना की जायेगी। संकुल स्तर पर एक संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी की नियुक्ति की जायेगी। यह संकुल में आने वाले समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे सम्बलन प्रदान करने का कार्य करेगा। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा संकुल स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों का संचालन, प्रबोधन करेगा। शैक्षिक विकास के लिए कार्य करेगा। नामांकन, ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था में सहयोग व सम्बलन प्रदान करेगा। विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करेगा। सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों का आयोजन करेगा। अपने संकुल की योजना का निर्माण करेगा। ब्लाक स्तर व जिला स्तर पर चाही गई सूचनाओं का संकलन कर प्रेषित करेगा। विद्यालय अवलोकन एवं सम्बधन का कार्य करेगा। शिक्षणवर्धन सामग्री, विद्यालय सुविधा राशि का उपयोग सुनिश्चित करेगा। निर्माण कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का अवलोकन कर सम्बलन प्रदान करेगा।

4. संकुल संदर्भ समूह –

प्रत्येक संकुल स्तर विषय विशेषज्ञों का चयन कर एक संकुल संदर्भ समूह का गठन किया जायेगा। इस समूह में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों से स्नाकोत्तर योग्यताधारी, विषय में निष्णान्त, शैक्षिक अभिरुचि रखने वाले, नवाचारों के प्रति जागरुक, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले, अभियान के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले शिक्षकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। मासिक समीक्षा बैठकों में इनकी सेवायें ली जायेंगी। जिन विद्यालयों में किसी विशेष विषय शिक्षण में कठिनाई आ रही हो तो वहां भी इनकी सेवायें ली जा सकेगी।

सर्व शिक्षा अभियान का संगठनात्मक ढांचा

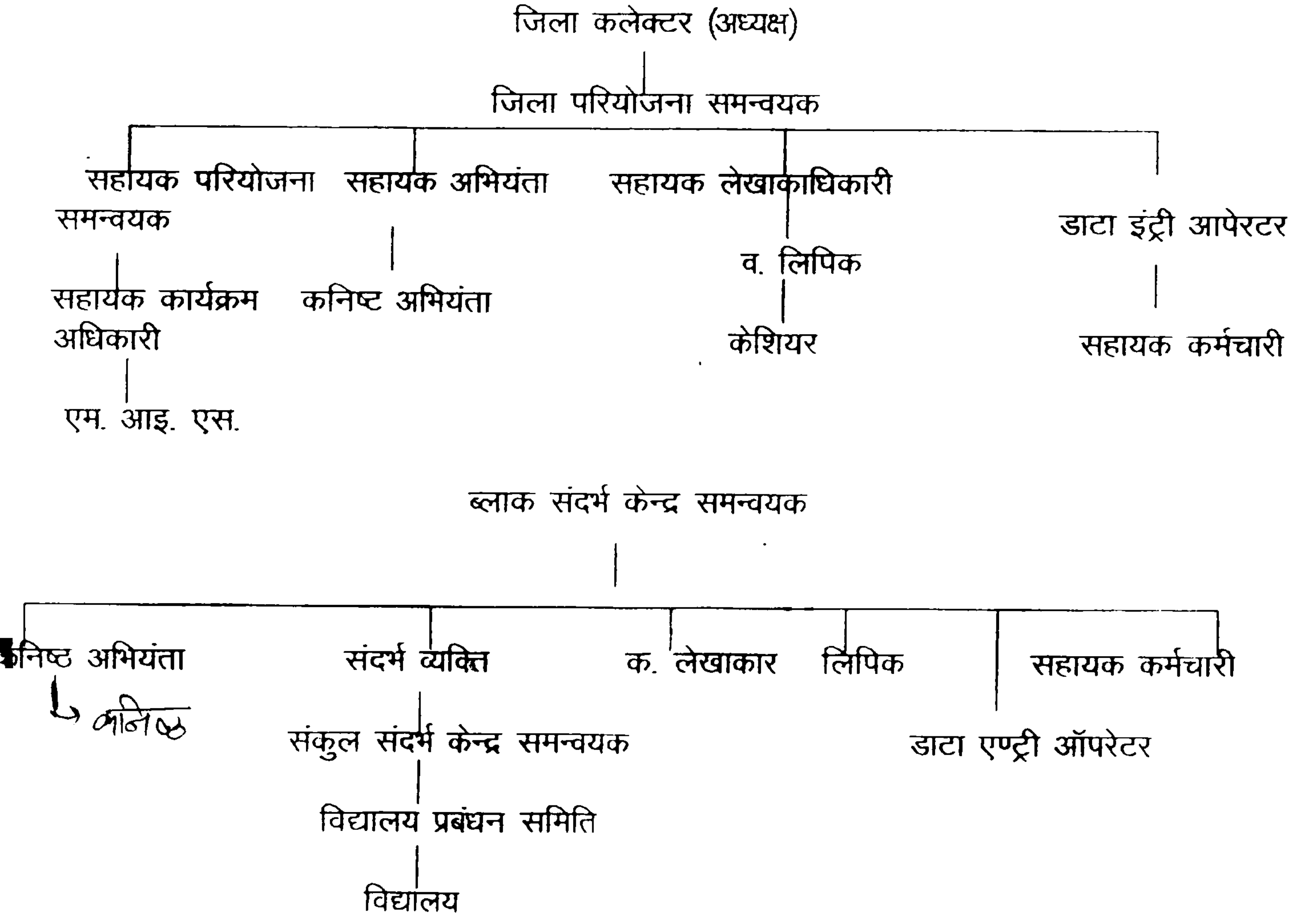

अध्याय – 10

निर्माण कार्य

भूमिका –

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए प्रयासरत एक मिशन भावना से कार्य करने वाली परियोजना है। विद्यालयों के शैक्षिक विकास के साथ–साथ भौतिक स्थिति में सुधार कर आकर्षक विद्यालयी वातावरण तैयार करना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही यह अभियान विद्यार्थियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवान के लिए कटिबद्ध है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाने का प्रावधान रखा गया है। प्रोजेक्ट की कुल लागत का 33 प्रतिशत बजट निर्माण कार्यो हेतु आरक्षित किया गया है।

जिले में 8 ब्लाक, 865 राजस्व गांव, 12 कस्बे तथा उनमें लगभग 1865 विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित किये जा रहे हैं। इन विद्यालयो में विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, विद्यालयों के रख–रखाव हेतु सुविधा प्रदान करना अगले 10 वर्षों तक का लक्ष्य रखा गया है। समस्त विद्यालय में ये सुविधा प्रदान किया जाना नामुमकिन हैं किन्तु इसके लिए शुरूआत करना एक अच्छा प्रयास हैं इससे अन्य अभिकरणों को प्रेरणा मिलेगी तथा जन सहभागिता प्राप्त कर निर्माण कार्यो की ओर समुदाय को उन्मुख किया जा सकेगा।

1.परिचय –

चुँकि जिले में आज कमरों व भवन रहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ुन्य है। लेकिन नामांकन बढ़ने व विद्यालय क्रमोन्नती के पश्चात 640 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी प्राथमिक विद्यालयों के लिय 158 भवनों की आवश्यकता होगी जिसमें से 20 दो कक्षा–कक्ष वाले एवं 138 तीन कक्षा–कक्ष वाले भवन प्रस्तावित हैं। 120 हैण्डपम्पों की व पानी की व्यवस्था 447 विद्यालयों में व 400 शौचालयों की आवश्यकता पड़ेगीं। जिनका निर्माण परियोजना के माध्यम से करवाया जायेगा। 400 विद्यालयों में रेम्प का निर्माण किया जायेगा। साथ ही बड़ी संख्या में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दिद्यालयों में चार दिवारी की आवश्यकता

महसुस की जा रही है जिसका निर्माण भी परियोजना के माध्यम से करवाये जाने के प्रयास किये जायेगें। इसके लिए 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय प्रावधान है।

2. निर्माण कार्य की प्रक्रिया –

सर्वशिक्षा अभियान में निर्माण की प्रक्रिया को लोकतंत्रात्मक स्वरुप प्रदान किया गया है। पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने एवं उत्तम गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण के लिए निर्माण कार्यों का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा जायेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति में से एक 3–5 सदस्यीय भवन निर्माण समिति का गठन किया जायेगा। भवन निर्माण समिति की तीन उपसमितियां होगी जो इस प्रकार होगी – क्रय समिति, भण्डार समिति, निगरानी समिति इन समितियों में 2–2 सदस्य होंगे।

सामान आदि के क्रय के लिए भवन निर्माण समिति को किसी प्रकार के टी. ए., डी. ए. का भुगतान नहीं किया जायेगा। बजट का वितरण सीधे जिला स्तर से विद्यालय प्रबंधन समिति को किया जायेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम संयुक्त खाता होगा और संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का आहरण किया जा सकेगा।

भवन निर्माण समिति निर्माण कार्यों के लिए पूर्ण उत्तर दायी होगी यह समिति निर्माण कार्य के प्रबंध एवं गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होगी।

गुणवत्ता की जांच एवं गुणवत्ता बनाये रखने, निर्माण कार्य की देख–रेख तथा भवन निर्माण समिति को तकनीकि सहयोग प्रदान करने का कार्य परियोजना के खण्ड स्तरीय कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया जायेगा। कार्य का अंतिम भुगतान भवन निर्माण समिति तथा कनिष्ठ अभियंता के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने पर ही किया जायेगा।

इन सब कार्यों में समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

3.निर्माण कार्यों के सोपान –

निर्माण कार्यों का विस्तृत संख्यात्मक वितरण निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

सारणी 10.2

क्र.स.	कार्य का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	2 कमरों का विद्यालय	0	5	5	5	5	20
2.	तीन कमरों का विद्यालय	0	38	37	40	23	138
3.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0	60	80	300	200	640
4.	शौचालय	0	100	100	100	100	400
5.	हैण्ड पम्प	0	30	30	30	30	120
6.	पानी की टंकी कनेक्शन सहित	0	47	100	100	200	447
7.	रेम्पस	0	100	100	100	100	400
8	छोटी मरम्मत	0	50	50	50	50	200
9	बड़ी मरम्मत	0	50	50	100	100	300
10	प्र.अ. कक्ष		50	50	50	50	200

4. विद्यालय भवन का निर्माण –

जिले में विभिन्न पंचायत समितियों में 20 राजकीय विद्यालय ऐसे चल रहे जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं। ये विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों से अलग हुए हैं। इन 20 स्थानों पर 2 कमरों के विद्यालय भवन मय बरामदा एवं रेम्पस के निर्मित किये जायेंगे। 2003–04 में 5, 2004–05 में 5, 2005–06 में 5, 2006–07 में 5 विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

5. तीन कमरों के विद्यालय भवन –

जिले में विभिन्न पंचायत समितियों में 138 राजकीय विद्यालयों के 3 कमरों वाले भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। (2003–04 में 38 , 2004–05 में 37 , 2005–06 में 40, 2006–07 में 23 भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है)

6. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष –

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान आवश्यकता एक भी कक्षा–कक्ष की आवश्यकता नही है। सर्वशिक्षा अभियान के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण बढ़े हुए नामांकन से छात्र : कमरे अनुपात के आधार पर 2007 तक 640 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता होगी। कमरों के निर्माण की व्यवस्था इस प्रकार होगी।

सारणी 10.3

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
कमरों की संख्या (अ.क. कक्ष)	0	60	80	300	250	640
प्र.अ. कक्ष		50	50	50	50	200

7.शौचालय निर्माण –

बड़ी आयु की लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं होने के कारण वे विद्यालयों में नहीं रुक पाती। अतः ठहराव प्रभावित होता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय की आवश्यकता अनुभव की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस समस्या के समाधान और बालिकाओं को विद्यालयों की ओर आकर्षित करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलग अलग शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया हैं। 2007 तक जिले में 400 शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा। शौचालयों का वितरण निम्न प्रकार से किया गया है।

सारणी 10.4

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
शौचालयों की संख्या	0	100	100	100	100	400

8. पेयजल टंकी का निर्माण –

प्रत्येक विद्यालय को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पानी की टंकी की योजना बनायी गई है। ट्यूबवैल या जी. एल. आर से कनेक्शन के माध्यम से इन टंकियों में पानी का संग्रहण किया जायेगा। कनेक्शन सहित टंकी के निर्माण का लागत मूल्य 20000 रुपये निर्धारित किया गया है। जिले में इस प्रकार कुल 447 विद्यालयों में पानी की टंकी का निर्माण करवाया जायेगा। 2003–04 में 47, 2004–05 में 100 व 2005–06 में 100, 2006–07 में 200 पानी की टंकियों का निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया है। जिले में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर जीएलआर एवं ट्यूबवेल से पानी पहुंचाया जाना असंभव है। ऐसे विद्यालयों हेतु 120 हैण्डपम्प लगवाया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

सारणी 10.5

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
पानी की टंकी	0	47	100	100	200	447
हैण्डपम्प		30	30	30	30	120

9.रेम्पस का निर्माण –

छोटे–छोटे बालक–बालिकाओं को सीढ़ियों पर चढ़कर विद्यालय में जाने में बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। कई बार बालक–बालिका सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो जाते हैं। विद्यालय में कुछ विकलांग बालक–बालिका अध्ययन के लिए आते हैं। उन्हें यह कठिनाई विद्यालय में आने से रोकती है। सर्वशिक्षा अभियान ने समस्या का अनुभव किया है। इसलिए विद्यालयों में रेम्पस बनाने की योजना तैयार की है। जिले में 400 विद्यालयों को चिन्हित कर रेम्पस बनाने का प्रावधान किया है। प्रति रेम्पस 20,000 रुपये लागत मूल्य निर्धानिरत किये गये हैं। सन् 2003–04 से लगातार 4 वर्षों (2006–07) तक 100–100 रेम्पस का निर्माण प्रति वर्ष करवाया जायेगा।

11. मरम्मत–

जिले में प्राथमिक विद्यालयों में डीपीईपी द्वारा लगभग सभी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार मरम्मत करवा दी गई है। लेकिन अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवन की मरम्मत की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एस.एस.ए. में निम्न तालिकानुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने प्रस्तावित किये गये हैं।

सारणी 10.4

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
मरम्मत छोटी	0	50	50	50	50	200
मरम्मत बड़ी	0	50	50	100	100	300

12.चार दीवारी का निर्माण –

जिले ने चार दीवारी निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये हैं। जिले में वर्ष 2003–04 से लेकर 2006–07 तक 50 लाख रूपये की प्रति वर्ष चार दीवारी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

अध्याय–11

आयोजना लागत

भूमिका –

सर्वशिक्षा अभियान की योजना निर्माण में मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में निर्माण कार्यों पर कुल बजट का 33 प्रतिशत, प्रबंधन-पर 6 प्रतिशत और शेष धन राशि गुणवत्ता विकास, क्षमता विकास पर खर्च की जायेगी। कम्पोनेन्ट वार व गतिविधिवार विस्तृत बजट तैयार किया गया है। इस प्रकार जिले का कुल 64 करोड़ 10 लाख 78 हजार 1 सौ रुपये का बजट तैयार किया गया (6410.781)।

1.आयोजना लागत का विस्तृत विवरण –

सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2003 से 2007 तक विभिन्न वर्षो में विभिन्न गतिविधियों पर किये जाने वाले व्यय का विस्तृत विवरण अग्र तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

अध्याय 12
वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003–04

भूमिका –

सर्वशिक्षा अभियान 2002–03 से जिले में शुरु हो रहा है। इस समय प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा की पंचवर्षीय योजना क्रियाशील है। सर्व शिक्षा अभियान की कुछ गतिविधियां डीपीईपी कार्यक्रम के द्वारा पूरी की जा रही हैं। इसलिए प्रथम वर्ष में सर्वशिक्षा अभियान में बहुत सी गतिविधियों पर व्यय नहीं किया जा रहा है यों भी सर्वशिक्षा अभियान 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के लिए शुरु किया जा रहा हैं। जबकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 6–11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के लिए है। प्रथम वर्ष 2003–04 में सर्वशिक्षा अभियान में इस जिले में 1317.395 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान की प्रथम वर्ष की गतिविधियां निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी।

1. जिला परियोजना कार्यालय –

सर्वशिक्षा अभियान में जिला परियोजना कार्यालय पर व्यय नही किया जायेगा, क्योकि डीपीईपी कार्यालय द्वारा ही इस अभियान का संचालन किया जायेगा। ब्लाक स्तर पर भी ब्लाक संदर्भ केन्द्र सहयोगी परियोजना का संचालन करेंगे व संकुल स्तर पर क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी का होगा। अतः इन मदों में प्रथम वर्ष में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

2. विद्यालयों का क्रमोन्नयन –

2003–04 में 67 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे। प्रत्येक नव क्रमोन्नत विद्यालय को 50,000 रुपये की टी. एल. ई राशि प्रदान की जायेगी। इस राशि का उपयोग यह विद्यालय अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति में करेंगे। प्रत्येक नव क्रमोन्नत

विद्यालय में 1प्रधानाध्यापक व 1 टीचर दिया जायेगा। जिनको क्रमशः 10000 रूपये व 7000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। 434 विद्यालयों को विद्यालय सुविधा राशि प्रदान की जायेगी प्रत्येक उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले 3685 अध्यापकों को 500 रुपये टी.एल. एम की राशि प्रदान की जायेगी।

3. शिक्षा गारंटी योजना –

शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत 1000 बालक–बालिका लाभान्वित होंगे। इस योजना अंतर्गत प्रति छात्र प्रतिवर्ष 845 रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

4. विद्यालय रखरखाव –

सत्र 2003–04 में वर्तमान 1435 प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 8 तक के शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं, को प्रति विद्यालय 5000 रुपये की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी। इस राशि का उपयोग सफेदी करवाने, छोटी–मोटी मरम्मत करवाने, छात्र हित में प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जायेगा। इस राशि को व्यय करते समय सर्वोच्च प्राथमिकता छात्र हित को दी जानी चाहिए।

5. सामुदायिक गतिशीलता –

प्रत्येक राजस्व ग्रम में सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 10000 रुपये उस राजस्व ग्राम की उच्च शिक्षण संस्थान की विद्यालय प्रबंधन समिति को दिये जायेंगे। बाल मेलो, कलाजत्था कार्यक्रमों, महिला बैठकों, मां–बेटी मेलों, विज्ञान मेलों का आयोजन एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों पर इस धन राशि को विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्तावानुसार खर्च किया जायेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को दो दिन का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। इस हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 60 रुपये का प्रावधान रखा गया है

6. विद्यालय सुविधा राशि –

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 6 से 8 तक चलती हैं को इस वर्ष विद्यालय सुविधा राशि के रुप में 2000 रुपये प्रति विद्यालय दिये जायेंगे। यह धन राशि विद्यालय प्रबंधन समिति को दी जायेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति ही प्रस्तावानुसार प्राथमिकता तय कर खर्च करेगी।

7. टी. एल. एम. राशि –

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों में 6 से 8 तक की कक्षाओं को पढाने वाले प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण वर्धन सामग्री के विकास के लिए 500 रुपये टी. एल. एम. राशि प्रदान की जायेगी। इस राशि का उपयोग कच्ची सामग्री खरीदकर शिक्षण में सहायक सामग्री के निर्माण में किया जायेगा। संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी व विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिलवाया जायेगा। यह राशि 3685 अध्यापकों को संकुल केन्द्र सहयोगी के माध्यम से वितरित की जायेगी।

8. शिक्षक प्रशिक्षण –

3685 शिक्षकों को 20 दिन का प्रशिक्षण वर्ष 2003–04 में दिया जाना है। इसमें 9 दिन का प्रेरण प्रशिक्षण, 3 दिन का शिक्षण वर्धन निर्माण सामग्री का प्रशिक्षण एवं 8 दिन की मासिक समीक्षा बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। 34 नवनियुक्त शिक्षकों को 30 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

9. विकलांग बालक–बालिकाओं की शिक्षा –

जिले में कुल 439 विकलांग बालक–बालिका चिन्हित किये गये है। विकलांग बालक–बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कैम्प लगाने, विकलांगता की जांच करने, विकलांगता प्रमाण पत्र देने, बच्चों को उपकरण देने तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर प्रति बालक–बालिका 1200 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

10. अनुसंधान, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं प्रबोधन –

जिले में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1435 है। इन विद्यालयां में अनुसंधान, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं प्रबोधन पर 1400 रुपये प्रति विद्यालय खर्च करने का प्रावधान है।

11. निर्माण कार्य–

इस वित्तीय वर्ष में 60+113 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष नवक्रमोन्नत - उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनवाये जायेंगे। इन पर प्रति कक्ष 1.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 50 प्र.अ. कक्षा बनवाने प्रस्तावित हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100+137 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रति शौचालय 10,000 रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

12. गतिविधिवार व्यय का विवरण –

इस वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले बजट का विवरण गतिविधि वार संलग्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

अध्याय 13
क्रियान्वयन योजना

भूमिका –

सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक–बालिका को विद्यालय में नामांकित करवाकर 2010 तक उनका शत–प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने की योजना है। जनसहभागिता द्वारा योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पहुंच, ठहराव , नामांकन वृद्धि, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, क्षमता विकास, निःशुल्क पाठ्यपुस्तके वितरण, विकलांग शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा। 2002–03 से 2006–07 तक इस योजना की विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। लम्बे आयुकाल वाले इस अभियान की विभिन्न गतिविधियों का वितरण भी लम्बे समय तक फैलाव लिए हुए है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए समर्पित कार्यकत्ताओं की मिशन भावना से कार्य करने वाली टीम का गठन कर योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT: JHUNJHUNU

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No of Children in Primary School	Child	0.00845	20366	172.093	18665	157.71925	16878	142.6191	15002	126.767	70911	599.198
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			67		0		0		18		85	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	67	33.500	0	0.000	0	0.000	18	9.000	85	42.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	67	60.300	0	0.000	0	0.000	18	16.200	85	76.500
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	38	45.600	105	126.000	105	126.000	105	126.000	353	423.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	67	42.210	0	0.000	0	0.000	18	11.340	85	53.550
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	76	63.840	248	208.320	315	264.600	315	264.600	954	801.360
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	60	72.000	80	96.000	300	360.000	200	240.000	640	768.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	200	100.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	14800	14.800	15200	15.200	15600	15.600	16000	16.000	61600	61.600
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	5	12.800	5	12.800	5	12.800	5	12.800	20	51.200
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	38	136.800	37	133.200	40	144.000	23	82.800	138	496.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	400	40.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	30	15.000	30	15.000	30	15.000	30	15.000	120	60.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	47	9.400	100	20.000	100	20.000	200	40.000	447	89.400
	6.6	Ramps	Number	0.2	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	400	80.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250	50	6.250	50	6.250	50	6.250	200	25.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	50	12.500	50	12.500	100	25.000	100	25.000	300	75.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000	100	25.000	200	50.000	200	50.000	600	150.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	1001	50.050	968	48.400	1002	50.100	1057	52.850	4028	201.400
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	434	21.700	501	25.050	501	25,050	511	25.550	1947	97.350
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			34		34		55		34		157	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	34	3.400	34	3.400	55	5.500	34	3.400	157	15.700
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	34	21.420	34	21.420	55	34.650	34	21.420	157	98.910
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	34	28.560	68	57.120	123	103.320	225	189.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	34	4.590	34	4.590	55	7.425	34	4.590	157	21.195
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	34	6.936	34	6.936	55	11.220	123	25.092
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	34	7.752	34	7.752	68	15.504
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	34	8.568	34	8.568

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT: JHUNJHUNU

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04 Phy	2003-04 Fin	2004-05 Phy	2004-05 Fin	2005-06 Phy	2005-06 Fin	2006-07 Phy	2006-07 Fin	Total Phy	Total Fin
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	1001		968		1002	20.040	1057	21.140	4028	41.180
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	434	8.680	501	10.020	501	10.020	511	10.220	1947	38.940
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2980		3048		3158	15.790	3226	16.130	12412	31.920
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	3685	18.425	3790	18.950	3857	19.285	3893	19.465	15225	76.125
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2946		2980		3035	42.490	3069	42.966	12030	85.456
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	3685		3790	53.060	3857	53.998	3893	54.502	15225	161.560
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	181	7.602		0.000		0.000	181	7.602
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	34	0.714	68	1.428	123	2.583	157	3.297	382	8.022
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Members (2 days)	Number	0.0006	3472	2.083	4008	2.405	4008	2.405	4088	2.453	15576	9.346
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	439	5.268	439	5.268	1512	18.144	1512	18.144	3902	46.824
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	1001	14.014	968	13.552	1002	14.028	1057	14.798	4028	56.392
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	434		501	7.014	501	7.014	511	7.154	1947	21.182
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.200	1	2.400	1	2.400	3	6.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04		0.000	4	4.080	4	8.160	4	8.160	12	20.400
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44		0.000	3	2.160	3	4.320	3	4.320	9	10.800
	17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)	Number	1.8		0.000	1	0.900	1	1.800	1	1.800	3	4.500
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	0.840	1	1.680	1	1.680	3	4.200
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	0.600	1	1.200	1	1.200	3	3.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	1	0.300		0.000	1	0.600	2	0.900
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000	3	0.459	3	0.918	3	0.918	9	2.295
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.153	1	0.306	1	0.306	3	0.765
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	8	7.840	8	15.680	8	15.680	24	39.200
	17.3.2	Salary of Resource Person APO	Number	1.44		0.000	24	17.280	24	34.560	24	34.560	72	86.400
	17.3.3	Salary of Junior Engg.	Number	1.44		0.000	8	5.760	8	11.520	8	11.520	24	28.800

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRICT: JHUNJHUNU

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	8	8.640	8	8.640	8	8.640	8	8.640	32	34.560
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	8	4.800	8	4.800	8	4.800	8	4.800	32	19.200
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	8	3.840	8	3.840	8	3.840	8	3.840	32	15.360
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	8	1.224	8	2.448	8	2.448	24	6.120
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	8	6.800		0.000		0.000		0.000	8	6.800
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	8	0.960	8	0.960	8	0.960	8	0.960	32	3.840
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	8	0.800	8	0.800	8	0.800	8	0.800	32	3.200
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	8	6.720	8	6.720	8	6.720	8	6.720	32	26.880
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	110	66.000	110	132.000	110	66.000	330	264.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	19.1	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	8	1.000	8	1.000	8	1.000	8	1.000	32	4.000
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	8	0.480	8	0.480	8	0.480	8	0.480	32	1.920
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	8	0.400	8	0.400	8	0.400	8	0.400	32	1.600
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	110	2.750	110	2.750	110	2.750	110	2.750	440	11.000
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	110	2.640	110	2.640	110	2.640	110	2.640	440	10.560
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	110	1.100	110	1.100	110	1.100	110	1.100	440	4.400
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450	800	6.760	600	5.070	500	4.225	2900	24.505
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1435	14.350	1469	14.690		0.000		0.000	2904	29.040
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	288	5.760	288	5.760	288	5.760	288	5.760	1152	23.040
		Grand Total				**1112.107**		**1426.560**		**2014.931**		**1857.183**		**6410.781**
		Total of Civil work				394.750		425.750		738.050		576.850		2135.400
		% of Civil works				35.50		29.84		36.63		31.06		33.31
		Total of Management				30.260		34.752		44.844		45.444		155.300
		% of Management				2.72		2.44		2.23		2.45		2.42

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRICT: JHUNJHUNU

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	20366	172.093		0.000	20366	172.093
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	67	33.500	38	19.000	105	52.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	67	60.300		0.000	67	60.300
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	38	45.600		0.000	38	45.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	67	42.210		0.000	67	42.210
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	76	63.840		0.000	76	63.840
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	60	72.000	113	135.600	173	207.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	14800	14.800		0.000	14800	14.800
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	5	12.800		0.000	5	12.800
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	38	136.800		0.000	38	136.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	137	13.700	237	23.700
	6.4	Handpump Water Harvesting	Number	0.5	30	15.000		0.000	30	15.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	47	9.400		0.000	47	9.400
	6.6	Ramps	Number	0.2	100	20.000		0.000	100	20.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000		0.000	100	25.000
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	1001	50.050		0.000	1001	50.050
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	434	21.700		0.000	434	21.700
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	34	3.400		0.000	34	3.400
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	34	21.420		0.000	34	21.420
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	34	4.590		0.000	34	4.590
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
1?		School Grant								

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: JHUNJHUNU

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	10.1	Primary School	Number	0.02	1001	0.000	0	0.000	1001	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	434	8.680	0	0.000	434	8.680
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2980	0.000	0		2980	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	3685	18.425	0	0.000	3685	18.425
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2946	0.000	0		2946	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	3685	0.000	2124	29.736	5809	29.736
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	34	0.714	0	0.000	34	0.714
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Members (2 days)	Number	0.0006	3472	2.083	0	0.000	3472	2.083
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	439	5.268		0.000	439	5.268
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	1001	14.014	0	0.000	1001	14.014
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	434	0.000	518	7.252	952	7.252
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	1 1.16	Reccuring Expenditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expenditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	*BRCF Office*								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person AIR)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	8	8.640		0.000	8	8.640
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	8	4.800	0	0.000	8	4.800

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: JHUNJHUNU

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	8	3.840	0	0.000	8	3.840
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	8	6.800		0.000	8	6.800
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	8	0.960		0.000	8	0.960
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	8	0.800		0.000	8	0.800
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	8	6.720		0.000	8	6.720
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	8	1.000		0.000	8	1.000
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	8	0.480		0.000	8	0.480
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	8	0.400		0.000	8	0.400
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	110	2.750		0.000	110	2.750
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	110	2.640		0.000	110	2.640
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	110	1.100		0.000	110	1.100
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450		0.000	1000	8.450
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1435	14.350	0	0.000	1435	14.350
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	288	5.760		0.000	288	5.760
		Grand Total				**1112.107**		**205.288**		**1317.395**
		Total of Civil work				394.750	-	149.300		544.050
		% of Civil works				35.50		72.73		41.30
		Total of Management				30.260		0.000		30.260
		% of Management				2.72		0.00		2.30

DOC, No.